Rural World
A Rural Voice Media Publication

Volume 3, Issue 4
August 2026-September 2026
Price: ₹200

Rethinking Farm Credit

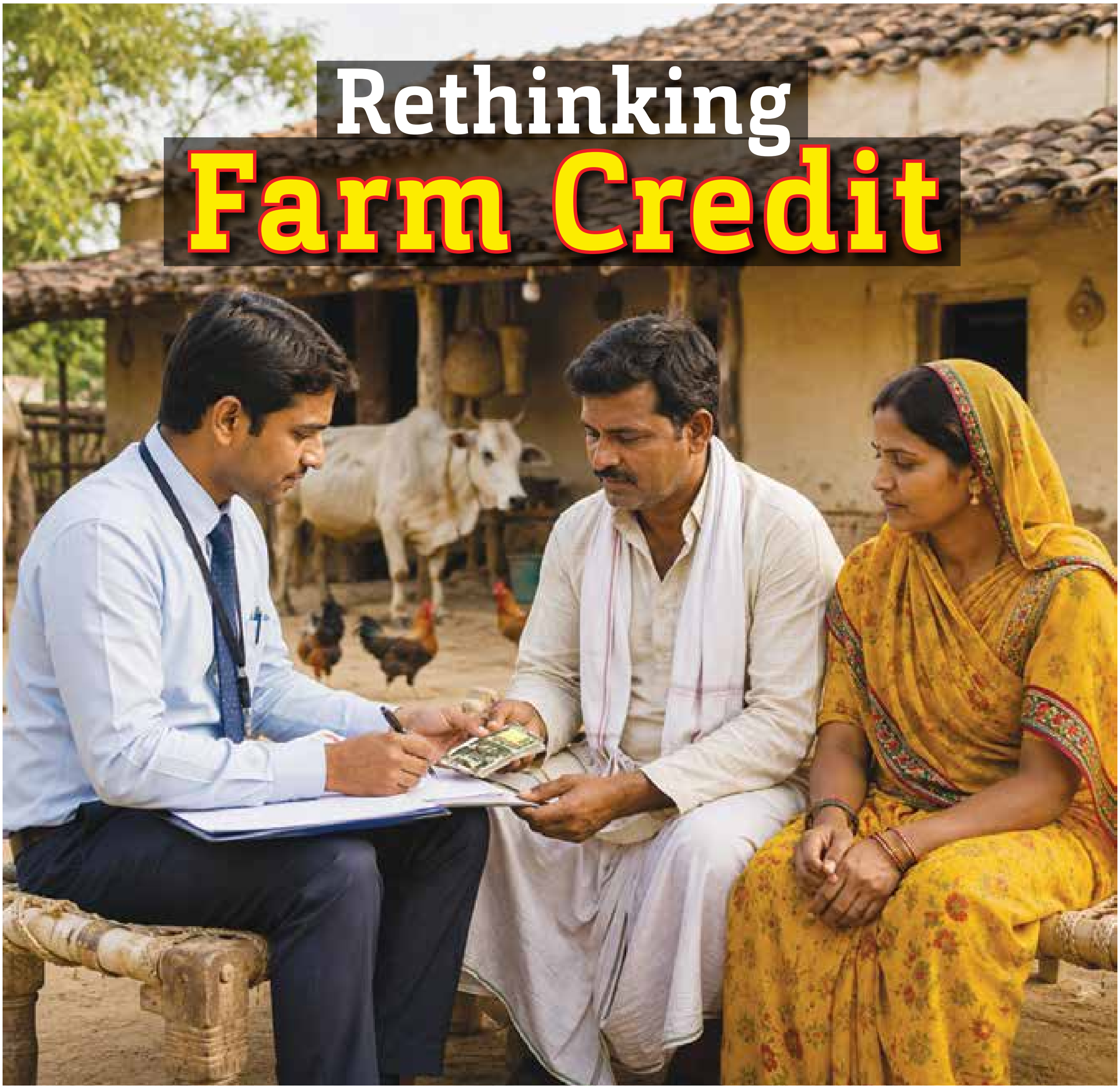

कृषि कर्ज: ढांचागत बदलाव की जरूरत

रूरल वर्ल्ड
समृद्ध ग्रामीण भारत की सोच

ruralworld.co.in
www.ruralvoice.in
eng.ruralvoice.in
RNI No: DELBIL/2024/86754

@ruralvoicein
@ruralvoicein
@ruralvoicein
@ruralvoicein

mahyco grow

mahyco®
EVERY SEED COUNTS

'Farmer First'- Our Philosophy

Since its beginning in 1964, Mahyco has been a pioneer in agri-research and introduced more than 115 hybrid seeds in over 30 crop species.

For over 50 years, Mahyco's endeavor has been to develop advanced seeds that ensure higher yields, helping farmers to grow crops successfully against biotic and abiotic stresses. With a wide range of products and a network covering the length and breadth of the country, Mahyco brings smile on the face of over 10 million farming families, who are our valued customers.

We at Mahyco firmly believe that all our success stems from one philosophy : Putting "Farmer First".

MAHYCO PRIVATE LIMITED

Email : info@mahyco.com, Website : www.mahyco.com

/MahycoGrow /MahycoGrow /Mahycogrow

Harvir Singh
Editor-in-Chief

Time to Reform Agricultural Credit

Agricultural credit in India has expanded steadily over the years, with official data showing a consistent increase in lending. In some states, the volume of agricultural loans is now almost equal to the value of crop production. Yet, despite this growth, farmers in many parts of the country—especially in eastern and northeastern India—continue to have limited access to institutional credit. This disparity reflects weaknesses in government lending schemes, shortcomings in the interest subvention mechanism, inadequate banking infrastructure, low farmer awareness, and administrative inefficiencies at the state level.

Successive governments have sought to expand institutional credit so that farmers can avoid costly informal borrowing and benefit from concessional finance. Agricultural credit is a critical component of farm production, enabling farmers to purchase quality inputs on time and improve productivity. Although several states have made significant progress, many others continue to lag behind.

The Kisan Credit Card (KCC) scheme and the Modified Interest Subvention Scheme (MIS) have played a major role in improving access to affordable credit. However, their benefits remain unevenly distributed. While the number of KCC accounts has crossed 80 million, the average amount of institutional credit available per farmer remains low in most states.

In this issue of Rural World, experts examine the present status of agricultural credit and suggest reforms to make the system more inclusive. One major concern is the weakening network of Primary Agricultural Credit Societies (PACS), which has reduced farmers' access to formal finance. Many rural areas, particularly in eastern and northeastern India, also suffer from poor banking penetration, creating "banking dark zones" where farmers struggle to obtain institutional loans despite the existence of government schemes.

Administrative efficiency is another important factor. States with better-functioning revenue departments generally perform better in agricultural lending because farmers can obtain land records and other documents required by banks more quickly. States where institutional credit remains inadequate need to strengthen their administrative systems alongside expanding banking infrastructure.

Crop insurance is another area requiring urgent reform. Under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), the Centre and state governments subsidise insurance premiums, while farmers pay the remaining share. Although the scheme has undergone several modifications, a fundamental issue remains unresolved.

Currently, crop insurance claims are assessed on the basis of a cluster, or "insurance unit", rather than an individual farmer's field. Crop insurance claims are paid only when crop losses across the insurance unit exceed a prescribed threshold. As a result, farmers whose fields suffer severe damage may receive little or no claim if the average loss across the cluster remains below the threshold. This has become one of the biggest sources of dissatisfaction among insured farmers.

With the availability of Farmer IDs, digitised land records, and satellite mapping, there is a strong case for shifting to field-level insurance assessment. If that is not immediately feasible, then premium assessment should also be aligned with the cluster-based approach. At present, farmers pay premiums based on their individual holdings, while claims are calculated at the cluster level. This inconsistency needs to be addressed. Rural World explores these issues in detail in its cover story on crop insurance.

This issue also features a special article on the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) and its efforts to diversify India's agricultural export basket by promoting value-added products, thereby increasing farmers' export earnings. Readers will also find an exclusive interview with APEDA Chairman Abhishek Dev on the future of India's agricultural exports.

The year ahead is likely to be challenging for Indian agriculture and the rural economy. The impact of El Niño, a weaker monsoon, and the possibility of lower kharif acreage could adversely affect agricultural production and rural incomes. In these circumstances, the government should consider a dedicated financial package for the agriculture sector, which supports nearly 46 per cent of India's workforce. A stronger agricultural sector is essential not only for farmers' livelihoods but also for sustaining the long-term resilience and growth of the Indian economy.

@harvirpanwar

CONTENTS

6
Cover Story
Shweta Saini & Shreshtha Jeniffer Peter
Indian Agricultural Credit: Some Successes and Misses

12 Cover Story: S.K. Singh
The New Ecosystem of Rural Finance

16 Cover Story: Ajeet Singh
Rural Incomes Weaken, Informal Credit Gains Ground

18 Cover Story: S.K. Singh
PMFBY: The Compensation Conundrum

62 पुस्तक समीक्षा
कोड परोदा: कृषि विज्ञान की सेवा में समर्पित एक जीवन

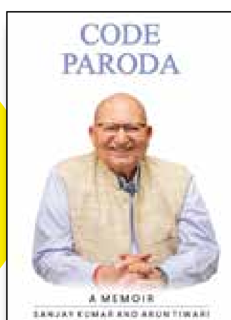

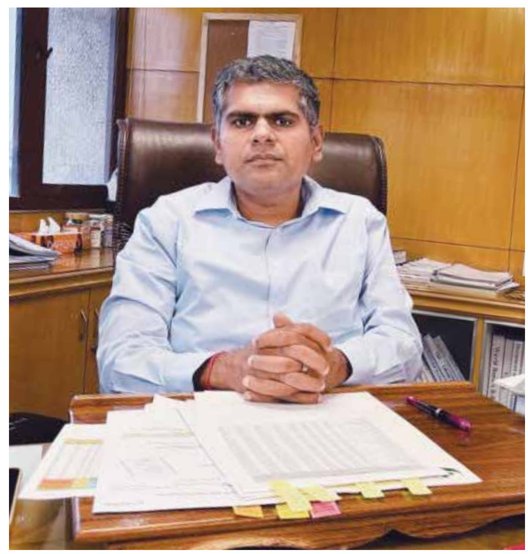

26 Interview: Abhishek Dev
Market Diversification & Value Addition Will Drive Next Agri Export Growth

Volume 3, Issue 4
bi-monthly (August 2026-September 2026)

Editor
Harvir Singh

Consulting Editor
SK Singh

Executive Editor
Ajeet Singh

Published and Printed by Harvir Singh on behalf of Rural Voice Media Pvt. Ltd.

Printed at Innovative Designers & Printers, E-41, Sector 6, Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh - 201301. Published from 11-A, Skylark Apartment, DDA SFS Flats, Site-2, Ghazipur, Kalyanpuri, Delhi-110092

Editor: Harvir Singh

Published for the bi-monthly: August 2026-September 2026
Released on 1 August 2026

Total Number of pages 68 including covers

Website: ruralworld.co.in
Email: contact@ruralvoice.in

COVER DESIGN: Rural World

DISCLAIMER: All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmited in any form, or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior permission of the publisher.

हरवीर सिंह
एडिटर-इन-चीफ

एग्री क्रेडिट में सुधार का समय

सरकारी आंकड़ों में हर साल कृषि ऋण का आकार बढ़ता जा रहा है। कुछ राज्य ऐसे हैं, जहां कृषि ऋण का आकार फसल उत्पादन के मूल्य तक पहुंच गया है। लेकिन देश के अधिकांश राज्यों, खासकर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में, किसानों को अब भी संस्थागत ऋण का बहुत कम हिस्सा मिल पाता है। इसके पीछे कृषि ऋण उपलब्ध कराने वाली सरकारी योजनाओं और ब्याज सब्सिडी व्यवस्था की मौजूदा खामियों के अलावा ढांचागत सुविधाओं की कमी, किसानों में जागरूकता का अभाव और राज्य सरकारों की प्रशासनिक अकुशलता जैसी वजहें भी हैं।

पिछले कई दशकों से सरकारें लगातार कोशिश करती रही हैं कि किसानों तक संस्थागत ऋण की पहुंच बढ़े ताकि वे ऊंची ब्याज दरों से बच सकें और ब्याज छूट के जरिये सस्ते वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकें। कृषि ऋण किसान की उत्पादन लागत का अहम हिस्सा है और समय पर फसल इनपुट उपलब्ध कराने में बड़ी भूमिका निभाता है। कई राज्यों ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन अधिकांश राज्य अब भी पीछे हैं।

किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराने में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम (MIS) की बड़ी भूमिका है। लेकिन इसका पूरा लाभ सभी किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। हालांकि केसीसी की संख्या करीब आठ करोड़ हो चुकी है, लेकिन अधिकांश राज्यों में प्रति किसान ऋण की हिस्सेदारी काफी कम है।

रूरल वर्ल्ड के इस अंक में हमने विशेषज्ञों के जरिए इस विषय की अहमियत, मौजूदा स्थिति और सुधार के लिए जरूरी उपायों पर विस्तार से चर्चा की है। चिंताजनक है कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) का कमजोर होता ढांचा कर्ज तक किसानों की पहुंच में बाधक बन रहा है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत सहित कई राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की संख्या भी काफी कम है। बैंकिंग पहुंच के मामले में आज भी अनेक 'डार्क जोन' मौजूद हैं। ऐसे स्थानों पर सरकारी योजनाओं के बावजूद किसान कर्ज प्राप्त नहीं कर पाते। जिन राज्यों में राजस्व विभाग अधिक कुशलता से काम कर रहे हैं, वहां के किसान कर्ज के मामले में बेहतर स्थिति में हैं, क्योंकि कर्ज के लिए बैंक को आवश्यक दस्तावेज किसान राज्य सरकार के अधिकारियों के सहयोग से ही समय पर उपलब्ध करा सकते हैं। इसलिए जिन राज्यों में किसानों को संस्थागत ऋण कम मिल रहा है, उन्हें अपनी व्यवस्थाओं की गंभीर समीक्षा करनी होगी।

दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा फसल बीमा का है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सरकार सब्सिडी देती हैं तथा किसान भी अपने हिस्से का प्रीमियम जमा करते हैं। इस योजना में समय-समय पर कई बदलाव किए गए हैं, लेकिन जिस मूलभूत सुधार की आवश्यकता है, वह अब तक नहीं हो पाया है। इसका नुकसान किसान को उठाना पड़ रहा है।

अभी तक फसल बीमा की एप्रोच कलस्टर आधारित है न कि किसान के खेत पर आधारित। इसे 'इंश्योरेंस यूनिट' भी कहते हैं। किसी इंश्योरेंस यूनिट में थ्रेसहोल्ड सीमा से ऊपर फसल नुकसान होने पर ही दावा राशि मिलती है। कई मामलों में किसी किसान की फसल को गंभीर नुकसान होता है, जबकि पूरे क्लस्टर का औसत नुकसान थ्रेसहोल्ड से कम रहता है। ऐसी स्थिति में किसान को कोई दावा नहीं मिलता या फिर पर्याप्त दावा राशि नहीं मिलती और वह खुद को ठगा हुआ महसूस करता है।

जब सरकार के पास किसान आईडी, भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण और सैटेलाइट मैपिंग जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, तो फिर व्यक्तिगत खेत को बीमा की आधार इकाई क्यों नहीं बनाया जा सकता? यदि फिलहाल ऐसा संभव नहीं है, तो कम-से-कम प्रीमियम निर्धारण की व्यवस्था भी क्लस्टर आधारित होनी चाहिए। अभी किसान प्रीमियम अपने खेत के आधार पर देता है, जबकि दावा क्लस्टर के आधार पर तय होता है। इस विसंगति को दूर किया जाना आवश्यक है। रूरल वर्ल्ड के इस अंक में फसल बीमा पर विस्तृत स्टोरी में ऐसे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की गई है।

इस अंक में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा कृषि निर्यात के विविधीकरण और मूल्यवर्धित उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि के लिए उठाए गए कदमों पर एक विशेष आलेख भी शामिल है। कृषि निर्यात से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर एपीडा के चेयरमैन अभिषेक देव के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी इस अंक का अहम हिस्सा है।

अंत में यह कहना जरूरी है कि यह वर्ष देश के कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। अल नीनो के प्रभाव से कमजोर मानसून और खरीफ फसलों के रकबे में संभावित गिरावट कृषि उत्पादन और ग्रामीण आय, दोनों पर प्रतिकूल असर डाल सकती है। ऐसे में सरकार को देश की 46 फीसदी कामकाजी आबादी वाले इस क्षेत्र के लिए एक वित्तीय पैकेज घोषित करना चाहिए ताकि कृषि क्षेत्र भी अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों के साथ कदमताल कर सके, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए कृषि क्षेत्र का मजबूत होना जरूरी है।

@harvirpanwar

Indian Agricultural Credit
Some Successes and Misses

Gaps in access and regional balance persists, next phase of farm credit reform must focus on equitable access, productive investment, resilience and repayment capacity

Shweta Saini

Agricultural economist, Founder and CEO at Arcus Policy Research

Shreshtha Jeniffer Peter

Research Associate (Strategic Advisory) at Arcus Policy Research

On almost every headline indicator, Indian formal agricultural credit has never looked better. Yet the same evidence that documents this expansion at the macro level, highlights some gaps and challenges at the micro- and even the meso-level. We explore the journey in this article.

The Journey

In 1951, close to 11 percent of the loans taken by Indian farmers came from a bank or a cooperative and the remaining about 89 percent was supplied by the moneylenders, landlords and traders (AIDIS, various rounds). Seven decades on, that ratio has inverted. Institutional lenders like banks and coops now account for nearly 86 percent of borrowing by Indian agricultural households *(NAFIS 2021-22)* . In FY 2024-25, the annual flow of Ground Level Credit (GLC) to Indian agriculture crossed Rs. 28.7 lakh crore, more than double its level just five years earlier (Figure 1). Relative to agricultural gross value added (GVA), annual credit disbursement reached 53 percent, compared with 22 percent in 2004-05, indicating that credit intensity has increased by around 2.4 times over the past two decades *(NABARD 2025; DAFW 2026).*

Behind these numbers is a policy thrust that is backed by an architecture that has been decades in the making. The Kisan Credit Card (KCC) scheme, the Modified Interest Subvention Scheme (MISS), priority sector lending (PSL) norms, NABARD's refinance pipeline and, more recently, the Kisan Rin Portal (KRP) together facilitate channelling concessional credit to millions of Indian farmers each year (DAFW 2026). The FY26 Union Budget pushed the framework further when they raised the KCC-MISS eligible loan ceiling from Rs. 3 lakhs to Rs. 5 lakhs. Even the Reserve Bank of India (RBI) lifted its collateral-free agricultural lending limit from Rs. 1.6 lakhs to Rs. 2 lakhs *(NABARD 2025; RBI 2026).*

India's small and marginal farmers (SMF) were not left far behind. More than half of the GLC or the agri-credit was provided to these SMF (the share climbed from 41 percent a decade ago to 52 percent today) (DAFW 2026). Scheduled commercial banks' (SCB) priority-sector lending stood at 45 percent of Adjusted Net Bank Credit (ANBC) in March 2026, comfortably above the 40 percent regulatory floor *(RBI 2026).*

Yet some gaps persist.

Gap in coverage. Institutional agricultural credit has expanded more rapidly in value than in reach. According to NAFIS 2021-22, only about 45 percent of agricultural households reported borrowing. Among borrowing

households, 75.5 percent relied exclusively on institutional sources, implying that nearly one in four continued to depend, at least partly, on non-institutional credit. Such sources, including family and friends, relatives, input dealers and moneylenders, accounted for about 14 percent of the average amount borrowed by agricultural households.

Kisan Credit Card coverage remains similarly incomplete. Only 44.1 percent of agricultural households held a valid KCC, leaving nearly 56 percent outside the scheme *(NAFIS 2021-22).*

Tenant farmers are still largely excluded. Without land title, tenants cannot access institutional loans, take crop insurance on leased land, or qualify for PM-Kisan and most state schemes. Joint Liability Groups (JLG) reach only a small share of these households. The Haque Committee had recommended enactment of a model tenancy law so that tenants could be formally recorded without ownership risk to landowners. Such reform would extend the reach of institutional credit to a category of farmer the current framework misses.

Farm loan waivers may provide temporary relief to indebted borrowers, but weaken the wider agricultural credit system. Expectations of future waivers erodes repayment discipline, increases default risk by even the honest borrowers and reduce banks' willingness to extend fresh loans.

Regional concentration is stark and durable. Over a third of

national institutional agri-lending is concentrated in just three southern states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka (NABARD 2025) and these states are home to less than 20 percent of Indian farmers (Agri Census 2015). Figure 2. Additionally, NABARD's own refinance data shows that the southern region accounted for 46 percent of short-term refinance disbursement and 42 percent of long-term refinance disbursement in FY 2024-25; the North-East accounted for less than 2 percent of long-term refinance (NABARD 2025). Agricultural credit is not, in practice, reaching where most of India's agricultural households live.

Diversion of subsidized agri-credit to non-agri uses. RBI's Internal Working Group on Agricultural Credit (2019) found that outstanding short-term credit in several major agricultural states now substantially exceeds the total input requirement of the state's cultivation: Kerala at 326 percent, Andhra Pradesh at 254 percent, Punjab at 231 percent, a pattern the RBI itself interprets as plausible diversion of subsidised agri-credit to non-agricultural uses. The rising credit intensity metric is doing at least two things at once: some genuine capital deepening, and some subsidy arbitrage that never converts to agricultural GVA at all. To address this concern about diversion, the RBI's Internal Working Group on Agricultural Credit recommended that interest-subvention-eligible crop loans be routed exclusively through KCC, precisely to curb such misuse *(RBI 2019).*

Farm-loan waivers erode the credit culture without reducing long term distress. Between 2012 and 2026, sixteen state governments implemented farm-loan waiver schemes, several of them more than once. Since 2022 alone, three major states waived loans: Telangana rolled out a Rs. 31,000 crore waivers of loans up to Rs. 2 lakhs from July 2024, benefitting approximately 70 lakh farmers; Maharashtra's Punyashlok Ahilyadevi Holkar Farmer Debt Relief Scheme, approved in 2025-26, waives crop loans up to Rs. 2 lakhs with an estimated fiscal outgo of around Rs. 36,585 crores; and Tamil Nadu, months before its April-May 2026 state elections, waived cooperative crop loans up to Rs. 75,000 for 14.43 lakh farmers at a cost of Rs. 5,932 crores (Government of Telangana 2024; Government of Maharashtra 2025; Government of Tamil Nadu 2026). Many of these waivers are times around elections *(NABARD 2022).*

Future policy should place greater emphasis on the quality and purpose of agricultural lending. A larger share of institutional finance should support long-term productive investments such as irrigation, mechanisation, post-harvest infrastructure, protected cultivation, livestock, fisheries and renewable energy.

Farm loan waivers may provide temporary relief to indebted borrowers, but they can weaken the wider agricultural credit system. Saini et al. (2021) find that waiver may provide temporary relief to indebted borrowers, but weaken the wider agricultural credit system. Expectations of future waivers erodes repayment discipline, increases default risk by even the honest borrowers and reduce banks' willingness to extend fresh loans. Waivers also imposed substantial opportunity costs on state budgets by diverting resources from productivity-enhancing expenditure, including irrigation, soil and water conservation, agricultural research and education, and capital formation.

In 2024, RBI issued a Model Operating Procedure for Government Debt Relief Schemes (DRS)- its first structured framework on the subject noting that "frequent DRS announcements risk eroding credit discipline, encourage repayment delays, and disrupt credit supply" and directing that debt relief schemes "should be considered only as a measure of last resort when other measures to alleviate financial

Photo: Rural World

Figure 1: Trends in the Disbursement of Agricultural Credit (Rs. lakh crores)

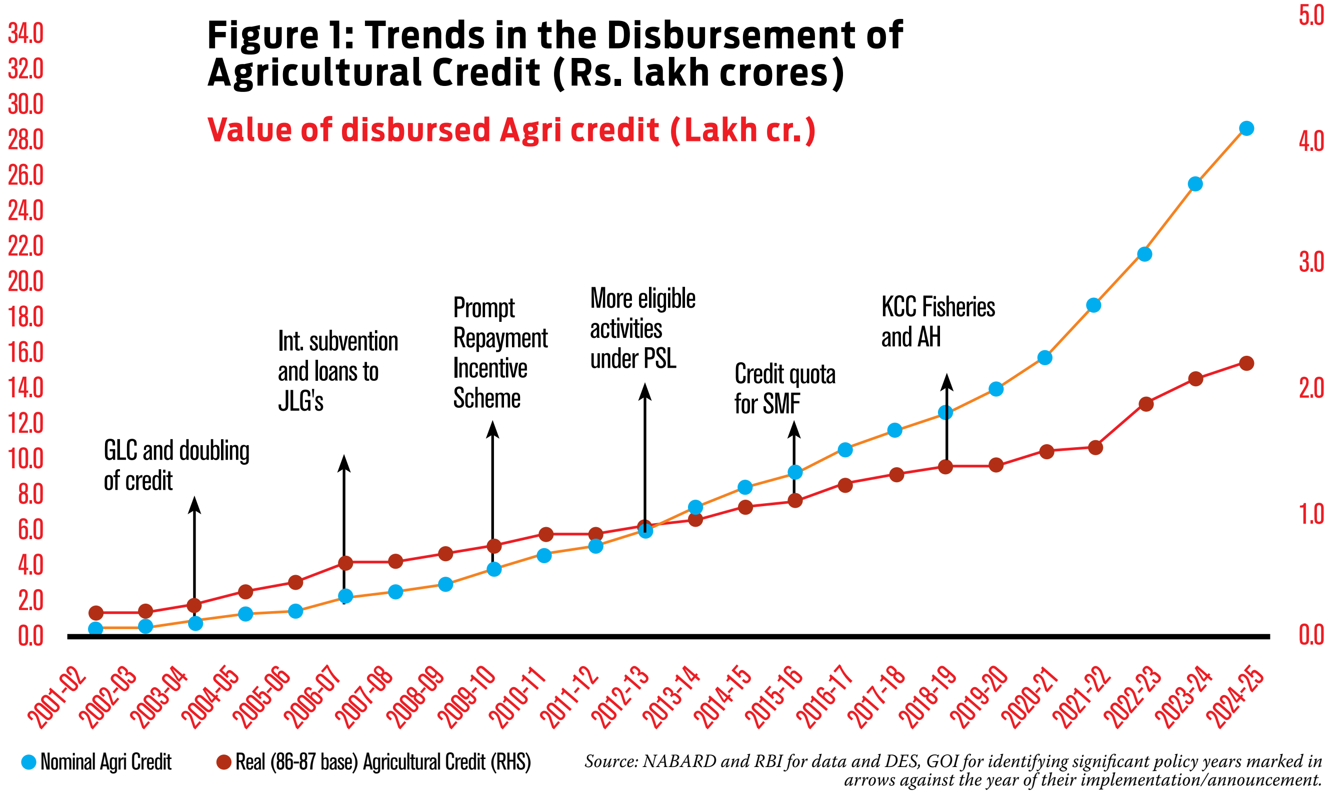

Source: NABARD and RBI for data and DES, GOI for identifying significant policy years marked in arrows against the year of their implementation/announcement.

stress have failed," with broad-based relief better addressed through Direct Benefit Transfer than through waivers *(RBI 2024).*

The application process itself is a barrier for those the system most needs to reach. A farmer applying for a crop loan typically requires between six and eight documents including KYC, land records, girdawari, tax receipts, title deeds, no-dues certificates, which are often communicated in banking language that small and marginal farmers cannot easily navigate (NABARD 2022). Middlemen have emerged in some states to bridge this gap, who took a percentage of the sanctioned loan *(Saini et al 2021).* Since then, the Government has attempted to compress this friction through the Kisan Rin Portal, launched in September 2023, which integrates 1.8 lakh bank branches across 30 SCBs, 43 RRBs, 20 State Cooperative Banks and 356 DCCBs, and validates KCC applications against 54 pre-identified data fields drawn from AgriStack, PMFBY, UIDAI and the electronic Scale of Finance (DAFW 2026). Whether these digital rails have narrowed the gap for the small, illiterate borrower or have merely made the eligible farmer's journey faster, remains an open question.

Yet, overall, one assesses that India has largely solved the problem of mobilising institutional agricultural credit, now the issue is about solving for equitable access, appropriate use, productive additionality, and repayment discipline. We make few suggestions below,

Policy Recommendations

1) Move Beyond Credit Targets Towards Investment-Led Agricultural Finance: India's agricultural credit policy has largely been evaluated through annual disbursement, which have grown from less than Rs. 1 lakh crore in the early 2000s to nearly Rs. 29 lakh crores in 2024-25 (Figure 1). While this expansion represents a significant policy achievement but increasing credit volumes alone is not the solution. Future policy should place greater emphasis on the quality and purpose of agricultural lending. A larger share of institutional finance should support long-term productive investments such as irrigation, mechanisation, post-harvest infrastructure, protected cultivation, livestock, fisheries and renewable energy, complemented by extension services, insurance and market access to improve repayment capacity and long-term farm productivity.

2) Adopt Region-Specific Agricultural Credit Planning: The analysis highlights a growing spatial imbalance in institutional credit, with lending concentrated in a relatively small number of agriculturally advanced states while other regions continue to exhibit

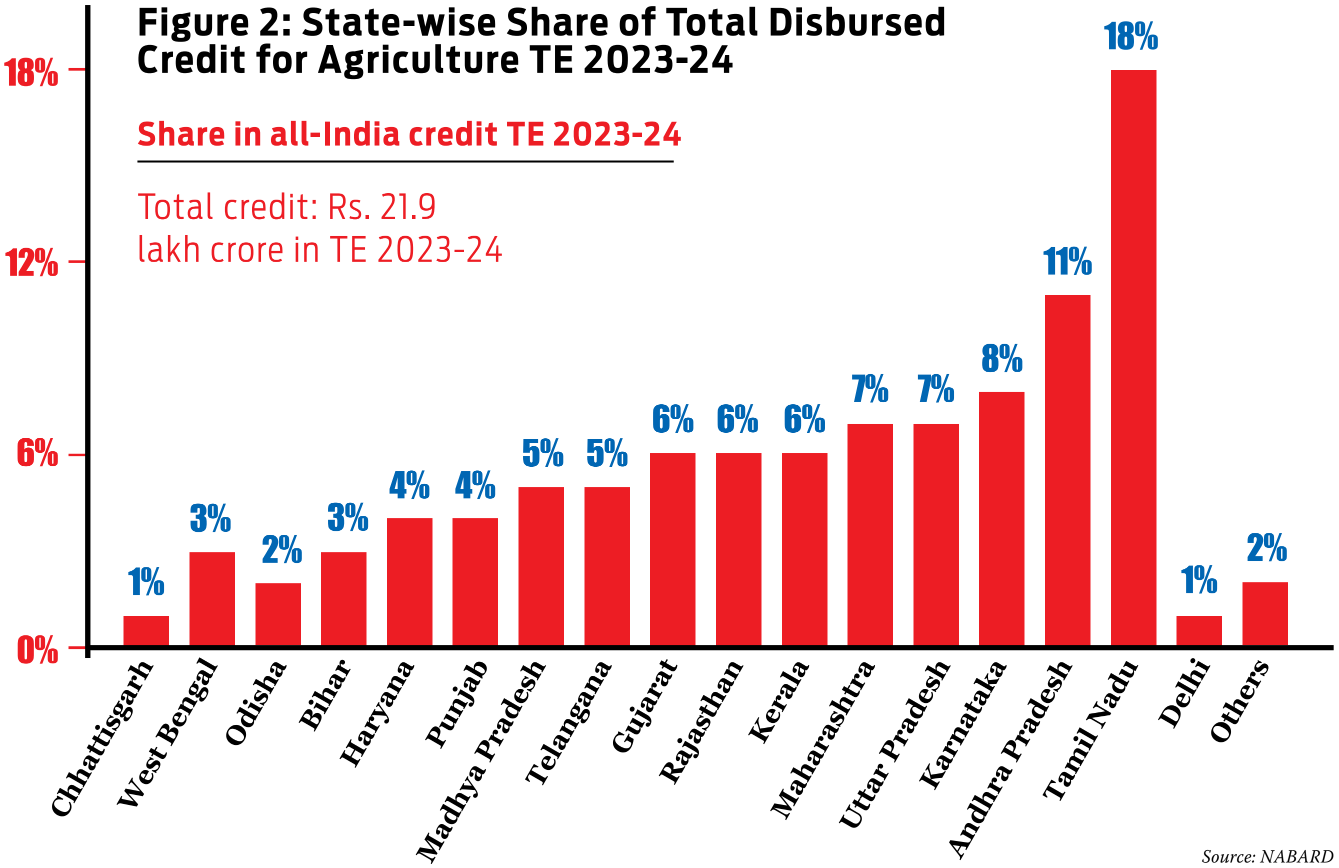

lower institutional penetration. Uniform national lending targets cannot adequately address these differences. Agricultural credit planning should therefore incorporate state-specific cropping systems, agro-climatic conditions, irrigation intensity, banking infrastructure and regional investment needs. Such an approach would enable underserved regions to expand access to formal finance while allowing high-credit states to increasingly prioritise investment-led and climate-resilient agricultural development.

3) Integrate Agricultural Credit Within A Broader Rural Financial Ecosystem: Access to credit alone cannot address rural financial vulnerability. Agricultural finance should therefore be viewed as one component of a broader rural financial ecosystem that integrates crop insurance, digital financial services, savings, Farmer Producer Organisations (FPOs), extension services and market linkages. Equally important, policy evaluation should move beyond measuring disbursement volumes and instead assess whether institutional credit improves farm productivity, household income, repayment performance and resilience to shocks. Such outcome-oriented monitoring would provide a more meaningful assessment of the effectiveness of agricultural credit policy.

4) Non-Institutional Credit Continues To Stay Important For AHH: Informal lenders often remain the quickest source of credit for tenant farmers, smallholders and households facing urgent consumption or medical expenses. The policy objective should therefore be regulation rather than elimination. A model framework should require professional lenders to register, disclose interest rates and charges, maintain written or digital loan records, issue repayment receipts and follow defined recovery practices. It should prohibit usurious interest, coercive recovery, blank loan documents and the unauthorised seizure of productive assets. District-level grievance mechanisms and a clear distinction between commercial moneylending and occasional loans from family or friends would help retain the accessibility of informal credit while reducing opacity and exploitation.

5) Shift from Reactive Loan Waivers to Preventive Distress Management: Rural indebtedness is real and is mostly caused

by commodity price cycles and weather and monsoon vulnerabilities. The discussion on recurring farm loan waivers illustrates that governments continue to respond to agrarian distress after financial stress has already accumulated. While waivers may provide temporary relief, they do little to address the underlying drivers of indebtedness. A more sustainable approach would integrate the Farmer Distress Index (FDI), developed by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, into agricultural credit planning. By identifying regions facing elevated distress before repayment capacity deteriorates, the FDI can enable financial institutions to deploy concessional credit, temporary restructuring, insurance support and targeted livelihood interventions proactively rather than relying on repeated loan waivers. This would improve both the efficiency of institutional credit and the resilience of vulnerable farming households.

The next phase of agricultural credit reform should move beyond simply expanding the volume of credit and instead focus on improving its quality. Future policy should prioritise equitable access for underserved farmers, ensure that credit is allocated where it is most needed, encourage productive investments that enhance farm incomes and resilience, and strengthen repayment capacity through complementary interventions such as market access, insurance, extension services and risk management. In other words, the success of agricultural credit policy should increasingly be measured not by how much credit is disbursed, but by how effectively it contributes to sustainable agricultural development. Rw

REFERENCES

- Chand, R., and Parappurathu, S. (2012). "Temporal and Spatial Variations in Agricultural Growth and its Determinants."
- Chavan, P. (2005). "Banking Sector Reforms and Agricultural Credit in India."
- DAFW (2026). Annual Report 2025-26. Department of Agriculture & Farmers' Welfare, Government of India — Chapter 12, Agricultural Credit.
- Government of India (2024). Economic Survey 2023-24.
- Haque, T., and Goyal, A. (2021). "Access to Institutional Credit by Farmers in Eastern India."
- Kerala State Planning Board (2017). Economic Review 2017, Chapter 22.
- NABARD (2022). Farmer Indebtedness and Loan Waivers: A Study across Punjab, Maharashtra and Uttar Pradesh. National Bank for Agriculture and Rural Development, Mumbai.
- NABARD (2024). All India Rural Financial Inclusion Survey (NAFIS) 2021–22. National Bank for Agriculture and Rural Development, Mumbai.
- NABARD (2025). Annual Report 2024-25. National Bank for Agriculture and Rural Development, Mumbai — Chapter 6, Credit Planning and Delivery for Financial Inclusion.
- NSO (2021). Situation Assessment of Agricultural Households and Land and Livestock Holdings in Rural India, 2019 (SAS 2019). National Statistical Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India.
- NSO (2021). All India Debt and Investment Survey (AIDIS) 2019, 77th Round. National Statistical Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India. (Historical 1951–2013 shares drawn from earlier AIDIS rounds compiled in NABARD 2022.)
- Patel, U. (2017). "Agricultural Debt Waiver — Efficacy and Limitations." RBI speech
- RBI (2026). Annual Report 2025-26. Reserve Bank of India, Mumbai — Chapter IV, Credit Delivery and Financial Inclusion
- RBI (2019). Report of the Internal Working Group to Review Agricultural Credit, Chaired by Shri M. K. Jain. Reserve Bank of India, September 2019.
- Saini, S., Hussain, S., & Khatri, P. (2021). Farm loan waivers in India: Assessing impact and looking ahead (NABARD Research Study No. 22). National Bank for Agriculture and Rural Development. https://www.nabard.org/auth/writereaddata/tender/2304223730farm-loan-waivers-in-india-assessing-impact-and-looking-ahead_compressed.pdf

The New Ecosystem of Rural Finance

Why affordable capital still fails to reach small farmers despite record agricultural lending, and how fintech is reshaping rural finance

S.K. Singh

Agricultural lending in India has now entered its third phase. The first phase was driven by banks under the Priority Sector Lending (PSL) framework. This was followed by the rise of Non-Banking Financial Companies (NBFCs). Today, in the third phase, financial technology (fintech) companies are rapidly emerging as key players in meeting the credit needs of the farm sector. Beyond farmers, fintech firms are extending credit to Farmer Producer Organisations (FPOs), dairy, livestock and fisheries enterprises, as well as agri-entrepreneurs. Technology has not only simplified the lending process but has also made it more transparent. However, experts caution that this emerging agricultural credit ecosystem requires close regulatory oversight to prevent it from turning into a financial 'bubble' in the future.

The rise of fintech has been driven by several structural changes. According to the Economic Survey 2025-26, the share of non-institutional credit in agriculture declined dramatically from 90 percent in 1950 to just 23.4 percent in 2021-22. This reflects a significant reduction in farmers' dependence on moneylenders and a strengthening of the formal financial system.

The Economic Survey also highlights a critical imbalance. Agricultural activity, PM-KISAN beneficiaries and institutional credit are unevenly distributed across regions. For instance, Central India accounts for nearly 30 percent of the country's gross cropped area and has the largest number of PM-KISAN beneficiaries. Yet, the region received only 14.7 percent of the total disbursement under the Modified Interest Subvention Scheme (MISS). This indicates that institutional agricultural credit remains unevenly distributed. It is this gap that NBFCs initially sought to address, and which fintech companies are now trying to bridge at a much faster pace.

The Rise of Technology-Based Lending Platforms

Digital lending platforms are using digital identity, e-KYC, Aadhaar, UPI, Account Aggregator frameworks and alternative data to reach farmers who were previously underserved by conventional banking channels. These innovations have significantly reduced loan approval timelines while making the lending process more efficient.

According to Satyam Shivam Sundaram, Partner, Strategy & Transactions at EY, "Fintech has made credit far more accessible. It has enabled the creation of a digital persona for every borrower and introduced greater transparency into the lending process. Today, lenders have sophisticated tools to evaluate borrowers and assess credit risk much more accurately. Agricultural credit, which was earlier largely push-

India has nearly 45,000 FPOs (including the 10,000 FPOs promoted under the Central Government scheme), but only around 5,000 to 7,000 have been able to access institutional credit.

Pravesh Sharma
Former MD, SFAC and retired IAS

Demand for long-term finance for post-harvest infrastructure, including warehouses, cold storage facilities and processing units, is also expected to grow rapidly.

Satyam Shivam Sundaram
Partner, Strategy & Transactions, EY

NBFCs provide an alternative source of finance, but some NBFCs charge interest rates of up to 24 percent, and in several cases, levy compound interest, increasing the repayment burden on borrowers.

Yogesh Dwivedi, CEO, Madhya Bharat Consortium of FPC Limited

driven because of regulatory and government mandates, has increasingly become pull-driven, with demand now emerging from borrowers themselves."

He explains that lending decisions primarily depend on two factors: the credibility of the borrower - whether an individual or an institution - and the viability of the project for which credit is sought. Today, e-KYC, Aadhaar-based verification and digital credit histories provide transparent information that allows lenders to evaluate borrowers' past financial behaviour and estimate lending risks with much greater confidence.

Sundaram believes that FPOs, Self-Help Groups (SHGs), cooperatives and agri-entrepreneurs will play an increasingly important role in India's agricultural value chain over the coming years. Consequently, demand for long-term finance for post-harvest infrastructure, including warehouses, cold storage facilities and processing units, is also expected to grow rapidly.

Technology Alone Is Not Enough

However, technology alone cannot solve the structural challenges of agricultural finance. Pravesh Sharma, former Managing Director of the Small Farmers' Agribusiness Consortium (SFAC) and a retired IAS officer, believes that the biggest challenge remains ensuring adequate capital for Farmer Producer Organisations.

According to Sharma, India has nearly 45,000 FPOs (including the 10,000 FPOs promoted under the Central Government scheme), but only around 5,000 to 7,000 have been able to access institutional credit. The primary reason is that processing small-ticket agricultural loans is expensive for banks, making this segment commercially unattractive.

Sharma notes that while NBFCs have attempted to fill this financing gap, they face limitations of their own. Since they largely depend on banks for funding, their lending rates often range between 18 and 20 percent. As a result, FPOs typically approach NBFCs for their initial loans because of more flexible lending norms. However, once they establish a credit history, they generally shift to banks, where borrowing costs are significantly lower.

Drawing from his experience as a recent board member of agri-financing company Samunnati, Sharma points out that the company used to provide loans of up to Rs 500,000 to newly formed FPOs within a week of their incorporation based on cash-flow assessments rather than collateral. However, nearly 80 percent of these FPOs subsequently obtained their second loan from banks. In his view, the biggest challenge facing FPOs is not market access but the availability of affordable working capital. This is why he believes fintech has only limited relevance for FPO financing.

The Cost of Credit Remains a Concern

Yogesh Dwivedi, Chief Executive Officer of the Madhya Bharat Consortium of Farmers Producer Company Limited, offers another perspective. He argues that nearly 60 percent of farmers still do not receive adequate credit from the formal banking system. In such cases, NBFCs provide an alternative source of finance,

Budget Allocations

- **Modified Interest Subvention Scheme (MISS):** Allocation of Rs 22,600 crore has been made for FY2026-27, unchanged from the previous year. Government spent Rs 17,812 crore on the scheme in FY2024-25.
- **PM-Kisan Samman Nidhi:** Allocation for FY2026-27 has been kept unchanged at Rs 63,500 crore, the same as the previous year. Actual expenditure under the scheme stood at Rs 66,121 crore in FY2024-25.

The Growing Role of Non-Bank Credit in India's Agrifood Economy

Five minutes. That's how long it takes for a farmer to get a loan approved after walking into one of Arya.ag's warehouses. That's faster than a quick commerce order in some of the fastest Indian cities. A grain farmer arrives with freshly harvested grains, the produce is weighed, AI-enabled scanners assess its quality, and within minutes, a loan worth 60-75% of its value is credited to the farmer's bank account. There's no paperwork, and no weeks worth of waiting.

The grain stays safely in storage, giving the farmer the freedom to sell later, when market prices improve rather than immediately after harvest.

Arya.ag is one example of a broader shift taking place across

Mark Kahn

Managing Partner, Omnivore

India's credit ecosystem for agriculture and allied activities. India's agricultural credit has expanded significantly in recent years, highlighting the rising demand for capital across the rural economy. While scheduled commercial banks continue to account for the majority of agricultural lending; NBFCs, fintechs, and embedded finance platforms are increasingly addressing financing needs across agriculture and allied sectors by developing products tailored to specific value chains and business models.

As the agrifood economy has become more specialized, so have its capital needs. The financing needs of the sector now extend far beyond seasonal crop loans. Farmers increasingly require capital not only to purchase inputs, but also to store produce after harvest, invest in mechanization, diversify into allied activities such as dairy and fisheries, and manage cash flows throughout the year. At the same time, Farmer Producer Organizations (FPOs), warehouses, processors,

but often at a steep cost. According to him, some NBFCs charge interest rates of up to 24 percent, and in several cases, levy compound interest, increasing the repayment burden on borrowers. Given the inherent uncertainty of agriculture, such borrowing can push farmers into a debt trap.

Dwivedi points out that farming does not generate daily cash flows. If a farmer borrows at high interest for a crop that will be harvested only after four to six months, repayment becomes difficult if adverse weather or weak market prices affect production.

He believes that small farmers need much more than access to credit. They also require technical guidance, market linkages and risk management support to improve farm incomes and reduce financial vulnerability.

At the same time, he acknowledges that NBFCs play a constructive role in helping farmers and FPOs build a formal credit history. They also provide an important source of interim finance when bank loans are delayed, enabling FPOs to continue their agricultural operations without interruption.

Improving the Quality of Agricultural Credit

Climate change has emerged as a new challenge for agricultural finance. Unseasonal rainfall, heat stress, emerging crop and livestock diseases, and increasing production uncertainty are raising credit risks for lenders. According to Satyam, loans and insurance are likely to become increasingly complementary in the coming years. Advances in satellite imaging and digital data now make it possible to assess crop losses at the individual farm level, enabling better management of both insurance claims and credit risk.

One of fintech's biggest strengths lies in its low operating costs and data-driven risk assessment capabilities. Digital documentation, e-KYC, online payments and alternative data sources have significantly accelerated loan disbursement. As a result, fintech companies are no longer confined to consumer lending; they are increasingly designing financial products for agriculture, livestock, dairy, fisheries and rural enterprises. They are promoting financial inclusion through innovative products such as warehouse receipt financing, farm equipment loans, seasonal working capital and co-lending partnerships with banks.

Even so, experts believe that technology alone cannot address the structural challenges of agricultural finance. If credit remains expensive or repayment terms fail to match the cash-flow cycles of farming, digital lending platforms will not provide a sustainable solution for farmers. The next phase of agricultural finance, therefore, is not merely about expanding the volume of credit but about improving its quality.

exporters, agri-input retailers, and logistics providers require working capital to procure produce, finance inventory, bridge receivables, and keep agricultural supply chains moving. Rather than replacing banks, the emerging non bank institutions expand the reach of formal finance by serving financing needs that require greater speed, flexibility, or specialized underwriting.

A farmer benefits when an FPO has the capital to aggregate produce, when a processor can purchase immediately after harvest, when a warehouse can finance stored grain, or when an exporter has the liquidity to fulfill an order. Increasingly, the efficiency of agricultural markets depends on capital flowing seamlessly across the entire value chain.

Arya's model is a great example of how non bank credit benefits multiple touchpoints in the agrifood ecosystem. Warehouse receipt allows produce to be stored instead of sold immediately, giving farmers greater flexibility over when they sell. Working capital reaches the farmer when it is needed most, while warehouses remain utilized, processors gain more reliable procurement, and banks are able to participate through lending partnerships. A single financing product improves outcomes across multiple participants in the agricultural value chain.

A farmer benefits when an FPO has the capital to aggregate produce, when a processor can purchase immediately after harvest, when a warehouse can finance stored grain, or when an exporter has the liquidity to fulfill an order. Increasingly, the efficiency of agricultural markets depends on capital flowing seamlessly across the entire value chain.

This is why non-bank credit has become increasingly important to India's agrifood economy. Its role is to broaden the financial system's ability to serve an increasingly complex and interconnected sector.

As agriculture evolves from a production-centric industry into an integrated agrifood economy, financing cultivation alone is no longer enough. The next phase of agricultural growth will depend on financing every stage of value creation: from the purchase of inputs to the movement of food from farm to consumer. Banks will remain central to that journey, while NBFCs and inclusive fintechs are emerging as the connective link that makes the entire ecosystem more efficient, resilient, and inclusive.

Agri Credit Triples in a Decade

Fin. Year	Crop Loan	Term Loan	Total
2014-15	6.35	2.10	**8.45**
2015-16	6.65	2.50	**9.15**
2016-17	6.89	3.76	**10.65**
2017-18	7.53	4.09	**11.62**
2018-19	7.72	5.05	**12.77**
2019-20	8.25	5.68	**13.93**
2020-21	8.94	6.82	**15.76**
2021-22	11.00	7.64	**18.64**
2022-23	13.19	8.36	**21.55**
2023-24	15.08	10.40	**25.48**
2024-25	16.22	12.45	**28.67**

(Figures in Rs lakh crore, Source: Annual Report 2025-26, Min. of Agriculture and Farmers' Welfare)

India's agricultural economy is entering a phase where the demand for capital is rising rapidly. FPOs, agri-startups, agri-processing, dairy, fisheries and agricultural infrastructure are expected to become major engines of rural growth in the years ahead. Meeting their financing needs will require a combination of traditional banking and modern fintech solutions. Equally important, however, will be a balanced regulatory framework. As Satyam cautions, "If fintech-led agricultural lending expands without adequate oversight, it could eventually turn into a financial bubble. Transparency, public disclosure of data and responsible lending practices must therefore be given the highest priority."

It is evident that the next chapter of agricultural credit in India will not be defined merely by the volume of lending. Its real success will be measured by whether small farmers, FPOs and rural entrepreneurs gain equitable access to affordable, timely and sustainable financial services. Only then can the expansion of agricultural credit truly become a foundation for inclusive rural development. Rw

Rural Incomes Weaken, Informal Credit Gains Ground

The latest NABARD survey points to emerging stress in the rural economy, with rural income growth slowing to a two-year low while rural households' reliance on informal credit is increasing

Ajeet Singh

India's rural economy is showing signs of losing momentum as weaker income growth, subdued savings and rising dependence on informal credit point to growing financial stress among rural households. The findings come at a time when concerns over an El Niño-led weak monsoon continue to weigh on agricultural prospects.

According to the National Bank for Agriculture and Rural Development (Nabard)'s Rural Economic Conditions and Sentiments Survey (July 2026), only 27.7 per cent of rural households reported an increase in income over the past year, down from 29.6 per cent in the previous survey and 42.2 per cent in November 2025. This is the lowest level since the bi-monthly survey was launched in September 2024.

Meanwhile, 52.6 per cent of households said their income remained unchanged during the past year, while 19.8 per cent reported a decline in income. In other words, nearly 72.4 per cent of rural households experienced either stagnant or declining incomes, highlighting the slowdown in rural income growth.

Nabard attributed the moderation to higher global commodity prices, concerns over El Niño conditions, below-normal rainfall in parts of the country and slower kharif sowing. However, it noted that overall rural conditions remained broadly stable due to the progress of the southwest monsoon and continued public spending.

Consumption and savings lose momentum

The slowdown in income growth is also reflected in household spending patterns. The proportion of rural households reporting an increase in consumption expenditure declined to 74.1 per cent, compared with 77.2 per cent in May 2026 and 76.6 per cent in July 2025. It is only the second time since the survey began that the figure has fallen below 75 per cent.

Despite this moderation, rural households continue to spend nearly two-thirds (66.5 per cent) of their monthly income on consumption, while 12.5 per cent is spent on loan repayments. The figures indicate that a significant share of household income is being absorbed by essential expenditure and debt servicing, leaving limited scope for savings.The survey also found that the share of households reporting

Sources of Loan- July 2026 (% Share)

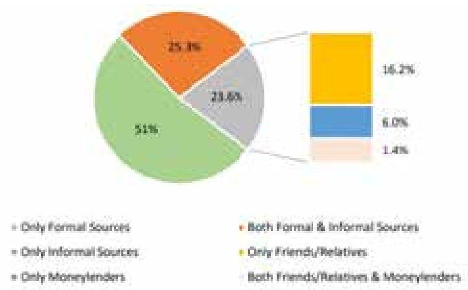

an increase in financial savings fell to 17.8 per cent, the lowest level since the survey was introduced.

Informal borrowing gathers pace

The most significant finding of the survey is the growing dependence on informal sources of credit, where borrowers typically face much higher borrowing costs than in the formal financial system.

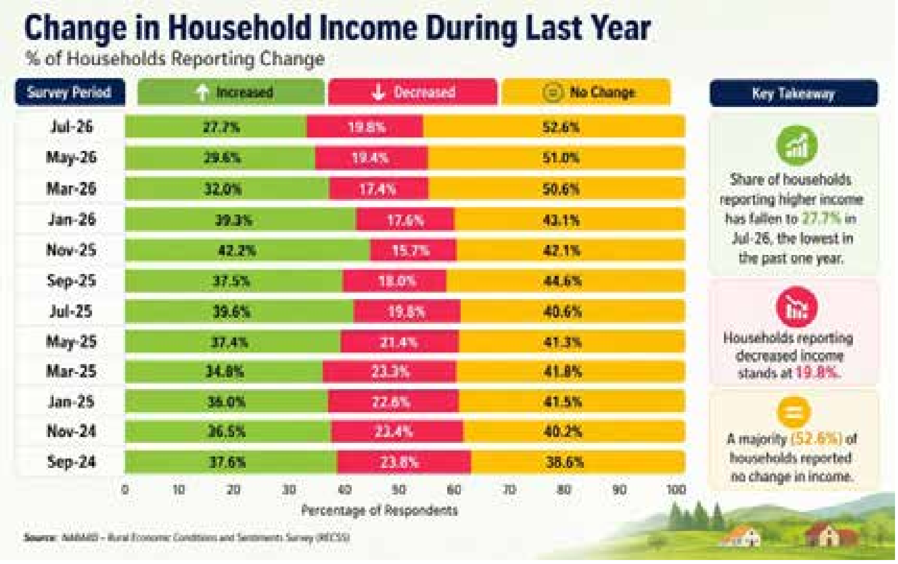

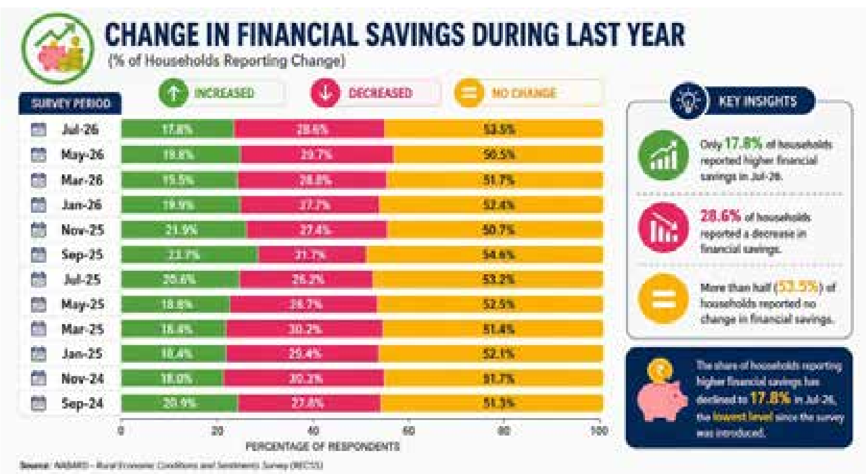

The share of households relying exclusively on formal sources of credit—including banks, NBFCs and cooperative institutions—declined to 51 per cent, down from a peak of 58.3 per cent recorded in November 2025.

In contrast, the proportion of households depending solely on informal sources of finance rose to 23.6 per cent, compared with 17.6 per cent in March 2025, the highest level recorded since the survey began.

Among households relying exclusively on informal finance, nearly two-thirds borrowed from friends and relatives. Of all households dependent solely on informal credit, 16.2 per cent borrowed only from friends and relatives, 6 per cent relied exclusively on moneylenders, while 1.4 per cent borrowed from both.

Another 25.3 per cent of rural households reported borrowing from both formal and informal sources.

According to the survey, loans obtained from informal sources carried an average interest rate of 17.77 per cent. Around 20 per cent of respondents, however, reported receiving interest-free loans, suggesting that these borrowings largely came from family members, relatives or friends.

The increasing reliance on informal finance suggests that rural households may be facing growing liquidity pressures or encountering barriers in accessing institutional credit.

Commenting on the trend, Abheek Barua, Chief Economist at HDFC Bank, told Rural World that convenience remains the primary reason behind the continued dependence on informal lenders.

"Reliance on informal credit is largely driven by ease of access. Financial literacy may still be a factor to some extent. Although most rural households now have access to banking services, thanks in part to financial inclusion initiatives, the formal lending process—including credit assessment and documentation—continues to appear cumbersome for many borrowers. As a result, people often find it more convenient to borrow from family members, relatives or moneylenders," he said.

Financial literacy remains weak

A separate Nabard study conducted in June 2026 found that only 23 per cent of rural households were aware of what a credit score is and how it affects access to loans, highlighting a significant financial literacy gap despite efforts to expand institutional lending.

The study also found that nearly half of rural households considered borrowing to be too expensive. Many respondents said that lower borrowing costs, including through interest subvention schemes, would improve access to formal finance.

The findings assume greater significance in the context of the Union Budget 2026-27, which announced the introduction of a Grameen Credit Score framework aimed at helping rural borrowers build formal credit histories and improve access to institutional finance.

Rural confidence weakens

The July 2026 survey also showed that rural households have become more cautious about the future.

The proportion of households expecting improvements in income and employment over the next quarter fell to the lowest level since the survey began. Likewise, the share of households expecting higher incomes over the next year declined to 66.8 per cent, another record low.

Nabard said uncertainty surrounding monsoon conditions and broader economic developments has weighed on rural sentiment. If income and employment conditions do not improve in the coming months, the slowdown could begin to affect rural consumption, investment and overall economic activity more visibly. RW

The Compensation Conundrum

Millions of farmers enrol under PMFBY every year, but many complain of meagre payouts or rejected claims. Why does this gap persist, and can technology bridge it?

S.K. Singh

Dinesh Wagh's pigeon pea crop in Maharashtra's Solapur district was destroyed by an intense heatwave in 2024. He expected his crop insurance to cushion at least a part of the financial blow. Instead, after completing all formalities, he received just Rs 6,670. Had the crop survived, he says, it would have fetched him Rs 70,000-80,000. The experience was disappointing enough for him to skip insurance for his five-acre banana crop this year. Ironically, when storms later flattened nearly half of his banana plantation, he was left with no compensation at all.

Wagh's experience reflects a wider pattern across India's farming landscape. Farmers frequently complain that insurance payouts are either too small to compensate for actual losses or are rejected despite visible crop damage. Yet, on paper, the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) remains the world's largest crop insurance programme, covering millions of farmers every season. Government data also show that insurance companies have retained a surplus exceeding Rs 10,000 crore annually since 2019 *(see box)*, raising fresh questions over whether the scheme is truly delivering on its promise.

Industry leaders that the Rural World spoke to, however, argue that the issue is far more complex than it appears. The scheme is based on scientific yield estimation, predefined operational guidelines and actuarial principles, not individual loss assessment. The challenge, they say, lies in bridging the gap between farmers' expectations and how crop insurance actually works.

Area-Based Insurance, Not Individual Compensation

Perhaps the biggest misconception about PMFBY is that it compensates farmers for the exact loss suffered on their own fields.

According to Subrata Mondal, Managing Director & CEO of IFFCO-Tokio General Insurance, PMFBY primarily follows an area approach. "Crop insurance claims are mainly decided by looking at the average crop yield of a notified Insurance Unit rather than measuring losses in every individual farmer's field," says Mondal.

Before every season, the government fixes a Threshold Yield for each notified insurance unit. At harvest, the Actual Yield is determined through Crop Cutting Experiments (CCEs). If actual production falls below the threshold, every insured farmer within that insurance unit becomes

eligible for compensation.

The compensation amount depends on how much the yield has fallen and the insured area of the farmer. Since the calculation is based on the average loss of the entire Insurance Unit, a farmer whose individual crop loss is much higher than the average loss of the insurance unit may receive compensation that appears disproportionately small.

Krishnamoorthy Rao, Managing Director & CEO of Generali Central Insurance Company Ltd., agrees that this 'basis risk' is inherent in the area approach. He explains that PMFBY provides multiple layers of protection - including prevented sowing, mid-season adversity, localized calamities and post-harvest losses - but the basic indemnity cover is still calculated at the notified insurance unit level. Consequently, there can be a mismatch between an individual farmer's actual loss and the compensation determined for the larger area.

When Claims Are Denied

Another frequent grievance among farmers is that visible crop damage does not always translate into insurance compensation. Insurance companies insist that crop damage alone does not automatically qualify for claims. Subrata Mondal explains that compensation depends entirely on whether losses fall within the provisions of PMFBY and the specific notifications issued by state governments for each season.

Claims may be rejected for several reasons. In certain cases, claims may not be admissible, such as when the crop or land is not covered, information provided is incomplete or inaccurate, enrollment or loss reporting is delayed, or the loss is due to risks not covered under the scheme.

He suggests, "Farmers can help ensure smooth claim processing by enrolling on time, providing correct details, and reporting eligible losses within the prescribed timelines."

Under PMFBY, crop insurance claims are mainly decided by looking at the average crop yield of a notified area (Insurance Unit), not by measuring the loss of each individual farmer's field.

Subrata Mondal
MD & CEO,
IFFCO-Tokio General Insurance

Krishnamoorthy Rao says delayed reporting is among the most common reasons for rejection. "Localized claims must be reported within 72 hours of the event. Late reporting results in automatic rejection." He advises farmers to report losses immediately through the Krishi Rakshak Portal, the Crop Insurance App, banks or agriculture officers.

Damage caused by preventable factors (e.g., poor farming practices, stray animals, or general theft) instead of notified perils, is also a factor. Rao suggests to verify sowing declarations, "Ensure that the common service center (CSC) or banks updates the correct crop name on the portal if sowing plans change, which is also a provision in the guidelines."

Budget Allocation

- **Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY):** FY2026-27 budget has allocated Rs 12,200 crore for the scheme, compared with the revised allocation of Rs 12,267 crore in FY2025-26 and Rs 14,473 crore in FY2024-25.

The Trigger Debate

Farmers also question the trigger conditions built into crop insurance. Dinesh Wagh says farmers in his district were told that heat-related claims become payable only when temperatures exceed 45°C. Since Solapur rarely crosses that threshold, severe crop damage often goes uncompensated. Similarly, another farmer, Dattatray Mule Patil, says wind-speed thresholds can determine whether storm damage qualifies for claims. Insurance companies acknowledge such concerns but point out that these parameters are defined under scheme guidelines rather than by insurers themselves.

Subrata Mondal admits that farmers may sometimes suffer substantial losses without receiving compensation because the notified insurance unit as a whole has not crossed the claim threshold.

To reduce this mismatch, insurers say technology-based assessment is gradually improving field-level accuracy. "Technologies are helping in improving the accuracy and timeliness of crop loss assessment, provide better insights at the farm level, and support faster and more transparent claim settlement," says Mondal.

Krishnamoorthy Rao reveals that the government is already examining possible reforms. He says, "Ministry of Agriculture and Farmer Welfare is already reviewing these concerns and are deliberating upon changing the Indemnity level (Yield Benchmark calculating factor) from 70%, 80% and 90% to giving an option of selecting a variable indemnity level as per State's view towards the risk for every crop at different insurance unit."

He also suggests, "Parametric Insurance can be bundled with

Basic Indemnity coverage for faster and predefined claim calculation under the add-on coverages which are survey dependent at this point of time."

Why Claim Settlements Get Delayed

Delayed claim settlement remains another major criticism of PMFBY. Insurers say many bottlenecks lie outside their control. Subrata Mondal notes, delays often arise because Crop Cutting Experiment results are submitted late. Government premium subsidies are also sometimes released behind schedule. Errors in Aadhaar details, land records, enrolment data or bank account information can further delay payments.

Mentioning delayed CCE data submission an operational challenge Krishnamoorthy Rao says that it postpones the calculation of actual yield. He suggests complete digitization and real-time upload of CCE results via mobile apps and adoption of more Tech based yield estimations. He explains that satellite-based monitoring now tracks vegetation health through indices such as NDVI, helping verify crop stress objectively.

He also recommends automatic financial pooling mechanisms to ensure timely release of state government subsidy shares. He says, "To abide with 64 VB, an insurer should receive 100% premium subsidy for claims settlement. The Central Government has already aligned themselves with advance premium subsidy payment to Insurers based upon historical insurance coverage."

Improving Transparency

Many farmers complain that they never fully understand policy conditions or the reasons behind deductions. Insurance companies say transparency has improved considerably in recent years.

Subrata Mondal explains, insurers, state governments and other stakeholders now conduct "regular

Insurers Retaining Over Rs 10,000 Crore Every Year

According to data on the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare's Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) website, farmers, state governments and the Centre together paid total premiums of Rs 2,17,260 crore over the last eight years, while insurance companies settled claims worth Rs 1,42,562 crore. The difference of Rs 74,697 crore over the period works out to more than Rs 10,000 crore annually. However, this should not be treated as insurers' profit, as they also incur operational and administrative expenses.

Total Premium, Claims Paid and the Savings

Year	Premium	Claims paid	Difference
2018	24,714.64	23,586.39	1,128.25
2019	26,397.96	25,873.89	524.07
2020	29,636.47	19,520.67	10,115.80
2021	29,915.08	19,022.47	10,892.61
2022	31,033.63	17,501.22	13,532.41
2023	29,661.79	18,215.48	11,446.31
2024	26,771.51	12,557.33	14,214.18
2025	19,128.98	6,284.85	12,844.13
Total	**2,17,260.06**	**1,42,562.30**	**74,697.76**

Figures in Rs crore up to 30 June 2026, Source: pmfby.gov.in

Kharif: Government Premium Support Declining

PMFBY data show that the number of states implementing the scheme increased from 22 in Kharif 2024 to 24 in Kharif 2025. However, total applications under PMFBY and the RWBCIS declined from 9.62 crore to 8.47 crore. Despite fewer applications, farmers' premium contribution rose 48% to Rs 2,227.49 crore. In contrast, the state governments' contribution fell 44%, while the Centre's share declined 33%. This trend has continued since Kharif 2023. Farmers' premiums increased from Rs 1,803 crore in 2023 to Rs 2,227 crore in 2025, while state support declined from Rs 10,525 crore to Rs 5,557 crore, and the Centre's contribution fell from Rs 8,082 crore to Rs 5,049 crore.

Rabi: Government Premium Has Been Declining Since 2021

Between Rabi 2024 and Rabi 2025, applications under PMFBY and RWBCIS declined from 52.9 million to 51.6 million. Despite this, farmers' premium contribution increased 1.25% to Rs 1,441 crore, while the state governments' share fell 29% and the Centre's contribution declined 19%.

Premium of Rabi Crops

Year	Farmers	States	Centre	Total	Claim Paid
2021	1,389.49	5,408.35	4,316.84	11,114.68	5,415.38
2022	1,409.73	5,395.11	4,205.22	11,010.06	6,445.31
2023	1,418.90	4,219.64	3,613.51	9,252.05	5,185.04
2024	1,423.20	3,411.35	3,033.32	7,867.87	3,965.15
2025	1,441.08	2,399.56	2,454.56	6,295.20	333.53

Figures in Rs crore, Source: pmfby.gov.in

awareness campaigns through Bima Pathshalas, village meetings, and print, electronic, and social media to educate farmers on enrolment, coverage, claims, and reporting timelines."

Farmers can also access policy and claim information through the National Crop Insurance Portal (NCIP), insurance companies, banks, CSCs, and Agriculture Department offices.

Krishnamoorthy Rao says the recently introduced DigiClaim Module automatically sends SMS updates at every stage - from premium subsidy receipt to claim approval and payout disbursement. The centralized Krishi Rakshak Portal, PMFBY chatbot and toll-free number 14447 now serve as integrated grievance redressal platforms.

Can Technology Fix the Gap?

Technology is rapidly transforming India's crop insurance ecosystem. Satellite imagery, drones, AI, geo-tagging and mobile applications are replacing many manual processes.

Subrata Mondal says, timely submission of yield and enrolment data, accurate digital records, and prompt release of government subsidies are critical for efficient and transparent claim processing.

To enhance the speed and reliability of claim settlement, PMFBY is increasingly leveraging technology-based solutions such as satellite imagery, drones, remote sensing, Artificial Intelligence (AI), and mobile-based CCE applications. These tools help improve the accuracy, transparency, and timeliness of crop loss assessment.

Meanwhile, the government's YES-TECH (Yield Estimation System based on Technology) initiative aims to standardize yield estimation and reduce human intervention. Following floods, hailstorms and other localized disasters, drones are increasingly deployed to capture high-resolution images for faster assessment.

Climate risks are also a factor that is forcing insurers to rethink crop insurance itself. Frequent droughts, floods, heatwaves and unseasonal rainfall are making historical yield patterns less reliable.

Farmers have an option to lodge claims under localized calamity and there are predefined procedures for assessment and claims calculation which an Insurer must comply with the Operational Guidelines.

Krishnamoorthy Rao
MD & CEO
Generali Central Insurance Co. Ltd.

Subrata Mondal says insurers are "increasingly adopting advanced technologies such as satellite imagery, remote sensing, drones, Artificial Intelligence (AI), GIS, and data analytics to monitor crop conditions, build robust risk databases, predict loss patterns, and improve risk assessment models."

Weather-based parametric insurance products are also gaining momentum. These products use predefined weather parameters, such as rainfall or temperature, as triggers for claim payments, enabling faster and more transparent loss assessment and quicker claim settlement.

Krishnamoorthy Rao believes insurers must move beyond historical yield averages towards forward-looking climate models that incorporate changing weather patterns. He advocates hybrid insurance products combining conventional yield insurance with parametric coverage for faster settlements.

A Scheme That Continues to Evolve

India introduced its first crop insurance programme in 1985, while PMFBY replaced earlier schemes in 2016. Scheme guidelines were revised again from the Kharif 2023 season after incorporating recommendations from various studies.

The scheme currently provides insurance against drought, floods, cyclones, hailstorms, heavy rainfall, pests and diseases. PMFBY is implemented through 20 empanelled insurance companies, including five public sector insurers.

Farmers pay 2% premium for Kharif foodgrain and oilseed crops, 1.5% for Rabi crops and 5% for commercial and horticultural crops, while the remaining premium is shared by the Centre and state governments. For Northeastern and Himalayan states, the sharing ratio is 90:10, while for other states it is 50:50.

The Road Ahead

Few government schemes have expanded crop insurance coverage as dramatically as PMFBY. Yet the debate has shifted from enrollment to effectiveness. Farmers want compensation that reflects actual losses. Insurers argue that scientific, area-based assessment remains essential for keeping the programme financially viable. The future of PMFBY will therefore depend on narrowing this perception gap.

Greater use of satellite imagery, drones, AI, digital yield estimation and parametric insurance could make assessments more precise and settlements faster. Better awareness among farmers about policy conditions and reporting timelines will also be equally important.

PMFBY has undoubtedly become the backbone of India's crop risk management system. But as climate change intensifies and farming becomes increasingly uncertain, the scheme will need to evolve from being merely the world's largest crop insurance programme into one that is also seen by farmers as the most responsive and trustworthy. Rw

From Orchards to Overseas: APEDA Opens Global Markets for Indian Farmers

From the organic apricot orchards of Ladakh to millet-based functional foods from Karnataka and GI-tagged mangoes from Madhya Pradesh, India's agricultural exports are undergoing a significant transformation. Increasingly, the country is exporting not just raw farm produce but premium, value-added and region-specific products that command higher prices in global markets.

Ajeet Singh

The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), under the Ministry of Commerce & Industry, has been at the forefront of this shift. Over the past few months, it has facilitated a series of first-of-their-kind exports from several states and Union Territories to destinations including the UAE, Oman, Austria, Iraq, New Zealand and the United States. These initiatives have connected farmers directly with international buyers, helping them realise 40–180 per cent higher returns than in domestic markets while showcasing India's growing strengths in quality, traceability and value addition.

The country's agricultural export strategy is also evolving. Rather than relying primarily on bulk commodities such as rice, wheat and marine products, India is increasingly promoting premium fruits, organic produce, GI-tagged products, processed foods and innovative functional food products. APEDA's approach goes beyond export promotion by building complete export ecosystems involving farmers, Farmer Producer Organisations (FPOs), cooperatives, processors, exporters and overseas retailers.

The initiatives mirror changing global consumer preferences for healthy, sustainable and traceable food products. India's diverse agro-climatic conditions, combined with improved post-harvest infrastructure and stronger international market linkages, are creating new opportunities for farmers to participate in high-value global supply chains. Together, these exports illustrate how India's agricultural trade is steadily moving from a strategy driven by volume to one driven by value.

Organic Ladakh Apricots Reach UAE for the First Time

APEDA facilitated the first export of a 5-metric-tonne consignment of organic apricots from Ladakh to the United Arab Emirates (UAE). Dispatched on 15 July 2026 through a strategic partnership with Lulu Group, the shipment establishes a direct market link between Ladakh's apricot growers and consumers in the UAE, marking a significant step in expanding exports of India's premium organic horticultural products.

Ladakh's high-altitude orchards and pollution-free environment produce organically grown apricots known for their rich flavour, nutritional value and superior quality. The export provides farmers access to premium international markets, improving price realisation while reducing post-harvest losses through organised procurement and efficient logistics. It is also expected to encourage wider adoption of quality production practices and strengthen export-oriented value chains in the region.

APEDA continues to collaborate with the Ladakh administration, exporters, Farmer Producer Organisations (FPOs), cooperatives and international buyers to strengthen export infrastructure, improve market access and promote India's premium organic products globally.

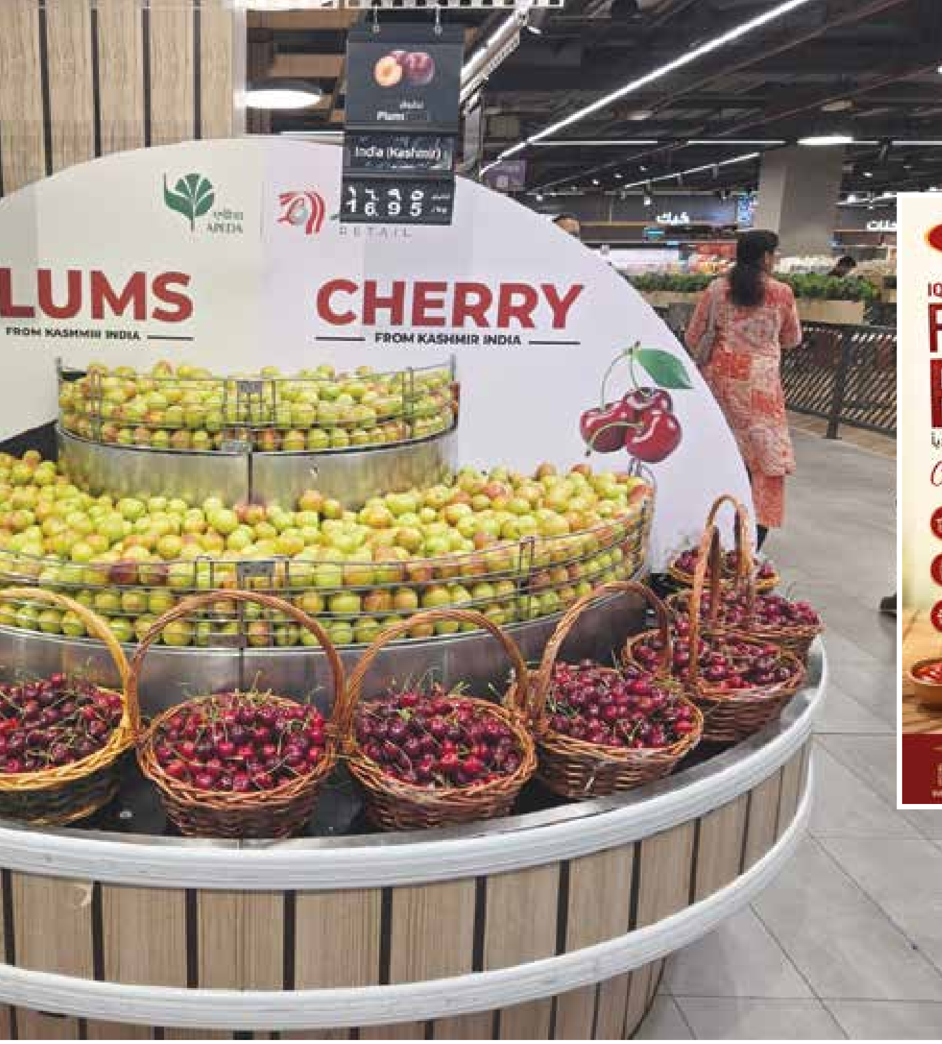

All Photo: APEDA

Jammu & Kashmir Exports Premium Cherries and Plums

Another milestone came from Jammu & Kashmir, where APEDA facilitated the first export shipment of Areko cherries and Scentrose plums from Shopian and Pulwama districts to Abu Dhabi and Dubai.

The one-metric-tonne shipment may appear modest in quantity, but its economic impact is substantial. Farmers reportedly received around 60 per cent higher prices for cherries and an impressive 120 per cent higher returns for plums than in domestic markets.

Kashmir has long been known for producing premium temperate fruits, but exports have often been constrained by fragmented supply chains, post-harvest losses and inadequate market connections. By directly linking growers with international buyers, APEDA has demonstrated the premium that export markets can offer for carefully graded, high-quality produce.

The initiative is expected to encourage more growers to adopt export-oriented orchard management, improve quality standards and participate in organised supply chains.

Uttarakhand Ships IQF French Fries to Iraq

One of the most notable examples of agricultural value addition comes from Uttarakhand, where APEDA facilitated the state's first export of Individual Quick Frozen (IQF) French fries to Iraq.

The shipment, exported by Virun Global Trade Pvt. Ltd., highlights the growing importance of value-added agricultural exports from the state.

The 24-metric-tonne shipment from Kashipur in Udham Singh Nagar district illustrates the growing importance of processing in agricultural exports. Instead of exporting raw potatoes, locally produced tubers were converted into a globally traded processed food product through grading, washing, blanching, cutting and IQF processing before shipment.

This transformation significantly increases value addition within the producing region while creating demand for quality raw material from farmers.

APEDA's support extended beyond infrastructure. The exporter participated in international exhibitions such as SIAL, Gulfood, IndusFood and World Food India,

where interactions with overseas buyers eventually resulted in the Iraqi export order.

The initiative also highlights a key policy issue affecting inland states. Logistics costs remain a major constraint for exporters located far from ports. APEDA is therefore working with the Uttarakhand government on a State Agri Export Policy that includes transport assistance to improve export competitiveness.

Punjab Exports Fresh Litchi to Oman

In Punjab, APEDA facilitated the state's first export of fresh litchi to Oman through the Unnati Agri Allied Cooperative Society in Hoshiarpur.

The export assumes greater significance because it was undertaken by a cooperative rather than an individual exporter. Farmers reportedly realised around 46 per cent higher returns than in domestic markets. Hoshiarpur's foothill region has traditionally produced high-quality litchi, but the fruit's short harvest season and perishability have limited its geographical reach.

Modified Atmosphere Packaging (MAP) technology played a crucial role in preserving freshness during transit, demonstrating how post-harvest innovations are becoming increasingly important for fresh fruit exports. The shipment also showcases opportunities emerging under the India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

Odisha Exports Value-Added Egg Powder to Europe

India's export ambitions increasingly extend beyond fresh produce. A major milestone was achieved when Odisha exported its first commercial shipment of dried whole egg powder to Austria. The 22.6-metric-tonne consignment, exported from Balangir by OVO Farm Pvt. Ltd., reflects India's growing capability in value-added poultry products.

Dried egg powder is widely used in bakery products, confectionery, processed foods and pharmaceutical industries because of its long shelf life and ease of transportation. Producing export-quality egg powder requires sophisticated processing facilities and strict compliance with food safety standards.

The exporter established a modern processing facility in 2025 and adopted quality systems compliant with Export Inspection Council standards and European Union hygiene requirements.

APEDA supported infrastructure development, food safety systems and laboratory strengthening through its Financial Assistance Scheme, helping the company meet demanding international standards.

GI-Tagged Rewa Sundarja Mangoes Debut in UAE

Madhya Pradesh's famous GI-tagged Rewa Sundarja mango has entered international markets with its first commercial export to the UAE.

The one-metric-tonne consignment was exported by Salt Range Foods Pvt. Ltd. after APEDA coordinated with the Madhya Pradesh Horticulture Department, exporters, FPOs and international buyers.

Known for their exceptional sweetness, fibreless pulp and rich aroma, Sundarja mangoes enjoy a strong regional reputation but had never entered international commercial markets.

The mangoes were sourced from Seondha Farmer Producer Company, graded and packed at an APEDA-supported packhouse before being airlifted from Varanasi. The export proved highly rewarding for growers, who realised nearly 150 per cent higher prices than local market rates.

Assam's ODOP Honey Reaches the United States

APEDA facilitated the first farmer-led export of ODOP honey from Assam's Baksa district to the United States.

The 20-metric-tonne consignment was exported by Salt Range Foods Pvt. Ltd., highlighting the export potential of products from Aspirational Districts. Baksa honey, produced in pesticide-free and biodiversity-rich environments, is recognised under the

One District One Product (ODOP) programme for its purity, floral diversity and medicinal value.

APEDA supported the processing facility with testing and laboratory infrastructure to ensure compliance with international food safety standards.

The export delivered approximately 43 per cent higher prices to beekeepers than prevailing local rates, demonstrating how exports can improve rural livelihoods while promoting sustainable beekeeping.

Karnataka Ships Functional Millet Foods to New Zealand

India's International Year of Millets campaign has accelerated global awareness of traditional grains. Building on this momentum, APEDA facilitated the first sea shipment of botanical-infused, ready-to-cook millet functional foods from Karnataka to New Zealand.

Unlike conventional millet exports, these products combine millets with botanicals such as moringa, turmeric, ginger and ashwagandha to create convenient functional foods targeted at health-conscious consumers.

The one-metric-tonne shipment was exported by Bengaluru-based Infini Agrotek LLP. The shipment demonstrates how innovation and food processing can substantially enhance export value compared with raw grain exports.

The exporter secured international buyers after participating in APEDA-supported trade exhibitions including World Food India, IndusFood and Gulfood.

Himachal Pradesh Exports Cherries and Plums to Oman

Himachal Pradesh added another chapter to India's horticultural export story with its first commercial shipment of fresh cherries and plums to Oman. The consignment comprised produce sourced from six progressive orchardists in the Jadol-Tikkar and Bagi belt. Farmers reportedly earned 46 per cent higher prices for cherries and 40 per cent more for plums than in domestic markets.

Unlike many export initiatives that begin with infrastructure, this programme started with farmer capacity building. APEDA organised training programmes on export standards, post-harvest handling and quality management before facilitating exports.

The Himachal Pradesh Horticultural Produce Marketing and Processing Corporation (HPMC) further reduced farmers' burden by bearing the costs of grading, packaging and quality testing.

Tribal Women Farmers from Jharkhand Access Global Markets

Among the most socially significant initiatives was the export of Amrapali mangoes from the Aspirational District of Gumla and the Aspirational Block of Deoghar in Jharkhand to Dubai.

The two-metric-tonne shipment was sourced from three women-led Farmer Producer Companies (FPCs) representing more than 50,000 member farmers.

Members of these FPCs realised nearly 180 per cent higher prices than prevailing local markets, highlighting the transformative impact of export-oriented agriculture on women's collectives and tribal farming communities.

Before the shipment, APEDA organised dedicated capacity-building programmes on international quality standards, post-harvest management and export procedures, enabling farmers to meet global market requirements.

Building an Export-Oriented Agricultural Economy

The series of first-time exports demonstrates APEDA's expanding role in integrating Indian farmers into global agricultural value chains. Rather than focusing only on traditional exports, the organisation is increasingly promoting premium fresh fruits, GI-tagged products, processed foods, organic produce, ODOP products and innovative value-added food items.

The initiatives also underline the importance of export diversification. While Gulf countries continue to be major destinations for Indian horticultural produce, shipments to Europe, the United States, New Zealand and Iraq indicate expanding market opportunities for specialised agricultural products.

As global demand for premium, traceable and sustainable food products continues to rise, initiatives such as these could redefine India's agricultural export landscape. The challenge now is to scale these successes across more regions and products while ensuring that small farmers remain central to the country's growing integration with global food value chains. Rw

Photo: Rural World

Abhishek Dev
Chairman, APEDA

Market Diversification & Value Addition Will Drive Next Agri Export Growth: Abhishek Dev

India's agricultural exports have remained resilient despite global economic uncertainty, but the next phase of growth will depend less on volume and more on value. With new free trade agreements opening markets, rising demand for processed and GI-tagged products, and stricter global food safety norms, the country's export strategy is undergoing a significant transformation. In this exclusive interview with **Harvir Singh***, Editor-in-Chief,* ***Rural World,*** *APEDA Chairman* **Abhishek Dev** *explains how India plans to expand its presence in global markets, integrate thousands of Farmer Producer Organisations (FPOs) into export value chains, promote value-added food products, and build a globally competitive, future-ready agricultural export ecosystem.*

Q ***Amid global uncertainties, what is APEDA's strategy for achieving India's long-term agricultural export goals?***
India's agricultural exports have remained resilient despite global uncertainties, reflecting the strong fundamentals of our agriculture sector and the growing global confidence in Indian products. At APEDA, our focus is not only on sustaining this momentum but also on building a future-ready export ecosystem that delivers greater value to farmers, exporters and the economy. Our strategy rests on three key pillars: market diversification, product diversification and export ecosystem development.

On the market front, we are expanding India's footprint beyond traditional destinations by creating new opportunities across Africa, Central Asia, ASEAN and East Asia, while strengthening our presence in established markets such as the Gulf, Europe and the United States. We are also leveraging the opportunities created by various Free Trade Agreements (FTAs) to improve market access for Indian products.

Equally important is our shift from volume to value. While India remains one of the world's leading suppliers of agricultural commodities, APEDA is actively promoting processed foods, fresh fruits and vegetables, organic products, GI-tagged products, ready-to-eat and ready-to-cook foods, millets, nutraceuticals and premium rice varieties that offer higher value realisation and better returns for farmers. A significant step in this direction was the creation of separate tariff lines for GI-recognised non-Basmati rice varieties from 1 May 2025, enabling focused promotion and improved monitoring of these premium products.

Quality and compliance remain central to our export strategy. We continue to strengthen traceability, testing infrastructure and adherence to international sanitary and phytosanitary standards through digital platforms such as Hortinet, GrapeNet, Peanut. Net and VegNet. At the same time, APEDA is facilitating investment in export-oriented infrastructure through

"The next five years present a tremendous opportunity for India to strengthen its position as a leading global supplier of agricultural and processed food products through market diversification and value addition."

convergence with the Ministry of Food Processing Industries' schemes and APEDA's Financial Assistance Scheme. Support is being extended for integrated packhouses, cold chain facilities, testing laboratories, processing units and quality certification.

Farmer integration is another major priority. APEDA has onboarded more than 1,400 Farmer Producer Organisations (FPOs) into the export value chain. Through regular capacity-building programmes, we train farmers, FPOs, exporters and other stakeholders in Good Agricultural Practices, post-harvest management, packaging, food safety, quality standards and export procedures, enabling them to participate more effectively in global markets.

Q ***Which agricultural products and markets offer the greatest growth opportunities for India over the next five years?***
The next five years present a significant opportunity for India to strengthen its position as a global supplier of agricultural and processed food products through market diversification and value addition. Recently concluded FTAs with the UK, UAE, Australia and Oman, along with ongoing negotiations with the European Union and New Zealand, are expected to further expand market access for Indian products.

Products such as rice, grapes, onions, mangoes, bananas, meat, processed foods, bakery products, sweet biscuits, preserved fruits and vegetables, and malt extracts offer strong export potential. Alongside traditional exports such as cereals, fresh fruits and vegetables, there is rapidly growing global demand for GI-tagged products, organic foods, millet-based products, ready-to-eat foods, plant-based foods and other premium value-added products. Experience has consistently shown that exports of such products generate better value realisation for farmers while enhancing India's competitiveness in international markets.

Q ***How is APEDA helping diversify India's export basket beyond bulk commodities and marine products?***
While rice, spices and marine products continue to dominate India's agricultural exports, APEDA is actively broadening the export basket by promoting high-value, value-added and region-specific products. The objective is to diversify both products and markets while creating greater value for farmers and exporters.

Fresh fruits and vegetables have emerged as a major growth segment. Exports increased from USD 1,527.63 million in 2021-22 to USD 1,921.42 million in 2025-26, representing growth of nearly 26%. During the same period, the number of export destinations expanded from 127 to 137 countries.

Market access has also widened for key horticultural products, with pineapple exports expanding from 22 to 31 countries and banana exports from 39 to 44 countries. In 2026, India also secured market access for fresh grapes to Vietnam.

Another major focus area is value-added products, including ready-to-eat and ready-to-cook foods, fruit pulps and purees, millet-based products, makhana, processed foods, speciality organic products and health-focused foods. APEDA is also collaborating with institutions such as NIFTEM, ICAR and the Indian Institute of Millets Research (IIMR) to support product innovation, improve processing technologies and develop export-ready products.

In parallel, APEDA is promoting cost-effective export logistics through

sea shipment protocols developed with ICAR institutions, enabling successful exports of mangoes, pomegranates and bananas to distant markets. These initiatives are reducing logistics costs, improving competitiveness and expanding export opportunities.

Q *What is APEDA doing to integrate farmers into global value chains?*

Integrating farmers into global value chains is one of APEDA's core priorities. We are working closely with farmers and farmer collectives to strengthen their participation in export supply chains through training, infrastructure support and market linkages.

Smallholders and FPOs are prioritised under APEDA's capacity-building initiatives. Over the past three years, more than 1,500 export-oriented training programmes have been organised with active participation from FPOs. These programmes are conducted in collaboration with organisations such as NABARD, NAFED, TRIFED and SFAC, covering export procedures, quality standards, food safety, packaging and post-harvest management.

FPOs also receive enhanced support under APEDA's Financial Assistance Scheme (Bharat Krishi Niryat Yojana), including assistance for obtaining Global G.A.P. certification, which significantly improves the marketability of their produce in developed countries.

APEDA has also facilitated first-time exports by FPOs, both directly and through third-party sourcing. Over the past two years, more than 15 export consignments have been flagged off from FPOs across 14 states to 11 countries. In the current financial year alone, 10 such consignments have been facilitated, covering products sourced from Karnataka (millets), Jharkhand (Amrapali mangoes), Madhya Pradesh (GI-tagged Sundarja mangoes), Meghalaya (pineapple, ginger, honey and GI-tagged Lakadong turmeric), Punjab (fresh litchi) and Uttar Pradesh (green chilli, okra and gourds).

Under the BHARATI initiative—Bharat's Hub for Agritech, Resilience, Advancement and Incubation for Export Innovation—the first export acceleration programme selected four FPOs for an intensive 120-hour training module covering all aspects of export preparedness. Building on its success, APEDA will soon launch a dedicated export acceleration programme for FPOs, offering structured training in market access, business scaling, regulatory compliance, packaging and branding.

Q *How can India increase exports of value-added food products?*

At APEDA, our focus is on building an ecosystem that supports this transition—from production and processing to quality assurance, branding and market access. We work closely with the Ministry of Food Processing Industries (MoFPI), the National Horticulture Board (NHB), the Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH), state governments and other stakeholders to strengthen export-oriented infrastructure and improve industry competitiveness.

A key priority is expanding processing infrastructure through support for processing units, cold chains and irradiation facilities. These investments help exporters meet international quality and phytosanitary requirements while extending product shelf life and reducing post-harvest losses.

We are also helping exporters build globally recognised brands by promoting better packaging, branding and product positioning so that Indian processed foods and speciality products are recognised for their quality and distinct identity in international markets.

> **APEDA is also working closely with institutions such as NIFTEM, ICAR and the Indian Institute of Millets Research (IIMR) to support product innovation, improve processing technologies and develop export-ready products.**

Market intelligence is another critical focus area. APEDA equips exporters with insights into evolving consumer preferences, enabling them to develop products aligned with global demand rather than simply exporting what is produced domestically.

These efforts are yielding encouraging results. Exports of processed food products reached USD 8.47 billion in 2025-26, registering a compound annual growth rate (CAGR) of 7.1% over the past five years. The share of value-added products in APEDA's scheduled product exports has also increased from 24.3% in 2021-22 to 29.3% in 2025-26, reflecting a gradual shift from bulk commodities towards higher-value exports.

Q *How have recent Free Trade Agreements (FTAs) expanded opportunities for Indian agricultural exports?*

Recent FTAs have significantly improved market access for Indian agricultural products across several major economies.

Under the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), which came into force on 15 July 2026, India secured duty-free access to 95% of the UK's agricultural imports, valued at around USD 85-88 billion. This places Indian exporters on an equal footing with competitors such as the European Union, South Africa and Vietnam, which already enjoyed preferential access. India's agricultural exports to the UK increased from USD 801 million in 2020 to USD 1.12 billion in 2024, and the agreement is expected to accelerate this growth.

Similarly, the India-Oman FTA provides duty-free access for 98.08% of tariff lines, while the India-New Zealand FTA offers duty-free access on 100% of India's export tariff lines. Under the India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement (TEPA), covering Switzerland, Norway,

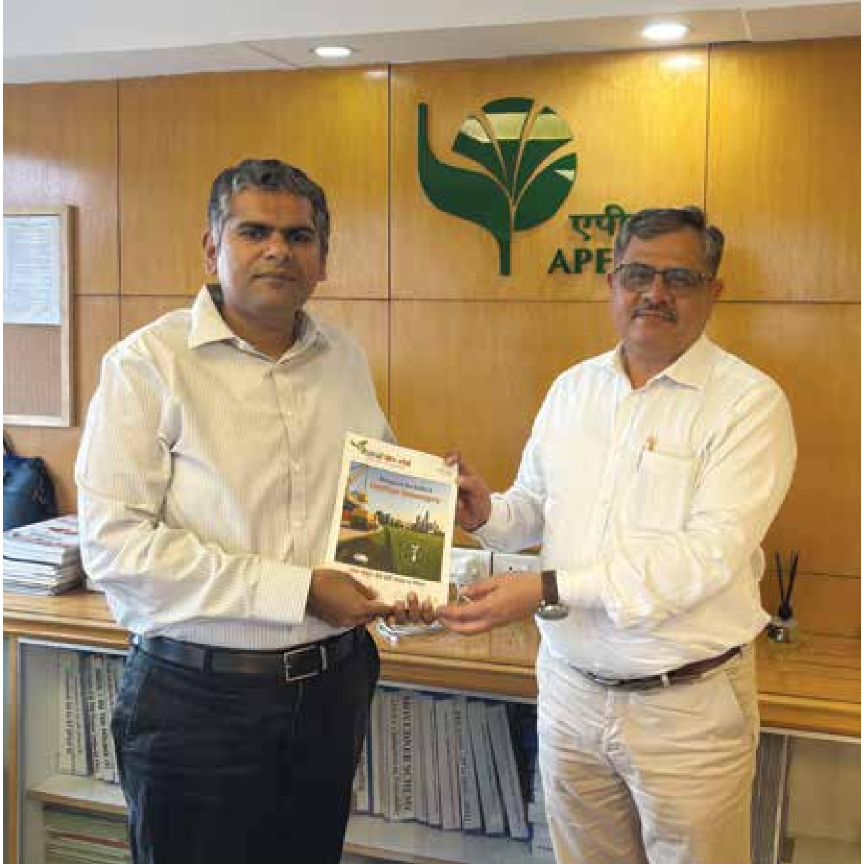

Photo: Rural World

Iceland and Liechtenstein, tariffs have been eliminated on several agricultural products, including nuts, sweet biscuits and fresh grapes. Switzerland and Norway together account for more than 99% of India's agricultural trade with EFTA countries.

Products expected to benefit include both traditional and emerging export categories. Processed and value-added foods such as sweet biscuits, bakery products, chocolate and cocoa preparations, sugar confectionery, sauces and other food preparations stand to gain under nearly all FTAs. Fresh produce including grapes, onions, bananas and nuts will also benefit from lower tariffs, particularly in Switzerland and the European Union.

High-value and niche products—including Darjeeling tea, premium Basmati rice, turmeric and curcumin, organic foods, millet-based products, GI-tagged products and plant-based convenience foods—offer significant growth opportunities in markets such as the UK, EU, UAE, Oman and Australia. Products such as frozen bovine meat, ghee, butter and eggs are also expected to benefit from improved market access under the Oman and EFTA agreements.

Q *As importing countries tighten food safety and traceability regulations, what steps is APEDA taking to help exporters and farmers comply?*

APEDA has developed a comprehensive ecosystem to help Indian exporters comply with evolving international food safety and traceability requirements while maintaining access to global markets.

More than 130 NABL-accredited laboratories across 21 states have been recognised for testing products against importing countries' requirements, including Maximum Residue Limits (MRLs). Commodity-specific laboratory recognition ensures reliable pre-shipment testing and compliance with international food safety standards.

To strengthen traceability, APEDA has established end-to-end digital platforms for commodities such as grapes, peanuts, organic products and vegetables, enabling complete farm-to-export traceability. Farmers are registered and monitored by state governments, while processing is undertaken through APEDA-recognised packhouses and processing facilities.

APEDA also develops commodity- and country-specific export protocols and Standard Operating Procedures (SOPs) aligned with sanitary and phytosanitary (SPS) requirements. These include export protocols for grapes to the European Union, peanuts and peanut products, and rice exports to China with mandatory GMO testing.

To strengthen compliance further, APEDA has recognised Food Safety Management System (FSMS) certification bodies and implementation agencies that assist exporters in adopting internationally accepted food safety systems. Regular capacity-building programmes are conducted on Good Agricultural Practices (GAP), traceability, food safety and export compliance.

Q *How is the US's 10% forced-labour tariff likely to affect India's agricultural exports?*

The United States has consistently been India's largest market for agricultural exports over the past decade. India's agricultural exports to the US increased from USD 3.27 billion in FY16 to USD 5.03 billion in FY26, accounting for around 9% of India's total agricultural exports. During the same period, exports of APEDA-scheduled products to the US rose by more than 30%, from USD 1.15 billion to USD 1.49 billion.

India's experience during the previous tariff episode demonstrated the resilience of its agricultural exports. While the additional tariff may moderately increase the landed cost of Indian exports, its overall impact is expected to be limited. The effect will vary across commodities depending on their dependence on the US market, the availability of alternative suppliers and consumer demand. Several high-value Indian products enjoy strong brand recognition, established market presence and a loyal Indian diaspora consumer base, factors that are expected to support continued demand.

While the additional 10% tariff presents a short-term challenge, it is unlikely to alter the long-term trajectory of India-US agricultural trade. With continued policy support, expanding market diversification and progress in bilateral trade negotiations, India remains well positioned to sustain robust agricultural export growth in the years ahead. Rw

Transforming India's Cotton Productivity

Rasi Seeds' Contributions, Innovations, and Vision for the Future of Cotton Cultivation

Dr M Ramasami

Chairman,
Rasi Seeds Pvt. Ltd.

Rasi Seeds is a fifty-year-old Indian Seed Company with world-class R&D, production, and sales & marketing capabilities. Rasi is renowned for excellence in cotton and field crops and through its quality product portfolio, it has established a strong presence across major agricultural regions of India.

Rasi Seeds has been at the forefront of cotton research and innovation, developing high-yielding, pest-tolerant, climate-resilient hybrids with superior fiber quality since 1988. From pioneering non-Bt hybrids to advancing Bt technology, HDPS, and mechanization-oriented breeding, Rasi has enhanced cotton productivity, profitability, fiber quality, and sustainability, benefiting farmers and contributing significantly to India's cotton production and textile economy.

Over the last three decades, Rasi Seeds has established one of the largest cotton hybrid footprints in India, with its hybrids occupying up to 25% of the cotton-growing area in several regions. Our cotton hybrids have been cultivated across 2 to 3 million hectares out of India's 11.4 million hectares involving more than 2 million farmers. Rasi hybrids have gained widespread farmer acceptance which positively impacts millions of cotton farmers.

1. Technology introduction (Bollgard and Hybrid)

Under the leadership of Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, India approved Bt cotton for commercial cultivation in March 2002 through the GEAC, making it the country's first genetically modified crop. Rasi's RCH2 became the first commercially successful Hybrid with Bt technology.

In 2002–03, India had 76.67 lakh hectares under cotton cultivation, producing 136 lakh bales of lint with a productivity of 302 kg lint per hectare. At the time of Bt cotton commercialization, hybrids accounted for nearly 40% of the total cotton area. Bt technology was rapidly adopted because it significantly reduced pesticide use and production costs while minimizing yield losses caused by insect pests. With the induction Technology and hybrids farmers find it easy to cultivate cotton and Its widespread adoption also encouraged an expansion in cotton cultivation and increased the share of hybrid cotton acreage.

By 2013–14, the cotton area had expanded to 119.6 lakh hectares, with production reaching 398 lakh bales and productivity increasing to 566 kg lint per hectare. During this period, Bt hybrids occupied nearly 95% of the total cotton area.

Between 2002–03 and 2013–14, cotton area increased by 56%, production by 193%, and productivity by 88%. In this remarkable growth, hybrids and Bt technology played the primary role in improving productivity, with Bt technology providing strong support by protecting yields from insect pest damage.

2. Why the production started plateauing and going down to the extent of 100 lakh bales.

The effectiveness of Bt technology began to decline, and its breakdown was officially recognized during 2015–16 following widespread infestations of pink bollworm (PBW) across major cotton-growing regions. Consequently, cotton productivity has remained largely stagnant over a few years and started declining during 7-8 years due to the absence of major technological breakthroughs.

During 2024–25, despite only a marginal decline of about six lakh hectares in cotton area, productivity dropped from 566 kg/ha to 440kg/ha, production dropped from 398 lakh bales to 290 lakh bales. This decline highlights the yield losses caused by pink bollworm (PBW), which has developed resistance to the existing Bt technology.

Furthermore, PBW infestation leads to several secondary problems, including increased boll rot in damaged bolls, deterioration in fibre quality, and difficulties during picking operations. These issues result in higher picking costs and lower market prices for the produce. Owing to these challenges, many farmers have shifted to alternative crops that offer greater ease of cultivation and no production risks.

3. What is the Rasi initiative to increase productivity?

Hybrid cotton and Bt technology have been the

two most significant drivers of India's cotton production growth. To overcome the current productivity plateau, address emerging pest challenges and to increase the ease of cotton distribution cultivation, Rasi Seeds has launched two major initiatives: Next-generation Bt technology and RASI MAX project.

A. **Next-Generation Bt Technology:** Rasi has developed its own next-generation Bt technology to effectively address Bollgard II-resistant pink bollworm. This is home grown technology developed by an Indian company through the efforts of Indian scientists, specifically addressing the challenges faced by Indian cotton farmers. The technology is currently undergoing biosafety trials as part of the regulatory approval process. Once the technology gets commercialized, the difficulty faced by Indian farmers due to pink bollworm will be eliminated and it also protects the yield damage from pink bollworm. This helps to restore the farmer's confidence in cotton cultivation.

B. **RASI MAX Project:** it is a yield-maximization initiative designed to overcome the existing productivity plateau. The project promotes the High-Density Planting System and Closer Spacing (CS) concepts to maximize productivity per unit area. It also aims to establish the foundation for end-to-end mechanization in cotton production through HDPS-suitable hybrids with High ginning outturn (GOT), Precision agronomy practices, Plant Growth Regulator based canopy management and defoliation management for mechanical harvesting.

C. **Mechanization:** Rasi Seeds actively supports agri-tech start-ups developing affordable planters, harvesters, defoliation solutions, and precision farming technologies to accelerate mechanization and improve cotton productivity.

By combining next-generation Bt technology, HDPS, end-to-end mechanization, and high-GOT hybrids, these initiatives are designed to unlock India's cotton productivity potential and help achieve yields that meet or exceed global average yields.

4. Mission on cotton productivity:

The Government of India has launched the Mission for Cotton Productivity which is officially known as "Kapas Kranti" for the period 2026–27 to 2030–31 to revitalize the cotton sector and enhance national productivity with a budget of Rs 5960 crores.

The mission focuses on promoting HDPS, Closer Spacing (CS), Extra Long Staple (ELS) cotton, and Integrated Crop Management (ICM). The mission aims to increase cotton production to 498 lakh bales and improve productivity to 755 kg lint per hectare by bridging existing yield gaps through large-scale adoption of improved production technologies and scientific crop management practices.

5. What support is required for achieving the target set in the mission.

First of all we should understand why farmers are not enthusiastic to cultivate cotton. The ease of doing cotton cultivation has to be established by efficient control of Pink Bollworms. This will ensure reduced spending on spraying and increase yields to the extent 25%. This step will help to increase the gross income by 25% which will create interest among farmers to expand cotton cultivation. This will assure to increase production levels to 560 kgs (400 lakh bales)

Further to reach the goal of 755 kgs lint per hectare set by the Government we need to concentrate on the High Density Planting System , closer Spacing system. Mechanisation should be an integral part of planting. We need large support for the availability of large numbers of machines for planting and harvesting. According to the Mission it is not clear the intent of the Government.

We also request policy support to accelerate the adoption of HDPS, closer spacing cultivation, and mechanization through suitable input subsidies and incentives. Support for affordable planters, harvesters, pre-cleaners, and the availability of defoliation chemicals will be crucial for enabling mechanized cotton cultivation, particularly among small and marginal farmers. Rw

To overcome the current productivity plateau, address emerging pest challenges and to increase the ease of cotton distribution cultivation, Rasi Seeds has launched two major initiatives: Next-generation Bt technology and RASI MAX project.

Code Paroda:
A Life in Service of Agricultural Science

Dr. A. Amarender Reddy

Ph.D (Agricultural Economics), FISPRD, FISAE
Joint Director, School of Crop Health Policy Support Research (SCHPSR)
ICAR-National Institute of Biotic Stress Management (NIBSM), Raipur

Scientific autobiographies often transcend the lives of individuals to become chronicles of institutions, ideas, and national transformation. Code Paroda, authored by Sanjay Kumar and Arun Tiwari, is one such work. Presented as the life story of Dr. Rajendra Singh Paroda - scientist, institution builder, and former Director General of the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) - the book offers a panoramic view of the evolution of Indian agricultural science over the past six decades. More than a memoir, it is a narrative of how vision, leadership, and scientific commitment contributed to shaping India's agricultural research and development landscape.

Structured into four parts - Making of the Man, At the Helm, Ascend, and Legacy - the book traces Dr. Paroda's journey from a farming family in Rajasthan to the highest echelons of agricultural science administration. In doing so, it captures several defining moments in India's agricultural history, including the Green Revolution, the emergence of biotechnology, the conservation of genetic resources, and the growing importance of international scientific collaboration.

The early chapters describe Dr. Paroda's formative years, education, and scientific training. These sections are particularly valuable because they provide a glimpse into the intellectual environment that nurtured a generation of agricultural scientists who would later transform Indian agriculture. His experiences at the Rajasthan College of Agriculture and later at the Indian Agricultural Research Institute (IARI) reveal the critical role played by mentors, institutional culture, and scientific curiosity in shaping successful research careers. The narrative also illustrates how perseverance and openness to opportunity can influence professional trajectories in unexpected ways.

A notable feature of the book is its emphasis on systems thinking. While working at Haryana Agricultural University, Dr. Paroda recognised that the widespread adoption of high-yielding cereal varieties had unintended consequences for livestock production through reduced fodder availability. His efforts to develop forage crop varieties demonstrate an understanding of agriculture as an interconnected system rather than a collection of isolated technologies. This holistic perspective remains relevant in contemporary debates on sustainable agriculture.

The most significant contribution of the book lies in its detailed account of institution-building. Dr. Paroda's tenure as Director General of ICAR coincided with a period of major economic and policy transition in India. The memoir documents the formulation of ICAR Vision 2020, the establishment of specialised national bureaus for genetic resources, the strengthening of agricultural research infrastructure, and the launch of the National Agricultural Technology Project. These initiatives reflected a strategic effort to prepare Indian agriculture for emerging challenges while maintaining its commitment to food security.

Particularly impressive is the account of India's efforts in plant genetic resources conservation. The development of modern gene-bank infrastructure and the strengthening of the National Bureau of Plant Genetic Resources represented landmark achievements in safeguarding agricultural biodiversity. The book highlights how scientific foresight and institutional support can create long-term national assets whose importance often becomes apparent only decades later.

The memoir also provides valuable insights into the evolution of agricultural policy. Discussions on seed sector reforms, biotechnology, intellectual property rights, and public-private partnerships reveal the complex interactions between science, regulation, and development. Dr. Paroda argues consistently for evidence-based policymaking and for regulatory systems that

encourage innovation while protecting public interests. Whether discussing hybrid crop development, biotechnology, or genetic resource management, the underlying message is that scientific progress must be accompanied by responsible governance and farmer centric.

One of the strengths of Code Paroda is its extensive documentation of national and international scientific networks. The narrative records the establishment and growth of organisations such as the Asia-Pacific Association of Agricultural Research Institutions (APAARI), the Asia-Pacific Consortium on Agricultural Biotechnology (APCoAB), and the Trust for Advancement of Agricultural Sciences (TAAS). Through these initiatives, the book demonstrates how agricultural innovation increasingly depends on collaboration across disciplines, institutions, and countries.

The chapters describing Dr. Paroda's post-retirement contributions are equally engaging. Rather than withdrawing from public life, he continued to play a major role in fostering scientific dialogue, strengthening regional cooperation, and promoting policy engagement through TAAS and international organisations. The discussions on climate change, agrobiodiversity, soil health, and youth engagement illustrate his continuing commitment to addressing emerging challenges in agriculture.

An important contribution of the book is its reflection on leadership. Throughout the narrative, successful leadership is portrayed not merely as administrative authority but as the ability to build institutions, nurture talent, create partnerships, and inspire collective action. The memoir repeatedly highlights the contributions of colleagues, mentors, and collaborators, underscoring the

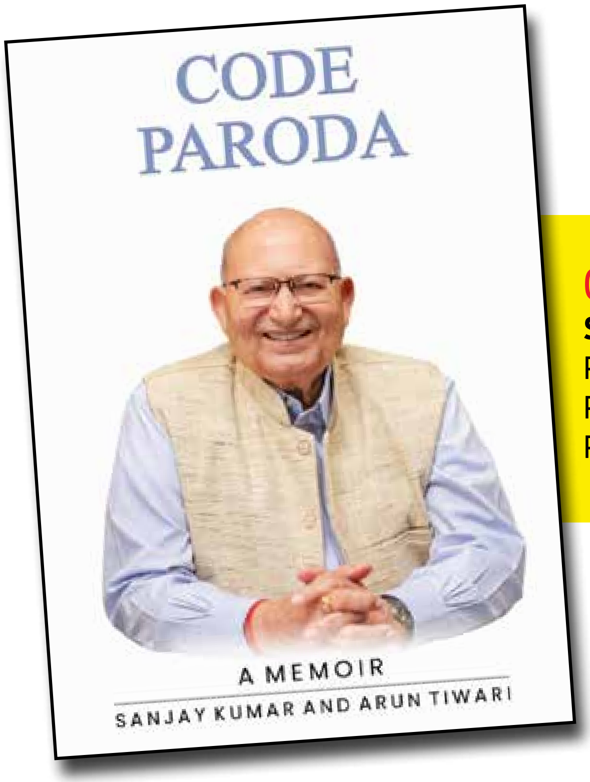

Code Paroda: A Memoir
Sanjay Kumar & Arun Tiwari
Pages: **422**
Price: **Rs 1,499**
Publisher: **Sakal Publications**

inherently collaborative nature of scientific achievement.

The book is enriched by numerous anecdotes involving leading scientists, policymakers, and development practitioners from India and abroad. These accounts provide readers with a rare insider's perspective on the functioning of agricultural research systems and the personalities who shaped them. Future historians of agricultural science will find considerable value in these first-hand observations.

The concluding section, which outlines the "Code Paroda," serves as both reflection and roadmap. Covering themes such as climate resilience, public science, nutrition security, digital agriculture, water management, youth engagement, and collective action, the framework reflects a lifetime of experience in science and policy. While ambitious in scope, it is grounded in practical lessons drawn from decades of engagement with farmers, researchers, and institutions.

Overall, Code Paroda is an important contribution to the literature on agricultural science, science policy, and institution-building in India. It combines personal narrative with historical documentation and policy reflection, making it relevant to a broad readership that includes scientists, students, policymakers, administrators, and development practitioners. The book reminds us that agricultural transformation is not driven solely by technological breakthroughs; it also requires visionary leadership, strong institutions, and sustained public commitment to science.

At a time when agriculture faces unprecedented challenges arising from climate change, resource degradation, nutritional insecurity, and technological disruption, the experiences and reflections presented in this volume acquire particular significance. Code Paroda is therefore not merely the story of an accomplished scientist; it is also a thoughtful account of the evolution of Indian agricultural science and a valuable source of lessons for its future. Rw

ICRISAT Secures Gene Editing License

The International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) has secured a long-term humanitarian licence to deploy CRISPR-Cas9 gene-editing technology, marking a major step towards strengthening food security and climate-resilient agriculture across Asia and Africa.

The agreement with Corteva and The Broad Institute enables ICRISAT to accelerate the development of improved crop varieties for smallholder farmers. Unlike conventional breeding, gene editing allows researchers to rapidly develop crops with enhanced tolerance to drought, heat, pests and diseases, while improving productivity, nutritional quality and other farmer-preferred traits without introducing DNA from unrelated species.

ICRISAT Director General Dr Himanshu Pathak described the agreement as a transformative milestone that will help deliver practical crop innovations to millions of dryland farmers. The technology will support the development of improved varieties of sorghum, pearl millet, other millets, chickpea, pigeonpea and groundnut, strengthening food security, farmer livelihoods and agricultural resilience.

Mid-Monsoon: Rainfall Down 13%, Kharif Sowing Trails by 3%

A strong revival of the southwest monsoon in July, following a weak start in June, has accelerated kharif sowing and helped offset much of the early-season setback. However, cumulative rainfall between June 1 and July 31 remained 13 per cent below the long-period average (LPA). The gap in kharif sowing has narrowed to 2.88 per cent, or 2.65 million hectares, compared with the same period last year.

According to the Ministry of Agriculture, kharif crops had been sown across 89.42 million hectares by July 31, compared with 92.07 million hectares a year earlier. Paddy acreage stood at 30.15 million hectares (down 2.24 per cent), pulses at 9.52 million hectares (down 6.31 per cent), maize at 8.36 million hectares (down 7.31 per cent), and cotton at 10.35 million hectares (down 2.38 per cent). In contrast, oilseed sowing increased marginally to 17.23 million hectares, while sugarcane acreage rose 1.51 per cent to 5.76 million hectares. According to the Central Water Commission (CWC), as of July 30, the country's 166 major reservoirs held 81.48 billion cubic metres (BCM) of water, equivalent to 44.39 per cent of their total live storage capacity.

PM-KISAN Scheme Extended Till 2030-31

The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) scheme for another five years, extending it until 2030-31. A total financial outlay of Rs. 3.15 lakh crore has been allocated for the scheme during this period.

Under PM-KISAN, eligible farmer beneficiaries receive Rs. 6,000 annually through Direct Benefit Transfer (DBT) in three equal instalments of Rs. 2,000 each, directly into their bank accounts. The government said the decision reflects its commitment to enhancing farmers' incomes and promoting agricultural investment. The financial assistance enables farmers to meet timely expenses on seeds, fertilisers, irrigation, farm machinery and other agricultural inputs, while also strengthening the financial security of rural households.

Launched in February 2019, the PM-KISAN scheme has so far disbursed more than Rs. 4.47 lakh crore to farmers through 23 instalments. Under the 23rd instalment, over 9.49 crore farmers received financial assistance amounting to more than Rs. 18,984 crore. The government noted that nearly one in every four beneficiaries of the scheme is a woman farmer.

Farmers' Protest Forces MP Govt to Act

Farmers staged a massive protest in Bhopal, demanding higher procurement of summer moong and opposing the e-token system for fertiliser distribution in Madhya Pradesh. Thousands of farmers from Narmadapuram, Harda, Sehore, Raisen and Vidisha districts broke through police barricades and marched towards the Chief Minister's residence.

The state government eventually accepted several of the farmers' demands, following which the protest ended on July 30. It decided to increase procurement of moong at the Minimum Support Price (MSP) from 25 per cent to 60 per cent of eligible produce. As a result, around three quintals of moong per acre will now be procured from farmers. The e-token system introduced for fertiliser distribution has also been suspended for the time being.

According to the state government, the Centre had approved the procurement of 4.52 lakh tonnes of summer moong under the Price Support Scheme (PSS), based on the existing provision that allows procurement of up to 25 per cent of the state's estimated production. The Madhya Pradesh government has now decided to procure up to 60 per cent of the produce from each eligible farmer.

The last date for slot booking on the e-Uparjan portal has been extended from July 30 to August 10, while the procurement deadline has been extended from August 10 to August 20.

Government Imposes Stock Limit on Sugar Dealers

The central government has imposed stock limits on sugar dealers across the country to curb hoarding, speculation and the recent rise in sugar prices. The order will remain in force from August 1 to November 30, 2026.

According to the Department of Food and Public Distribution, no sugar dealer can hold sugar for more than 30 days from the date of receipt or maintain stocks exceeding 4,000 quintals at any point. Dealers have also been directed to declare their stocks and update them every week on the department's online portal.

The decision comes as India is expected to witness a second consecutive year of sugar production falling short of domestic consumption. Industry estimates peg 2025-26 sugar production at around 27.9 million tonnes, against domestic consumption of 28.5 million tonnes. Lower production, exports and diversion of sugarcane for ethanol have reduced inventories, with the country's opening stock on October 1, 2026, estimated at just 3.3-3.5 million tonnes, one of the lowest levels in recent years. The government believes the stock limit will help stabilise prices and ensure adequate market supplies.

Cabinet Approves New Urea Investment Policy

The Union Cabinet has approved the National Investment Policy for Urea-2026 (NIPU-2026), paving the way for fresh investments in gas-based urea plants to strengthen India's fertiliser self-reliance and reduce import dependence.

The new policy replaces the New Investment Policy (NIP)-2012, which expired in 2019, and introduces a more transparent and investor-friendly framework. Key reforms include the separation of fixed and variable costs, a Return on Equity (RoE) of 12-16 per cent, and a mechanism to reduce foreign exchange risk by converting fixed costs into Indian rupees after four years. The government estimates these changes will save more than Rs. 250 crore per new urea plant compared with projects approved under NIP-2012.

India currently has 33 operational urea plants with a total installed capacity of 269.42 lakh metric tonnes, but domestic production remains below demand, requiring significant annual imports. The government said it has received several proposals for new plants, necessitating a fresh investment policy.

The earlier NIP-2012 facilitated six new urea plants, including four public sector joint ventures and two private projects. NIPU-2026 is expected to encourage further capacity expansion, improve long-term fertiliser security and support the government's Atmanirbhar Bharat initiative by ensuring a more reliable domestic supply of urea for Indian farmers.

कृषि ऋण
कुछ सफलताएं, कुछ चूक

छोटे और बटाईदार किसानों तक पहुंच तथा क्षेत्रीय असंतुलन की चुनौतियां कायम, आगे कसौटी यह कि किसान की आय, निवेश और संकट झेलने की क्षमता कितनी बढ़ी

श्वेता सैनी

कृषि अर्थशास्त्री, संस्थापक एवं सीईओ, आर्कस पॉलिसी रिसर्च

श्रेष्ठा जेनिफर पीटर

रिसर्च एसोसिएट (स्ट्रैटजिक एडवाइजरी), आर्कस पॉलिसी रिसर्च

लगभग हर प्रमुख इंडिकेटर बताता है कि भारत में औपचारिक कृषि ऋण की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। हालांकि, जिन आंकड़ों और साक्ष्यों से व्यापक स्तर पर इस तथ्य का पता चलता है, वही सूक्ष्म और यहां तक कि मध्यवर्ती स्तर पर मौजूद कुछ कमियों और चुनौतियों को भी उजागर करते हैं। इस लेख में हमने भारतीय कृषि ऋण के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया है।

भारत में कृषि ऋण की यात्रा

1951 में भारतीय किसानों के ऋण का करीब 11 प्रतिशत हिस्सा बैंकों या सहकारी संस्थाओं से था, शेष लगभग 89 प्रतिशत राशि साहूकारों, जमींदारों और व्यापारियों से मिली थी *(AIDIS)*। सात दशक बाद यह अनुपात पूरी तरह उलट गया है। अब बैंक और सहकारी संस्थान जैसे संस्थागत ऋणदाता भारतीय कृषि परिवारों की कुल उधारी का लगभग 86 प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध कराते हैं *(NAFIS 2021-22)।*

वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय कृषि क्षेत्र में सालाना ग्राउंड लेवल क्रेडिट (जीएलसी) 28.7 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया। यह पांच वर्ष पहले की तुलना में दोगुने से भी अधिक है (चित्र 1)। कृषि क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) की तुलना में वार्षिक ऋण वितरण 53 प्रतिशत तक पहुंच गया, जबकि 2004-05 में यह केवल 22 प्रतिशत था। इससे संकेत मिलता है कि पिछले दो दशकों में कृषि क्षेत्र में ऋण की तीव्रता करीब 2.4 गुना बढ़ी है *(नाबार्ड 2025; कृषि एवं किसान कल्याण विभाग 2026)।*

इन आंकड़ों के पीछे एक मजबूत नीतिगत प्रयास है, जिसे पिछले कई दशकों में विकसित की गई संस्थागत व्यवस्था का समर्थन मिला है। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना, संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS), प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के मानदंड, नाबार्ड की री-फाइनेंस व्यवस्था और हाल में शुरू किया गया किसान ऋण पोर्टल मिलकर हर वर्ष लाखों भारतीय किसानों तक रियायती दरों पर ऋण पहुंचाने में मदद करते हैं *(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग 2026)।*

वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट ने इस ढांचे को और मजबूत किया। इसमें केसीसी-एमआईएसएस के तहत ऋण की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बिना जमानत कृषि ऋण की सीमा 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी (नाबार्ड 2025; आरबीआई 2026)। भारत के छोटे और सीमांत किसान इस बदलाव में पीछे नहीं छूटे। कुल जीएलसी यानी कृषि ऋण का आधे से अधिक हिस्सा अब इन्हीं छोटे और सीमांत किसानों को दिया जा रहा है। एक दशक पहले यह हिस्सा 41 प्रतिशत था, जो अब बढ़कर 52 प्रतिशत हो गया है (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग 2026)। मार्च 2026 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का प्राथमिकता क्षेत्र ऋण उनके समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) का 45 प्रतिशत था, जो 40 प्रतिशत के रेगुलेटरी न्यूनतम स्तर से काफी अधिक है *(आरबीआई 2026)।*

कुछ खामियां बरकरार

कवरेज में अंतर: संस्थागत कृषि ऋण राशि का विस्तार इसकी पहुंच की तुलना में कहीं अधिक तेजी से हुआ है। NAFIS 2021-22 के अनुसार, लगभग 45 प्रतिशत कृषक परिवारों ने ही ऋण लेने की जानकारी दी। ऋण लेने वाले परिवारों

में 75.5 प्रतिशत ने केवल संस्थागत स्रोतों से कर्ज लिया। इसका अर्थ है कि लगभग हर चार में से एक परिवार अब भी कम से कम आंशिक रूप से गैर-संस्थागत ऋण पर निर्भर है। ऐसे गैर-संस्थागत स्रोतों में परिवार और मित्र, रिश्तेदार, कृषि इनपुट विक्रेता और साहूकार शामिल हैं। कृषक परिवारों ने करीब 14 प्रतिशत ऋण इन स्रोतों से लिया।

किसान क्रेडिट कार्ड की पहुंच भी अधूरी बनी हुई है। केवल 44.1 प्रतिशत कृषक परिवारों के पास वैध केसीसी था, जबकि करीब 56 प्रतिशत परिवार इस योजना के दायरे से बाहर थे *(NAFIS 2021-22)*।

बटाईदार/पट्टेदार किसान अब भी बाहर: भूमि के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज नहीं होने

ऋण माफी से कर्जदारों को थोड़े समय के लिए राहत जरूर मिलती है, लेकिन इससे कृषि ऋण प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भविष्य में फिर से ऋण माफी की उम्मीद पैदा होने से ऋण चुकाने का अनुशासन कमजोर होता है, ईमानदारी से ऋण चुकाने वालों में भी डिफॉल्ट का जोखिम बढ़ जाता है।

के कारण पट्टेदार किसान संस्थागत ऋण प्राप्त नहीं कर सकते, पट्टे पर ली गई जमीन के लिए फसल बीमा नहीं करा सकते और पीएम-किसान तथा अधिकांश राज्य सरकारों की योजनाओं का लाभ भी नहीं उठा पाते। संयुक्त देयता समूह (ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप) इन परिवारों के एक छोटे हिस्से तक ही पहुंच पाए हैं। हक समिति ने एक मॉडल पट्टा कानून बनाने की सिफारिश की थी, ताकि भू-मालिकों के स्वामित्व अधिकारों पर आंच आए बिना पट्टेदार किसानों का औपचारिक रिकॉर्ड तैयार किया जा सके। इस तरह का सुधार संस्थागत कृषि ऋण की पहुंच को उन किसानों तक भी बढ़ा सकता है, जो मौजूदा व्यवस्था की पहुंच से काफी हद तक बाहर रह गए हैं।

क्षेत्रीय असंतुलन: संस्थागत कृषि ऋण का एक-तिहाई से अधिक हिस्सा देश के केवल तीन दक्षिणी राज्यों - तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक - में केंद्रित है (नाबार्ड 2025), जबकि इन राज्यों में भारत के 20 प्रतिशत से भी कम किसान हैं (कृषि जनगणना 2015, चित्र 2)। इसके अलावा, नाबार्ड के रीफाइनेंस आंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2024-25 में अल्पकालिक रीफाइनेंस में दक्षिणी क्षेत्र की हिस्सेदारी 46 प्रतिशत और दीर्घकालिक रीफाइनेंस में 42 प्रतिशत रही। वहीं, पूर्वोत्तर क्षेत्र की दीर्घकालिक रीफाइनेंस में हिस्सेदारी 2 प्रतिशत से भी कम रही (नाबार्ड 2025)। अर्थात व्यवहार में कृषि ऋण उन क्षेत्रों तक नहीं पहुंच रहा है, जहां भारत के अधिकांश कृषक परिवार निवास करते हैं।

कृषि ऋण का गैर-कृषि उपयोग में डायवर्जन: कृषि ऋण पर रिजर्व बैंक के आंतरिक कार्य समूह (2019) ने पाया कि कई प्रमुख राज्यों में बकाया अल्पकालिक ऋण राज्य में होने वाली खेती की कुल इनपुट आवश्यकता से काफी अधिक हो गया है। केरल में यह 326 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 254 प्रतिशत और पंजाब में 231 प्रतिशत तक पहुंच गया। आरबीआई इस स्थिति को सब्सिडी वाले कृषि ऋण के गैर-कृषि उपयोगों की ओर संभावित डायवर्जन के रूप में देखता है।

यह इंडिकेटर कम से कम दो बातें दर्शाता है - पूंजी निवेश में कुछ वास्तविक वृद्धि और कुछ ऐसी सब्सिडी जो कभी कृषि सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में नहीं जुड़ती। ऋण के इस डायवर्जन की समस्या से निपटने के लिए कृषि ऋण पर आरबीआई के आंतरिक कार्य समूह ने सिफारिश की थी कि ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र फसल ऋणों को विशेष रूप से किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही दिया जाए। इसका उद्देश्य इस तरह के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना था *(आरबीआई 2019)।*

कृषि ऋण माफी से ऋण संस्कृति कमजोर होती है, दीर्घकालिक संकट कम नहीं होता: वर्ष 2012 से 2026 के बीच 16 राज्य सरकारों ने कृषि ऋण माफी योजनाएं लागू कीं। इनमें से कई राज्यों ने एक से अधिक बार ऐसी योजनाएं लागू कीं। 2022 के बाद ही तीन बड़े राज्यों ने कृषि ऋण माफी की है। तेलंगाना ने जुलाई 2024 से दो लाख रुपये तक के कृषि ऋणों की कुल 31,000 करोड़ रुपये की माफी योजना लागू की, जिससे लगभग 70 लाख किसान लाभान्वित हुए। महाराष्ट्र की पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान ऋण राहत योजना को 2025-26 में मंजूरी दी गई, जिसके तहत दो लाख रुपये तक के फसल ऋण माफ किए गए। इस योजना से लगभग 36,585 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ आने का अनुमान है। इसी तरह, तमिलनाडु ने अप्रैल-मई 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले 14.43 लाख किसानों के लिए 75,000 रुपये तक के सहकारी फसल ऋण माफ किए। इसका वित्तीय बोझ 5,932 करोड़ रुपये का था। इनमें से कई ऋण माफी योजनाएं चुनावों के आसपास लागू की गईं। कृषि ऋण माफी से कर्ज में डूबे किसानों को अस्थायी राहत मिल सकती है, लेकिन इससे व्यापक कृषि ऋण व्यवस्था कमजोर हो सकती है।

भविष्य की नीति में कृषि ऋण की गुणवत्ता और उसके उद्देश्य पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। संस्थागत वित्त का एक बड़ा हिस्सा सिंचाई, कृषि मशीनीकरण, हार्वेस्टिंग के बाद के बुनियादी ढांचे, संरक्षित खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे दीर्घकालिक और उत्पादक निवेश में लगाया जाना चाहिए।

सैनी एवं अन्य (2021) के अनुसार, ऋण माफी से कर्जदारों को थोड़े समय के लिए राहत जरूर मिलती है, लेकिन इससे कृषि ऋण प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भविष्य में फिर से ऋण माफी की उम्मीद पैदा होने से ऋण चुकाने का अनुशासन कमजोर होता है, ईमानदारी से ऋण चुकाने वालों में भी डिफॉल्ट का जोखिम बढ़ जाता है। इसके अलावा, इससे सिंचाई, मृदा एवं जल संरक्षण, कृषि अनुसंधान और शिक्षा तथा पूंजी निर्माण जैसे उत्पादकता बढ़ाने वाले क्षेत्रों से संसाधन हटाकर ऋण माफी में लगा दिए जाते हैं।

वर्ष 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी ऋण राहत योजनाओं (डीआरएस) के लिए मॉडल ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया। यह इस विषय पर रिजर्व बैंक का पहला स्ट्रक्चर्ड ढांचा था। इसमें कहा गया कि बार-बार ऋण राहत योजनाओं की घोषणा से ऋण अनुशासन कमजोर होने, ऋण भुगतान में देरी को बढ़ावा मिलने और नए ऋण बाधित होने का जोखिम रहता है। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि ऋण राहत योजनाओं पर केवल अंतिम उपाय के रूप में विचार किया जाना चाहिए, जब वित्तीय संकट दूर करने के अन्य उपाय विफल हो चुके हों। व्यापक स्तर पर राहत देने के लिए ऋण माफी की तुलना में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को अधिक उपयुक्त माध्यम बताया गया है (आरबीआई, 2024)।

हालांकि, ऋण लेने की प्रक्रिया खुद उन किसानों के लिए बड़ी बाधा बनी हुई है, जिन्हें इस व्यवस्था तक पहुंच की सबसे अधिक

फोटो: रूरल वर्ल्ड

ग्राफ 1: कृषि ऋण वितरण में रुझान (लाख करोड़ रुपये)

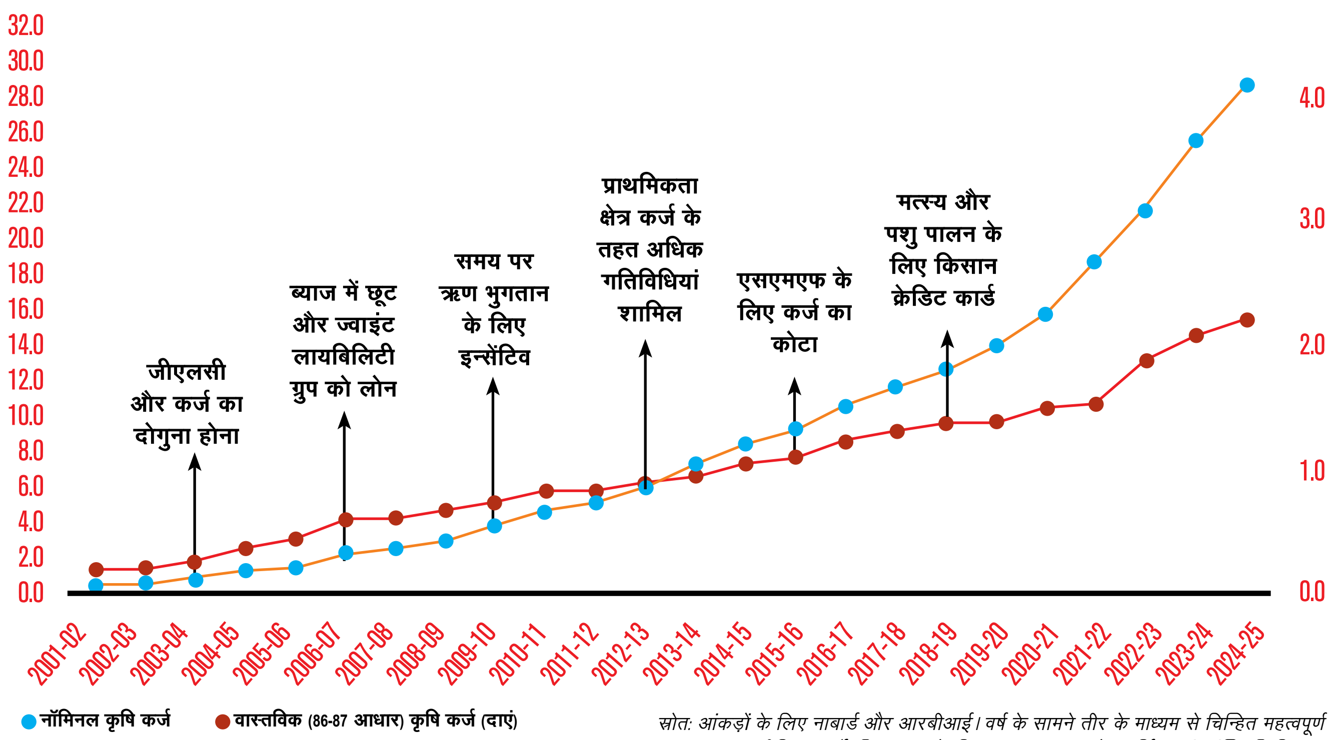

स्रोत: आंकड़ों के लिए नाबार्ड और आरबीआई। वर्ष के सामने तीर के माध्यम से चिन्हित महत्वपूर्ण नीतिगत वर्षों की पहचान के लिए भारत सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग।

जरूरत है। फसल ऋण के लिए आवेदन करने वाले किसान को आमतौर पर छह से आठ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इनमें केवाईसी, भूमि रिकॉर्ड, गिरदावरी, कर रसीदें, स्वामित्व दस्तावेज और नो-ड्यूज प्रमाणपत्र जैसे कागजात शामिल हैं। इन आवश्यकताओं की जानकारी अक्सर बैंकिंग भाषा में दी जाती है, जिसे छोटे और सीमांत किसानों के लिए समझना और पूरा करना आसान नहीं होता *(नाबार्ड, 2022)*।

कुछ राज्यों में इस अंतर को पाटने के लिए बिचौलियों की भूमिका भी सामने आई है। ये बिचौलिए किसानों को ऋण प्रक्रिया में सहायता के बदले स्वीकृत ऋण की एक निश्चित प्रतिशत राशि लेते रहे हैं *(सैनी एवं अन्य, 2021)*।

सरकार ने सितंबर 2023 में शुरू किए गए किसान ऋण पोर्टल के माध्यम से इस प्रक्रिया की जटिलताओं को कम करने का प्रयास किया है। यह पोर्टल 30 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, 20 राज्य सहकारी बैंकों और 356 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की 1.8 लाख बैंक शाखाओं को एकीकृत करता है। यह एग्रीस्टैक, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यूआईडीएआई और इलेक्ट्रॉनिक स्केल ऑफ फाइनेंस से प्राप्त 54 पूर्व निर्धारित डेटा फील्ड के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड आवेदनों का सत्यापन करता है *(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, 2026)*।

हालांकि, यह सवाल अब भी बरकरार है कि क्या इन डिजिटल व्यवस्थाओं ने छोटे और अनपढ़ किसानों के लिए ऋण प्रणाली तक पहुंच की वास्तविक बाधा को कम किया है, या फिर उन्होंने केवल पात्र किसानों के लिए ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को तेज बनाया है।

फिर भी, समग्र रूप से आकलन करने पर यह कहा जा सकता है कि भारत ने संस्थागत कृषि ऋण जुटाने की समस्या को काफी हद तक हल कर लिया है। अब मुख्य चुनौती ऋण तक समान और न्यायसंगत पहुंच, ऋण का उचित उपयोग, उत्पादक गतिविधियों में अतिरिक्त निवेश सुनिश्चित करने और ऋण चुकाने में अनुशासन कायम करने की है। इसके लिए हम कुछ सुझाव दे रहे हैं:

नीतिगत सिफारिशें

1) ऋण लक्ष्यों से आगे बढ़कर निवेश आधारित कृषि वित्त की ओर बढ़ना: भारत की कृषि ऋण नीति का आकलन बड़े पैमाने पर हर वर्ष वितरित किए गए ऋण की मात्रा के आधार पर किया जाता रहा है। यह राशि 2000 के दशक की शुरुआत में एक लाख करोड़ रुपये से भी कम थी, जो 2024-25 में बढ़कर लगभग 29 लाख करोड़ रुपये हो गई है (ग्राफ 1)। हालांकि, यह विस्तार निस्संदेह एक महत्वपूर्ण नीतिगत उपलब्धि है, लेकिन केवल ऋण की मात्रा बढ़ाना समस्या का समाधान नहीं है। भविष्य की नीति में कृषि ऋण की गुणवत्ता और उसके उद्देश्य पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।

संस्थागत वित्त का एक बड़ा हिस्सा सिंचाई, कृषि मशीनीकरण, हार्वेस्टिंग के बाद के बुनियादी ढांचे, संरक्षित खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे दीर्घकालिक और उत्पादक निवेश में लगाया जाना चाहिए। इसके साथ कृषि विस्तार सेवाओं, फसल बीमा और बाजार तक बेहतर पहुंच को भी जोड़ा जाना चाहिए, ताकि किसानों की ऋण चुकाने की क्षमता और दीर्घकालिक कृषि उत्पादकता में सुधार हो सके।

2) क्षेत्र विशिष्ट कृषि ऋण योजना: यह विश्लेषण संस्थागत कृषि ऋण में बढ़ते क्षेत्रीय असंतुलन को उजागर करता है। संस्थागत

ग्राफ 2: वित्त वर्ष 2023-24 में कृषि को वितरित कुल ऋण में राज्यों की हिस्सेदारी

कुल कर्ज: 2023-24 में 21.9 लाख करोड़ रुपये

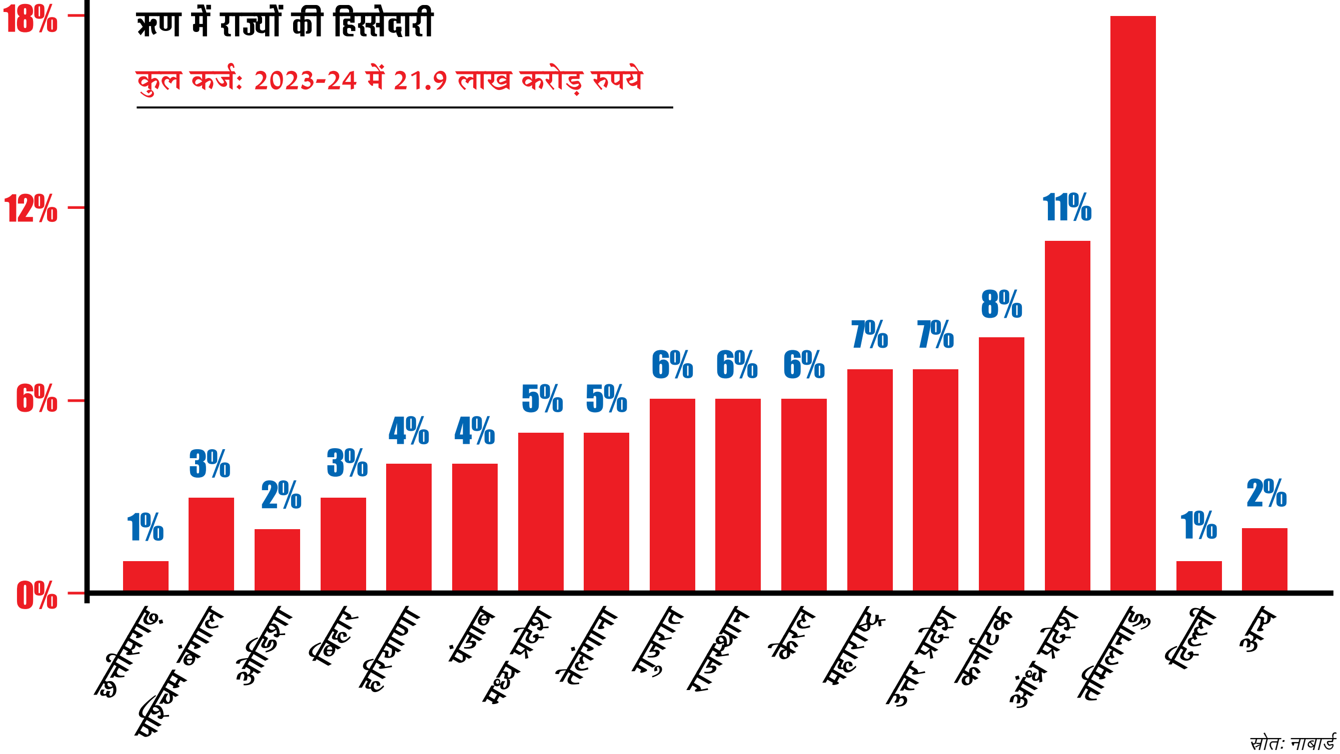

स्रोत: नाबार्ड

ऋण अपेक्षाकृत कम संख्या वाले और कृषि की दृष्टि से उन्नत राज्यों में अधिक केंद्रित है, जबकि अन्य क्षेत्रों में संस्थागत ऋण की पहुंच अब भी कम है। एक समान राष्ट्रीय ऋण लक्ष्य से क्षेत्रीय अंतर दूर नहीं हो सकता। इसलिए कृषि ऋण योजना में राज्य-विशिष्ट फसल प्रणालियों, कृषि-जलवायु परिस्थितियों, सिंचाई की तीव्रता, बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर और क्षेत्रीय निवेश आवश्यकताओं को शामिल किया जाना चाहिए। इस तरह के दृष्टिकोण से संस्थागत वित्त से वंचित क्षेत्रों में औपचारिक वित्त की पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। वहीं, अधिक ऋण वाले राज्यों को धीरे-धीरे निवेश आधारित और जलवायु के प्रति सहनशील कृषि के विकास को प्राथमिकता देने का अवसर मिलेगा।

3) कृषि ऋण को व्यापक ग्रामीण वित्तीय इकोसिस्टम से जोड़ना: केवल ऋण तक पहुंच ग्रामीण वित्त की समस्या का समाधान नहीं कर सकती। इसलिए कृषि वित्त को व्यापक ग्रामीण वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के एक घटक के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें फसल बीमा, डिजिटल वित्तीय सेवाएं, बचत, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), कृषि विस्तार सेवाएं और मार्केट लिंकेज को एकीकृत किया जाए।

इसी तरह, नीतियों के मूल्यांकन को केवल वितरित किए गए ऋण की मात्रा मापने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। इसके बजाय यह आकलन किया जाना चाहिए कि संस्थागत ऋण से कृषि उत्पादकता, परिवार की आय और ऋण चुकाने तथा संकट से जूझने की क्षमता बेहतर हुई है या नहीं। परिणाम आधारित निगरानी से कृषि ऋण नीति की प्रभावशीलता का अधिक सार्थक आकलन संभव होगा।

4) कृषि परिवारों के लिए गैर-संस्थागत ऋण अब भी महत्वपूर्ण: अनौपचारिक ऋणदाता अक्सर पट्टेदार किसानों, छोटे किसानों और तत्काल जरूरत वाले या चिकित्सा खर्च से जूझ रहे परिवारों के लिए ऋण का सबसे तेज स्रोत हैं। इसलिए नीति का उद्देश्य इन्हें समाप्त करना नहीं, बल्कि रेगुलेट करना होना चाहिए। एक आदर्श रेगुलेटरी ढांचे के तहत पेशेवर ऋणदाताओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया जाना चाहिए। उन्हें ब्याज दरों और अन्य शुल्कों का स्पष्ट खुलासा करना, लिखित या डिजिटल ऋण रिकॉर्ड रखना, भुगतान की रसीद जारी करना और निर्धारित ऋण-वसूली प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए।

अत्यधिक ब्याज दरों, जबरन वसूली, कोरे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने और उत्पादक परिसंपत्तियों की अनधिकृत जब्ती पर रोक लगाई जानी चाहिए। जिला स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र तथा पेशेवर साहूकारों और परिवार या मित्रों से लिए गए आकस्मिक ऋण के बीच स्पष्ट अंतर करने से अनौपचारिक ऋण की सहज उपलब्धता को बनाए रखते हुए अपारदर्शिता और शोषण को कम किया जा सकेगा।

5) कर्जमाफी की बजाय संकट प्रबंधन: ग्रामीण क्षेत्र में ऋण का बोझ एक वास्तविक समस्या है। इसका मुख्य कारण अक्सर फसल के मूल्य

चक्र तथा मौसम से जुड़ी असुरक्षाएं होती हैं। बार-बार की जाने वाली कृषि ऋण माफी पर चर्चा यह दर्शाती है कि सरकारें अक्सर तब प्रतिक्रिया देती हैं, जब किसानों पर वित्तीय दबाव पहले ही काफी बढ़ चुका होता है। हालांकि कर्जमाफी से अस्थायी राहत मिल सकती है, लेकिन यह ऋण के मूल कारणों को दूर करने में कोई खास मदद नहीं करती है। इससे अधिक टिकाऊ उपाय यह होगा कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित किसान संकट सूचकांक (Farmer Distress Index-FDI) को कृषि ऋण योजना में शामिल किया जाए।

किसानों की ऋण चुकाने की क्षमता कमजोर होने से पहले ही अधिक संकट वाले क्षेत्रों की पहचान करके यह सूचकांक वित्तीय संस्थानों को रियायती ऋण, अस्थायी रीस्ट्रक्चरिंग, बीमा सहायता और लक्षित आजीविका संबंधी हस्तक्षेप समय रहते शुरू करने में सक्षम बना सकता है। इससे बार-बार की जाने वाली कर्जमाफी पर निर्भरता कम होगी और कृषि ऋण प्रणाली की दक्षता तथा संकटग्रस्त किसान परिवारों की आर्थिक मजबूती, दोनों में सुधार होगा।

कृषि ऋण सुधारों के अगले चरण में केवल ऋण की मात्रा बढ़ाने के बजाय उसकी गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। भविष्य की नीतियों में उन किसानों तक समान और न्यायसंगत पहुंच को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो अब तक ऋण सुविधा से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं हो पाए हैं। साथ ही, यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि ऋण का आवंटन उन क्षेत्रों और किसानों तक पहुंचे जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

नीतियों के जरिए ऐसे उत्पादक निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए, जो किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनकी कृषि गतिविधियों को अधिक टिकाऊ और जोखिम सहने योग्य बनाएं। इसके अलावा, बाजार तक बेहतर पहुंच, फसल बीमा, कृषि विस्तार सेवाओं और जोखिम प्रबंधन जैसे पूरक उपायों के माध्यम से किसानों की ऋण चुकाने की क्षमता को मजबूत किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, कृषि ऋण नीति की सफलता का आकलन अब इस आधार पर नहीं किया जाना चाहिए कि कितना ऋण वितरित किया गया, इसके बजाय इस बात से किया जाए कि वह टिकाऊ कृषि विकास में कितनी प्रभावी भूमिका निभा रहा है। Rw

रूरल वर्ल्ड सब्सक्राइब करें

Rural World
AN IDEA FOR A PROSPEROUS RURAL INDIA

रूरल वर्ल्ड पत्रिका कृषि नीति, किसानों के मुद्दों, नई तकनीक, एग्री-बिजनेस और नई योजनाओं से जुड़ी तथ्यपरक जानकारी देती है। हर अंक में किसी अहम मुद्दे पर विशेषज्ञों के लेख, इंटरव्यू, ग्राउंड रिपोर्ट और समाचार होते है।

Scan QR code to subscribe magazine

सब्सक्रिप्शन का लिंक

https://subscriptions.ruralvoice.in

कृषि कर्ज का नया इकोसिस्टम

रिकॉर्ड कृषि ऋण के बावजूद छोटे किसानों तक सस्ती पूंजी क्यों नहीं पहुंच रही और फिनटेक कैसे बदल रहे हैं एग्री फाइनेंस का परिदृश्य

एस.के. सिंह

कृषि क्षेत्र को मिलने वाला कर्ज अब तीसरे चरण में पहुंच गया है। पहले चरण में बैंकों ने प्राथमिकता क्षेत्र के तहत कृषि ऋण दिए। उसके बाद एनबीएफसी आए, और अब तीसरे चरण में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनियां कृषि क्षेत्र की कर्ज की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में तेजी से बढ़ रही हैं। फिनटेक किसानों के साथ किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), डेयरी, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे संबद्ध क्षेत्रों और कृषि उद्यमों को भी ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने ऋण देने की प्रक्रिया को आसान करने के साथ पारदर्शी भी बनाया है। हालांकि कृषि कर्ज के इस उभरते इकोसिस्टम पर अभी से रेगुलेटरी नजर रखने की जरूरत है, ताकि आगे चलकर यह 'बबल' न बन जाए।

फिनटेक के उभरने के कई कारण हैं। वर्ष 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, कृषि क्षेत्र में गैर-संस्थागत ऋण की हिस्सेदारी 1950 के 90 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 23.4 प्रतिशत रह गई। इससे पता चलता है कि साहूकारों पर किसानों की निर्भरता कम हुई और औपचारिक वित्तीय व्यवस्था मजबूत हुई है। लेकिन ऋण का आकार बढ़ने के बावजूद उसकी पहुंच, गुणवत्ता और लागत को लेकर गंभीर सवाल बने हुए हैं। देश के अनेक छोटे किसान, एफपीओ और ग्रामीण उद्यमी अब भी समय पर और सस्ती दर पर ऋण नहीं जुटा पा रहे हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण में ही एक महत्वपूर्ण चेतावनी दी गई है। देश में कृषि गतिविधियों, पीएम-किसान लाभार्थियों और संस्थागत ऋण के बीच संतुलन नहीं है। उदाहरण के लिए, मध्य भारत में देश के सकल फसल क्षेत्र का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा है और पीएम-किसान के सबसे अधिक लाभार्थी भी यहीं हैं, लेकिन संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS) के तहत कुल राशि का केवल 14.7 प्रतिशत ही इस क्षेत्र को मिला। यह बताता है कि कृषि ऋण का वितरण अभी तक समान नहीं है। इसी अंतर को भरने की कोशिश में पहले एनबीएफसी और अब फिनटेक तेजी से आगे आ रहे हैं।

टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का आगमन

टेक्नोलॉजी आधारित ऋण प्लेटफॉर्म डिजिटल पहचान, ई-केवाईसी, आधार, यूपीआई, अकाउंट एग्रीगेटर और वैकल्पिक डेटा का उपयोग कर ऐसे किसानों तक पहुंच रहे हैं, जिनके लिए पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था कठिन थी। इनसे ऋण स्वीकृति का समय कम हुआ है और प्रोसेसिंग भी आसान बनी है।

कंसल्टेंसी फर्म ईवाई में स्ट्रैटजी एवं ट्रांजैक्शन पार्टनर सत्यम शिवम सुंदरम बताते हैं, "फिनटेक ने ऋण की पहुंच बहुत आसान कर दी है। उन्होंने हर व्यक्ति का पर्सोना बना दिया और पारदर्शिता लेकर आए। इससे कर्ज देने की प्रक्रिया आसान हो गई। अब ऐसे टूल्स हैं जिनकी मदद से कर्ज लेने वाले व्यक्ति का आकलन किया जा सकता है, उसका रिस्क असेसमेंट बेहतर हो गया है। जो कर्ज पहले आरबीआई और सरकार के दबाव में पुश-ड्रिवन था, फिनटेक के कारण वह पुल-ड्रिवन हो गया। अर्थात अब ऋण की मांग पैदा होने लगी है।"

कर्ज देने में सबसे पहले यह देखा जाता है कि कर्ज लेने वाले की व्यक्तिगत या संस्थागत विश्वसनीयता कितनी है। उसके बाद देखा जाता है कि जिस प्रोजेक्ट के लिए कर्ज दिया जा रहा है उसमें कितनी संभावना है। आज ई-केवाईसी, आधार और क्रेडिट हिस्ट्री पारदर्शी तरीके से

देश में लगभग 45 हजार एफपीओ हैं, लेकिन इनमें से केवल पांच से सात हजार को ही संस्थागत ऋण मिल पाया है। इसका प्रमुख कारण यह है कि छोटे ऋणों की प्रोसेसिंग पर बैंकों की लागत बहुत अधिक आती है। इसलिए अधिकांश बैंक इस क्षेत्र में सक्रिय रुचि नहीं लेते।

प्रवेश शर्मा
रिटायर्ड आईएएस और SFAC के पूर्व एमडी

आने वाले वर्षों में कृषि मूल्य श्रृंखला में एफपीओ, स्वयं सहायता समूह, सहकारी संस्थाओं और कृषि उद्यमियों की भूमिका तेजी से बढ़ेगी। इसके साथ हार्वेस्टिंग के बाद के बुनियादी ढांचे, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग इकाइयों के लिए दीर्घकालिक ऋण की मांग भी बढ़ेगी।

सत्यम शिवम सुंदरम
स्ट्रैटजी एवं ट्रांजैक्शन पार्टनर, ईवाई

लगभग 60 प्रतिशत किसानों को अब भी बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त ऋण नहीं मिल पाता। एनबीएफसी विकल्प तो बनते हैं, लेकिन उनकी ऊंची ब्याज दरें किसानों के लिए भारी पड़ती हैं। कुछ एनबीएफसी 24% तक ब्याज लेते हैं और कई मामलों में चक्रवृद्धि ब्याज वसूलते हैं।

योगेश द्विवेदी, सीईओ, मध्य भारत
कंसोर्टियम ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी

उपलब्ध हैं। इनकी मदद से व्यक्ति के पुराने व्यवहार के आधार पर एक स्तर तक आकलन किया जा सकता है कि उसे कर्ज देने में कितना जोखिम है।

सत्यम का मानना है कि आने वाले वर्षों में कृषि मूल्य श्रृंखला में एफपीओ, स्वयं सहायता समूह, सहकारी संस्थाओं और कृषि उद्यमियों की भूमिका तेजी से बढ़ेगी। इसके साथ हार्वेस्टिंग के बाद के बुनियादी ढांचे, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग इकाइयों के लिए दीर्घकालिक ऋण की मांग भी बढ़ेगी।

लेकिन कृषि वित्त की जमीनी तस्वीर केवल तकनीक से नहीं बदलती। रिटायर्ड आईएएस और स्मॉल फार्मर्स एग्रीबिजनेस कंसोर्टियम (SFAC) के पूर्व प्रबंध निदेशक (एमडी) प्रवेश शर्मा मानते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती एफपीओ तक पूंजी पहुंचाने की है। उनके अनुसार देश में लगभग 45 हजार एफपीओ (केंद्र सरकार की स्कीम के तहत रजिस्टर्ड 10,000 एफपीओ समेत) हैं, लेकिन इनमें से केवल पांच से सात हजार को ही संस्थागत ऋण मिल पाया है। इसका प्रमुख कारण यह है कि छोटे ऋणों की प्रोसेसिंग पर बैंकों की लागत बहुत अधिक आती है। इसलिए अधिकांश बैंक इस क्षेत्र में सक्रिय रुचि नहीं लेते।

प्रवेश शर्मा बताते हैं कि एनबीएफसी ने इस खाली जगह को भरने की कोशिश जरूर की, लेकिन उनकी अपनी सीमाएं हैं। वे स्वयं बैंकों से पूंजी जुटाते हैं, इसलिए उनकी ब्याज दरें 18 से 20 प्रतिशत तक पहुंच जाती हैं। उनके अनुसार एफपीओ लचीली शर्तों के कारण एनबीएफसी से प्रारंभिक ऋण तो लेते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी बैंकिंग साख बनती है, वे कम ब्याज वाले बैंक ऋण की ओर लौट जाते हैं।

हाल तक कृषि उद्यम समुन्नति के बोर्ड सदस्य रहे प्रवेश शर्मा उदाहरण देते हैं कि समुन्नति जैसी संस्था नए एफपीओ को गठन के एक सप्ताह के भीतर पांच लाख रुपये तक का ऋण कैश फ्लो के आधार पर देती थी, लेकिन लगभग 80 प्रतिशत एफपीओ ने बाद में दूसरा ऋण बैंकों से लिया। उनका स्पष्ट मत है कि एफपीओ की सबसे बड़ी समस्या बाजार नहीं, बल्कि कार्यशील पूंजी की उपलब्धता है। इसी वजह से वे फिनटेक को एफपीओ के लिए उपयोगी नहीं मानते हैं।

मध्य भारत कंसोर्टियम ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) योगेश द्विवेदी एक अलग दृष्टिकोण रखते हैं। उनका कहना है कि लगभग 60 प्रतिशत किसानों को अब भी बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त ऋण नहीं मिल पाता। ऐसे में एनबीएफसी विकल्प तो बनते हैं, लेकिन उनकी ऊंची ब्याज दरें किसानों के लिए भारी पड़ती हैं। वे कहते हैं कि कुछ एनबीएफसी 24 प्रतिशत तक ब्याज लेते हैं और कई मामलों में चक्रवृद्धि ब्याज वसूलते हैं। कृषि उत्पादन की अनिश्चितता को देखते हुए यह व्यवस्था किसानों को कर्ज के जाल में भी धकेल सकती है।

योगेश द्विवेदी का कहना है कि खेती रोज नकदी प्रवाह वाला व्यवसाय नहीं है। यदि किसी किसान ने चार या छह महीने बाद तैयार होने वाली फसल के लिए महंगे ब्याज पर ऋण लिया है, तो खराब मौसम या बाजार में गिरावट की स्थिति में उसका पुनर्भुगतान कठिन हो सकता है। उनके अनुसार छोटे किसानों को

बजट आवंटन

- **संशोधित ब्याज राहत योजना (MISS): 2026-27 में 22,600 करोड़ रुपये का प्रावधान। पिछले साल भी यह राशि इतनी ही थी। वर्ष 2024-25 में योजना पर 17,812 करोड़ रुपये खर्च।**
- **पीएम किसान सम्मान निधि: इस वर्ष 63,500 करोड़ रुपये का प्रावधान, पिछले साल के बराबर। वर्ष 2024-25 में इस मद में 66,121 करोड़ रुपये खर्च हुए थे।**

एग्रीफूड इकोनॉमी में गैर-बैंक ऋण की बढ़ती भूमिका

पांच मिनट। आर्या.एजी (Arya.ag) के किसी गोदाम में पहुंचने के बाद एक किसान का ऋण मंजूर होने में बस इतना ही समय लगता है। यह समय भारत के कुछ सबसे तेज रफ्तार वाले शहरों में क्विक-कॉमर्स ऑर्डर की डिलीवरी से भी कम है। किसान अपनी उपज लेकर गोदाम पहुंचता है, वहां अनाज का वजन किया जाता है, एआई आधारित स्कैनर गुणवत्ता का आकलन करते हैं और कुछ ही मिनटों के भीतर उसकी उपज के मूल्य का 60-75 प्रतिशत तक ऋण उसके बैंक खाते में जमा हो जाता है। न कोई कागजी कार्रवाई और न ही हफ्तों का इंतजार। अनाज सुरक्षित रूप से गोदाम में रखा रहता है। इससे किसान को फसल कटाई के तुरंत बाद कम कीमत पर अपनी उपज बेचने के बजाय बाजार भाव बेहतर होने तक इंतजार करने की आजादी मिलती है।

मार्क कान
मैनेजिंग पार्टनर, ओम्नीवोर

आर्या भारत के कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए क्रेडिट इकोसिस्टम में हो रहे व्यापक बदलाव का एक उदाहरण है। भारत में कृषि ऋण निरंतर बढ़ा है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पूंजी की बढ़ती मांग को दर्शाता है। जहां अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अब भी कृषि ऋण का सबसे बड़ा हिस्सा उपलब्ध कराते हैं, वहीं एनबीएफसी, फिनटेक कंपनियां और एम्बेडेड फाइनेंस प्लेटफॉर्म भी इस सेक्टर की वित्तीय जरूरतों को तेजी से पूरा कर रहे हैं। ये संस्थाएं विभिन्न वैल्यू चेन और कारोबारी मॉडलों के अनुरूप विशेष वित्तीय उत्पाद विकसित कर रही हैं।

जैसे-जैसे कृषि-खाद्य अर्थव्यवस्था अधिक विशिष्ट और संगठित हुई है, उसकी पूंजी की जरूरतें भी बदल गई हैं। अब इस क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताएं केवल मौसमी फसल ऋण तक सीमित नहीं हैं। किसानों को सिर्फ कृषि इनपुट खरीदने के लिए नहीं, बल्कि फसल कटाई के बाद उपज के भंडारण, कृषि मशीनीकरण में निवेश, डेयरी और मत्स्य पालन जैसी संबद्ध गतिविधियों में विविधीकरण तथा पूरे वर्ष कैश फ्लो के लिए भी पूंजी की जरूरत पड़ रही है।

इसी तरह एफपीओ, वेयरहाउस, प्रोसेसर, निर्यातकों, कृषि-इनपुट रिटेलर और लॉजिस्टिक्स सेवा देने वालों को भी उपज की खरीद, इन्वेंटरी के वित्तपोषण, प्राप्तियों में देरी होने पर नकदी की कमी को पूरा करने और कृषि आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यशील पूंजी की केवल ऋण नहीं, बल्कि तकनीकी सलाह, बाजार सहायता और जोखिम प्रबंधन की भी जरूरत होती है। हालांकि वे यह भी स्वीकार करते हैं कि एनबीएफसी किसानों और एफपीओ की क्रेडिट हिस्ट्री बनाने में उपयोगी भूमिका निभाते हैं और बैंक ऋण मिलने में देरी होने पर अस्थायी वित्त का महत्वपूर्ण स्रोत बनते हैं।

ऋण की गुणवत्ता सुधारने की जरूरत

जलवायु परिवर्तन कृषि वित्त के लिए नई चुनौती बनकर उभरा है। बेमौसम बारिश, हीट स्ट्रेस, नई बीमारियां और उत्पादन में बढ़ती अनिश्चितता ऋणदाताओं के लिए जोखिम बढ़ा रही हैं। सत्यम शिवम सुंदरम का मानना है कि आने वाले वर्षों में ऋण और बीमा एक-दूसरे के पूरक बन जाएंगे। सैटेलाइट इमेजिंग और डिजिटल डेटा के कारण अब खेत स्तर पर नुकसान का आकलन संभव हो रहा है, जिससे बीमा दावों और ऋण जोखिम दोनों का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा।

फिनटेक की सबसे बड़ी ताकत उसकी कम परिचालन लागत और डेटा आधारित जोखिम आकलन है। डिजिटल दस्तावेज, ई-केवाईसी, ऑनलाइन भुगतान और वैकल्पिक डेटा स्रोतों ने ऋण वितरण को तेज बनाया है। यही कारण है कि अब फिनटेक केवल उपभोक्ता ऋण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और ग्रामीण उद्यमों के लिए भी नए उत्पाद विकसित कर रहे हैं। दूसरी ओर, एनबीएफसी वेयरहाउस रसीद आधारित फाइनेंसिंग, कृषि उपकरण ऋण, मौसमी कार्यशील पूंजी और बैंकों के साथ को-लेंडिंग मॉडल के जरिए वित्तीय समावेशन को गति दे रहे हैं।

फिर भी विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल तकनीक पर्याप्त नहीं होगी। यदि ऋण महंगा रहेगा या उसकी शर्तें खेती के नकदी प्रवाह से मेल नहीं खाएंगी, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म भी किसानों की समस्या का स्थायी समाधान नहीं बन पाएंगे। इसलिए कृषि वित्त की अगली चुनौती केवल ऋण का विस्तार नहीं, बल्कि

आवश्यकता होती है। बैंकिंग संस्थानों का स्थान लेने के बजाय, उभरती गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं औपचारिक वित्त की पहुंच को व्यापक बना रही हैं। वे उन वित्तीय जरूरतों को पूरा कर रही हैं, जहां अधिक तेजी, लचीलापन या विशेष प्रकार की जांच और आकलन की आवश्यकता होती है।

किसान को वास्तविक लाभ तब मिलता है, जब किसी एफपीओ के पास उपज को एकत्र करने के लिए पर्याप्त पूंजी हो, जब कोई प्रोसेसर कटाई के तुरंत बाद उपज खरीद सके या जब कोई वेयरहाउस भंडार में रखे अनाज के आधार पर फाइनेंस दे सके। कृषि बाजारों की दक्षता इस बात पर निर्भर करती है कि पूरी वैल्यू चेन में पूंजी कितनी सहजता और निर्बाध रूप से प्रवाहित होती है।

आर्या का मॉडल इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि गैर-बैंकिंग ऋण एग्रीफूड इकोसिस्टम में किस तरह कई स्तरों पर लाभ पहुंचा सकता है। वेयरहाउस रसीद के जरिए किसान अपनी उपज को तुरंत बेचने के बजाय उसका भंडारण कर सकते हैं, और बिक्री का समय वे अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। इससे किसान को कार्यशील पूंजी उस समय मिलती है,

किसान को वास्तविक लाभ तब मिलता है, जब किसी एफपीओ के पास उपज को एकत्र करने के लिए पर्याप्त पूंजी हो, जब कोई प्रोसेसर कटाई के तुरंत बाद उपज खरीद सके या जब कोई वेयरहाउस भंडार में रखे अनाज के आधार पर फाइनेंस दे सके। कृषि बाजारों की दक्षता इस बात पर निर्भर करती है कि पूरी वैल्यू चेन में पूंजी कितनी सहजता और निर्बाध रूप से प्रवाहित होती है।

जब उसकी सबसे अधिक जरूरत होती है। वहीं, वेयरहाउस की क्षमता का बेहतर उपयोग होता है और प्रोसेसरों को अधिक भरोसेमंद तरीके से कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। ऋण साझेदारी के जरिए बैंक इस व्यवस्था में भाग ले सकते हैं। इस तरह, एक ही वित्तीय उत्पाद कृषि मूल्य श्रृंखला से जुड़े कई पक्षों के परिणामों को बेहतर बनाता है।

यही कारण है कि भारत की एग्रीफूड अर्थव्यवस्था में गैर-बैंकिंग ऋण का महत्व लगातार बढ़ रहा है। इसकी भूमिका एक ऐसे व्यापक वित्तीय तंत्र के निर्माण की है, जो जटिल और आपस में जुड़े इस क्षेत्र की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सके।

जैसे-जैसे कृषि एक उत्पादन केंद्रित क्षेत्र से आगे बढ़कर एकीकृत एग्रीफूड इकोनॉमी का रूप ले रही है, केवल खेती के लिए वित्त उपलब्ध कराना अब पर्याप्त नहीं रह गया है। कृषि विकास के अगले चरण में मूल्य सृजन के हर स्तर को वित्तपोषित करने की जरूरत होगी - कृषि इनपुट की खरीद से लेकर खेत से उपभोक्ता तक उत्पादों को ले जाने तक। इस यात्रा में बैंक अपनी केंद्रीय भूमिका निभाते रहेंगे। वहीं, एनबीएफसी और फिनटेक कंपनियां एक ऐसे कनेक्टिंग लिंक के रूप में उभर रही हैं, जो पूरे इकोसिस्टम को अधिक दक्ष, मजबूत, लचीला और समावेशी बनाने में मदद कर सकता है।

एक दशक में तीन गुना हुआ कृषि ऋण

वित्त वर्ष	फसल ऋण	टर्म लोन	कुल
2014-15	6.35	2.10	8.45
2015-16	6.65	2.50	9.15
2016-17	6.89	3.76	10.65
2017-18	7.53	4.09	11.62
2018-19	7.72	5.05	12.77
2019-20	8.25	5.68	13.93
2020-21	8.94	6.82	15.76
2021-22	11.00	7.64	18.64
2022-23	13.19	8.36	21.55
2023-24	15.08	10.40	25.48
2024-25	16.22	12.45	28.67

(आंकड़े लाख करोड़ रुपये में, स्रोत: कृषि मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट, 2025-26)

उसकी गुणवत्ता सुधारना होगी।

भारत की कृषि अर्थव्यवस्था ऐसे दौर में है, जहां पूंजी की मांग लगातार बढ़ रही है। एफपीओ, कृषि स्टार्टअप, एग्री-प्रोसेसिंग, डेयरी, मत्स्य पालन और एग्री-इन्फ्रास्ट्रक्चर आने वाले वर्षों में कृषि विकास के प्रमुख इंजन बनेंगे। इन क्षेत्रों को पारंपरिक बैंकिंग और आधुनिक फिनटेक दोनों की जरूरत होगी। लेकिन इसके साथ संतुलित नियमन भी उतना ही आवश्यक है। जैसा कि सत्यम शिवम सुंदरम चेतावनी देते हैं, "यदि फिनटेक आधारित कृषि ऋण का विस्तार बिना पर्याप्त निगरानी के हुआ, तो यह भविष्य में एक वित्तीय 'बबल' का रूप ले सकता है। इसलिए पारदर्शिता, डेटा सार्वजनिक करने और जिम्मेदार ऋण वितरण को प्राथमिकता देनी होगी।"

स्पष्ट है कि भारत में कृषि ऋण का अगला दौर केवल आंकड़ों का नहीं होगा। असली सफलता तब मानी जाएगी, जब छोटे किसान, एफपीओ और ग्रामीण उद्यमी भी सस्ती, समय पर और दीर्घकालिक वित्तीय सेवाओं तक समान रूप से पहुंच पाएंगे। तभी कृषि ऋण का विस्तार वास्तव में समावेशी विकास का आधार बन सकेगा। Rw

ग्रामीण आय में सुस्ती, गैर-संस्थागत कर्ज पर निर्भरता बढ़ी

नाबार्ड के सर्वे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुस्ती के संकेत मिले हैं। आय में बढ़ोतरी वाले परिवारों का अनुपात घटा है जबकि रिश्तेदारों और साहूकारों से कर्ज लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। विशेषज्ञ इसे ग्रामीण वित्तीय दबाव का शुरुआती संकेत मान रहे हैं

अजीत सिंह

इस साल जहां भारतीय अर्थव्यवस्था अल नीनो के कारण कमजोर मानसून की चुनौती से जूझ रही है, वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुस्ती के संकेत मिल रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के रूरल इकोनॉमिक कंडीशंस एंड सेंटिमेंट्स सर्वे, (जुलाई 2026) के अनुसार, पिछले एक साल के दौरान आय में बढ़ोतरी बताने वाले ग्रामीण परिवारों का अनुपात घटकर 27.7 प्रतिशत रह गया है, जो सितंबर 2024 में शुरू हुए इस द्विमासिक सर्वे का अब तक का सबसे निचला स्तर है। वहीं, 52.6 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों ने बताया कि पिछले एक साल में उनकी आय में कोई बदलाव नहीं आया, जबकि 19.8 प्रतिशत परिवारों ने आय घटने की बात कही। इस प्रकार, 72.4 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों ने आय में बढ़ोतरी न होने की जानकारी दी।

चिंताजनक है कि नवंबर 2025 के बाद से ऐसे परिवारों का अनुपात लगातार घटता जा रहा है, जिनकी आय में बढ़ोतरी हुई। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि ग्रामीण आय बढ़ने की रफ्तार कमजोर पड़ रही है।

आमदनी में बढ़ोतरी न होने का असर ग्रामीण परिवारों के उपभोग खर्च पर भी दिख रहा है। सर्वे में, उपभोग खर्च में बढ़ोतरी की जानकारी देने वाले ग्रामीण परिवारों का अनुपात घटकर 74.1 प्रतिशत रह गया, जबकि मई 2026 में यह 77.2 प्रतिशत और जुलाई 2025 में 76.6 प्रतिशत था। पिछले दो साल में केवल दूसरी बार यह आंकड़ा 75 प्रतिशत से नीचे आया है।

ऋण के स्रोत - जुलाई 2026 (% हिस्सा)

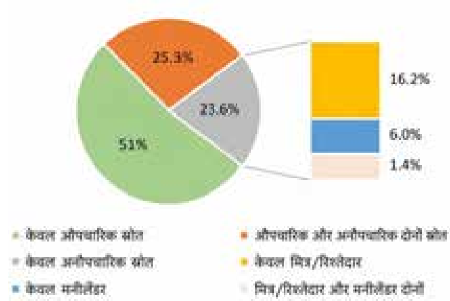

हालांकि, अब भी ग्रामीण परिवार अपनी मासिक आय का लगभग दो-तिहाई (66.5%) हिस्सा उपभोग पर खर्च कर रहे हैं। जबकि 12.5 प्रतिशत

आय कर्ज चुकाने में खर्च हो जाती है। यह दर्शाता है कि ग्रामीण परिवारों पर वित्तीय दबाव लगातार बना हुआ है। सर्वेक्षण में यह भी सामने आया कि पिछले एक साल के दौरान वित्तीय बचत बढ़ने की जानकारी देने वाले परिवारों का अनुपात घटकर केवल 17.8 प्रतिशत रह गया है। यह भी सर्वे का अब तक का सबसे निचला स्तर है।

सर्वे का सबसे चिंताजनक पहलू ग्रामीण परिवारों की अनौपचारिक कर्ज स्रोतों पर बढ़ती निर्भरता है, जिस पर उन्हें अधिक ब्याज चुकाना पड़ता है। जुलाई 2026 के सर्वेक्षण में 51 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों ने बताया कि वे कर्ज के लिए पूरी तरह औपचारिक स्रोतों (बैंक, एनबीएफसी, सहकारी संस्थाएं आदि) पर निर्भर हैं। यह अनुपात नवंबर 2025 में दर्ज 58.3 प्रतिशत के उच्चतम स्तर से कम होता जा रहा है।

इसके विपरीत, केवल अनौपचारिक स्रोतों से कर्ज लेने वाले परिवारों का अनुपात बढ़कर 23.6 प्रतिशत हो गया, जो मार्च 2025 के सर्वे में 17.6 फीसदी था। जो परिवार कर्ज के लिए केवल अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं, उनमें करीब दो-तिहाई परिवारों ने बताया कि उन्होंने दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लिया। केवल अनौपचारिक स्रोतों से कर्ज लेने वाले 23.6 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में 16.2 प्रतिशत परिवारों ने केवल मित्रों और रिश्तेदारों से कर्ज लिया, जबकि 6 प्रतिशत केवल साहूकारों से उधार लेते हैं और 1.4 प्रतिशत दोनों स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं।

इसके अलावा, 25.3 प्रतिशत ग्रामीण परिवार ऐसे हैं, जो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों स्रोतों से कर्ज लेते हैं। सर्वे के अनुसार, अनौपचारिक स्रोतों से लिए गए कर्ज पर औसतन 17.77 प्रतिशत ब्याज चुकाना पड़ता है। लगभग 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्होंने ब्याज-मुक्त उधार लिया, जिससे संकेत मिलता है कि यह ऋण मुख्यतः मित्रों और रिश्तेदारों से लिया गया था।

अनौपचारिक कर्ज पर बढ़ती निर्भरता यह संकेत देती है कि ग्रामीण परिवारों पर नकदी का दबाव बढ़ रहा है या औपचारिक कर्ज तक उनकी पहुंच सीमित हो रही है।

ग्रामीण परिवारों की कर्ज के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर बढ़ती निर्भरता को लेकर एचडीएफसी बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री अभीक बरुआ ने *रूरल वर्ल्ड* को बताया कि अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भरता मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि उनसे कर्ज आसानी से मिल जाता है। इसके पीछे वित्तीय जानकारी की कमी कुछ हद तक कारण हो सकती है। अधिकांश परिवारों की बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच के बावजूद औपचारिक ऋण प्रक्रिया—जैसे क्रेडिट मूल्यांकन और दस्तावेजी औपचारिकताएं—

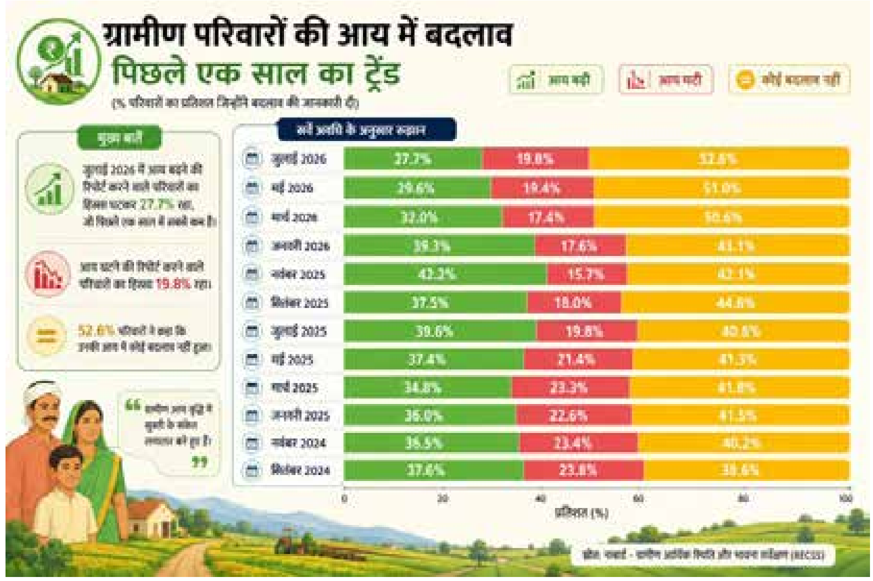

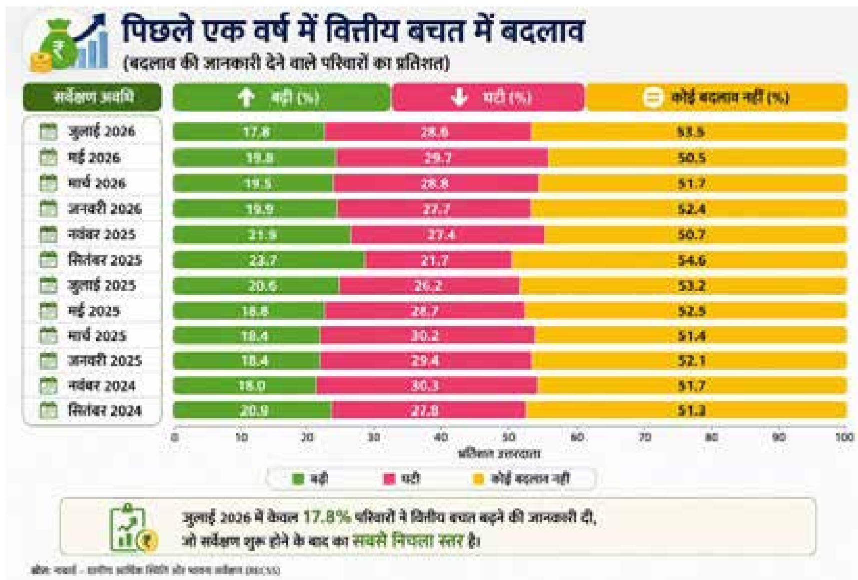

कई लोगों को जटिल लगती हैं। यही कारण है कि अनेक लोग परिवार, रिश्तेदारों या साहूकारों से कर्ज लेना अधिक सुविधाजनक समझते हैं।

नाबार्ड द्वारा जून 2026 में कराए गये एक अध्ययन के अनुसार, ग्रामीण परिवारों में केवल 23 फीसदी परिवारों को ही क्रेडिट स्कोर के बारे में जानकारी है। यह स्थिति औपचारिक ऋण व्यवस्था के विस्तार के सरकारी प्रयासों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता की बड़ी कमी को उजागर करती है। सर्वेक्षण में शामिल करीब आधे परिवारों का कहना था कि कर्ज लेना बहुत महंगा पड़ता है। कई उत्तरदाताओं ने माना कि ब्याज सब्सिडी (इंटरेस्ट सबवेंशन) जैसी योजनाओं के जरिए कर्ज की लागत कम होने से वित्त तक पहुंच बेहतर हो सकती है।

नाबार्ड के जुलाई 2026 के सर्वे में यह भी पता चला कि आने वाले महीनों को लेकर ग्रामीण परिवारों का भरोसा कमजोर हुआ है। अगली तिमाही में आय और रोजगार में सुधार की उम्मीद रखने वाले परिवारों का अनुपात सर्वे शुरू होने के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। इसी तरह, अगले एक वर्ष में आय बढ़ने की उम्मीद रखने वाले परिवारों का अनुपात भी घटकर 66.8 प्रतिशत रह गया, जो अब तक का सबसे कम स्तर है।

मानसून को लेकर अनिश्चितता और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों ने ग्रामीण परिवारों की उम्मीदों को प्रभावित किया है। यदि आने वाले महीनों में आय और रोजगार की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं होता, तो इसका असर ग्रामीण मांग, उपभोग और निवेश पर और अधिक पड़ सकता है। Rw

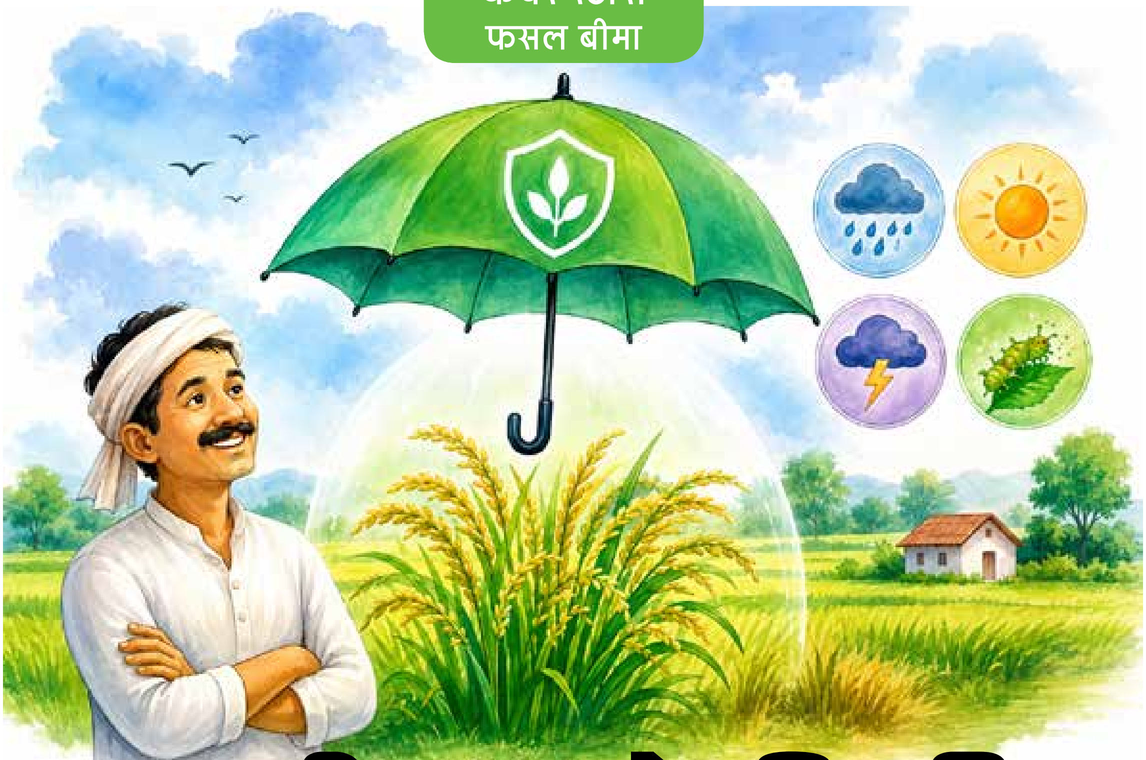

फसल बीमा: दावे की दुविधा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हर साल करोड़ों किसान बीमा कराते हैं, लेकिन अनेक किसानों को या तो बेहद कम मुआवजा मिलता है या उनके दावे खारिज हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है?

एस.के. सिंह

महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के किसान दिनेश वाघ ने 2024 में खेत में अरहर लगाया था। गर्मी अधिक होने के कारण पूरी फसल नष्ट हो गई। उन्होंने फसल बीमा करवा रखा था, सो भरपाई के लिए बीमा कंपनी के पास आवेदन किया। बीमा कंपनी ने उन्हें सिर्फ 6,670 रुपये का भुगतान किया। अगर फसल नष्ट न होती तो उसे बेचकर उन्हें 70 से 80 हजार रुपये मिलते। इस अनुभव से निराश दिनेश ने इस वर्ष अपनी पांच एकड़ केले की फसल का बीमा नहीं कराया। विडंबना यह रही कि तूफान में केले की लगभग आधी फसल गिर गई।

दिनेश का अनुभव किसानों की एक व्यापक समस्या को दर्शाता है। किसानों की आम शिकायत है कि फसल बीमा के तहत मिलने वाला मुआवजा या तो नुकसान की तुलना में बहुत कम होता है या दावा ही खारिज कर दिया जाता है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना बनी हुई है, जिसके तहत हर सीजन में करोड़ों किसान बीमा कराते हैं। सरकारी आंकड़े यह भी बताते हैं कि 2019 से हर साल बीमा कंपनियों को मिलने वाला प्रीमियम, उनके दावा भुगतान से कम से कम 10,000 करोड़ रुपये अधिक है *(देखें बॉक्स)*। इससे सवाल उठता है कि क्या यह योजना वास्तव में अपने उद्देश्य को पूरा कर रही है।

रूरल वर्ल्ड से बातचीत में देश की दो प्रमुख बीमा कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों का कहना है कि मामला काफी जटिल है। उनका तर्क है कि यह योजना किसी किसान के व्यक्तिगत नुकसान के आकलन पर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तरीके से उपज के आकलन, पूर्व निर्धारित गाइडलाइंस और एक्चुरियल सिद्धांतों पर आधारित है।

बजट आवंटन

- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: 2026-27 के बजट में 12,200 करोड़ रुपये का प्रावधान। यह 2025-26 में (संशोधित) 12,267 करोड़ और 2024-25 में 14,473 करोड़ रुपये था।**

क्षेत्र आधारित बीमा

योजना को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी शायद यही है कि यह किसानों को उनके खेत में हुई वास्तविक क्षति के बराबर मुआवजा देती है। इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस के एमडी एवं सीईओ सुब्रत मंडल के अनुसार, यह योजना क्षेत्र आधारित मॉडल पर काम करती है। वे कहते हैं, "दावों का निर्धारण प्रत्येक किसान के खेत में हुए नुकसान के आधार पर नहीं, बल्कि अधिसूचित बीमा इकाई (क्षेत्र) की औसत उपज के आधार पर किया जाता है।"

हर सीजन से पहले सरकार प्रत्येक अधिसूचित बीमा इकाई के लिए थ्रेसहोल्ड यील्ड तय करती है। हार्वेस्टिंग के बाद क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट (सीसीई) के माध्यम से वास्तविक उपज का आकलन किया जाता है। यदि यह थ्रेसहोल्ड से कम है, तो उस बीमा इकाई (क्षेत्र) के सभी बीमित किसान मुआवजे के पात्र होंगे।

मुआवजा इस बात पर निर्भर करता है कि उपज कितना कम हुआ और किसान ने कितने क्षेत्र का बीमा कराया है। मुआवजे की गणना पूरी बीमा इकाई में उपज की औसत हानि के आधार पर होती है, इसलिए किसान को मुआवजे की राशि कम लग सकती है।

बीमा कंपनियों को सालाना 10,000 करोड़ रु. से अधिक आय

कृषि मंत्रालय की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार पिछले 8 वर्षों में किसानों, राज्यों और केंद्र सरकार ने कुल 2,17,260 करोड़ रुपये प्रीमियम दिया जबकि बीमा कंपनियों ने 1,42,562 करोड़ रुपये के क्लेम का भुगतान किया। इस तरह बीमा कंपनियों को 74,697 करोड़ रुपये की बचत हुई। हालांकि इसे बीमा कंपनियों का मुनाफा नहीं कह सकते, क्योंकि उनके ऑपरेशनल तथा दूसरे खर्च भी हैं।

कुल प्रीमियम, दावा भुगतान और बीमा कंपनियों की कमाई

वर्ष	प्रीमियम	दावा भुगतान	अंतर
2018	24,714.64	23,586.39	1,128.25
2019	26,397.96	25,873.89	524.07
2020	29,636.47	19,520.67	10,115.80
2021	29,915.08	19,022.47	10,892.61
2022	31,033.63	17,501.22	13,532.41
2023	29,661.79	18,215.48	11,446.31
2024	26,771.51	12,557.33	14,214.18
2025	19,128.98	6,284.85	12,844.13
कुल	**2,17,260.06**	**1,42,562.30**	**74,697.76**

(राशि करोड़ रुपये में 30 जून 2026 तक, स्रोत: pmfby.gov.in)

खरीफः दो साल से घट रहा सरकार का प्रीमियम

खरीफ 2024 से खरीफ 2025 के दौरान राज्यों की संख्या 22 से बढ़कर 24 हो गई, लेकिन पीएम फसल बीमा योजना और आरडब्लूबीसीआईएस के तहत आवेदन करने वाले किसानों की संख्या 9.62 करोड़ से घटकर 8.47 करोड़ रह गई। संख्या घटने के बावजूद किसानों ने 48 प्रतिशत ज्यादा, 2227.49 करोड़ रुपये प्रीमियम दिया। लेकिन इस दौरान राज्यों की तरफ से दिए जाने वाले प्रीमियम में 44 प्रतिशत और केंद्र के प्रीमियम में 33 प्रतिशत की कमी आई। किसानों ने खरीफ 2023 में 1,803 करोड़ रुपये का प्रीमियम दिया जो 2025 में बढ़कर 2,227 करोड़ रुपये हो गया। राज्यों का प्रीमियम 2023 में 10,525 करोड़ रुपये था जो 2025 में घटकर 5,557 करोड़ रुपये रह गया। केंद्र का प्रीमियम भी इस दौरान 8,082 करोड़ की तुलना में 5,049 करोड़ रुपये रह गया।

रबीः 2021 से घट रहा सरकार का प्रीमियम

रबी 2024 से रबी 2025 के दौरान भी आवेदन करने वाले किसानों की संख्या 5.29 करोड़ से घटकर 5.16 करोड़ रह गई। संख्या घटने के बावजूद किसानों ने 1.25 प्रतिशत ज्यादा, 1441 करोड़ रुपये प्रीमियम दिया। लेकिन राज्यों के प्रीमियम में 29% और केंद्र के प्रीमियम में 19% की कमी आई। रबी फसलों के लिए किसानों की कुल प्रीमियम राशि 2021 के बाद लगातार बढ़ रही है, लेकिन राज्यों और केंद्र की राशि लगातार घट रही है। रबी 2021 के लिए किसानों ने 1,389 करोड़ रुपये प्रीमियम दिया था, जो हर साल बढ़ता हुआ 2025 में 1,441 करोड़ रुपये हो गया।

रबी फसलों का प्रीमियम

वर्ष	किसान	राज्य	केंद्र	कुल प्रीमियम	दावा भुगतान
2021	1,389.49	5,408.35	4,316.84	11,114.68	5,415.38
2022	1,409.73	5,395.11	4,205.22	11,010.06	6,445.31
2023	1,418.90	4,219.64	3,613.51	9,252.05	5,185.04
2024	1,423.20	3,411.35	3,033.32	7,867.87	3,965.15
2025	1,441.08	2,399.56	2,454.56	6,295.20	333.53

(राशि करोड़ रुपये में, स्रोत: pmfby.gov.in)

जनराली सेंट्रल इंश्योरेंस कंपनी लि. के एमडी एवं सीईओ कृष्णमूर्ति राव भी मानते हैं कि क्षेत्र आधारित मॉडल में यह 'बेसिस रिस्क' स्वाभाविक है। वे कहते हैं, बेसिक क्षतिपूर्ति की गणना अधिसूचित बीमा इकाई के स्तर पर ही होती है, इसलिए किसान के खेत में हुई वास्तविक क्षति और पूरे क्षेत्र के आधार पर तय किए गए मुआवजे के बीच अंतर होना स्वाभाविक है।

दावा क्यों खारिज होता है

किसानों की शिकायत रहती है कि खेत में फसल को स्पष्ट नुकसान के बावजूद उनका क्लेम खारिज हो जाता है। बीमा कंपनियों का कहना है कि फसल का नुकसान मुआवजे की गारंटी नहीं है। मंडल के अनुसार, मुआवजा इस बात पर निर्भर करता है कि नुकसान योजना के प्रावधानों और संबंधित सीजन के लिए राज्य सरकार की अधिसूचनाओं के दायरे में आता है या नहीं।

फ्यूचर जनराली के राव का आकलन है कि दावे खारिज होने का सबसे बड़ा कारण सूचना देने में देरी है। उनका कहना है, "स्थानीय आपदाओं के मामलों में घटना के 72 घंटे के भीतर सूचना देना अनिवार्य है। इसके बाद दी गई सूचना पर दावा स्वतः खारिज हो जाता है।" यदि नुकसान गलत तरीके से खेती, आवारा पशुओं या चोरी के कारण हुआ है तो भी दावा खारिज हो सकता है।

दावे पर विचार के लिए ट्रिगर

एक बड़ा सवाल फसल बीमा में तय ट्रिगर या दावे की शर्तों को लेकर भी है। दिनेश वाघ इसका उदाहरण देते हैं कि गर्मी से हुए नुकसान का दावा तभी स्वीकार होगा, जब तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। सोलापुर में तापमान शायद ही कभी इस सीमा को पार करता है, इसलिए नुकसान होने के बावजूद किसानों को अक्सर मुआवजा नहीं मिल पाता। एक अन्य किसान दत्तात्रेय मुले पाटिल का कहना है कि तूफान से नुकसान के दावे के लिए भी हवा की गति निर्धारित सीमा से अधिक होना जरूरी है।

बीमा कंपनियों का कहना है कि ऐसे मानदंड योजना के दिशानिर्देशों में निर्धारित हैं। मंडल स्वीकार करते हैं कि कई बार किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन यदि बीमा इकाई का औसत नुकसान दावा योग्य सीमा तक नहीं पहुंचता, तो उन्हें मुआवजा नहीं मिल पाता।

हालांकि प्रौद्योगिकी आधारित आकलन से खेत स्तर पर नुकसान के मूल्यांकन की सटीकता लगातार बढ़ रही है। मंडल कहते हैं, "नई तकनीक फसल नुकसान के आकलन को अधिक सटीक और समयबद्ध बना रही हैं। इससे खेत स्तर पर बेहतर जानकारी मिलती है और दावों का निपटारा

तेज और पारदर्शी हो सकता है।"

सरकार भी सुधार की संभावनाओं पर विचार कर रही है। राव के अनुसार, "कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इन चिंताओं की समीक्षा कर रहा है और 70%, 80% तथा 90% के मौजूदा इंडेम्निटी स्तर की जगह राज्यों को प्रत्येक फसल और बीमा इकाई के जोखिम के आधार पर वैरिएबल इंडेम्निटी स्तर चुनने का विकल्प देने पर विचार कर रहा है।"

दावों के निपटान में देरी क्यों

पीएम फसल बीमा योजना की सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक दावा निपटान में देरी है। बीमा कंपनियों का कहना है कि इसकी कई वजहें उनके नियंत्रण से बाहर होती हैं। मंडल के अनुसार, सबसे बड़ी वजहों में से एक है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के परिणामों का देर से उपलब्ध होना। प्रीमियम सब्सिडी समय पर जारी न होने तथा आधार, भूमि अभिलेख, एनरोलमेंट या बैंक खाते की जानकारी में त्रुटियों के कारण भी देरी होती है।

राव सीसीई के आंकड़े विलंब से जमा होने को प्रमुख ऑपरेशनल चुनौती मानते हैं, क्योंकि इससे वास्तविक उपज का आकलन देर से हो पाता है। उनका सुझाव है कि सीसीई प्रक्रिया का पूर्ण डिजिटलीकरण हो, ऐप के माध्यम से नतीजे रियल-टाइम अपलोड किए जाएं और तकनीक आधारित उपज आकलन को अपनाया जाए। राव का सुझाव है कि राज्यों की प्रीमियम सब्सिडी समय पर जारी करने के लिए ऑटोमेटिक फाइनेंशियल पूलिंग व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए।

पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश

किसानों की शिकायत है कि वे बीमा पॉलिसी की शर्तों या दावा राशि में कटौती के कारणों को पूरी तरह समझ नहीं पाते। हालांकि, बीमा कंपनियों का कहना है कि हाल के वर्षों में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। मंडल के अनुसार बीमा कंपनियां, राज्य सरकारें और अन्य संबंधित संस्थाएं बीमा पाठशालाओं, गांवों में बैठकों तथा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से नियमित जागरूकता अभियान चला रही हैं।

राव बताते हैं कि डिजीक्लेम मॉड्यूल के जरिए किसानों को प्रीमियम सब्सिडी प्राप्त होने से लेकर दावा स्वीकृत होने और भुगतान तक हर चरण की जानकारी एसएमएस के माध्यम से स्वतः भेजी जाती है। वहीं, कृषि रक्षक पोर्टल, पीएमएफबीवाई चैटबॉट और टोल-फ्री नंबर 14447 शिकायतों के एकीकृत निवारण मंच के रूप में कार्य कर रहे हैं।

टेक्नोलॉजी की बढ़ती भूमिका

फसल बीमा क्षेत्र में सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन, एआई, जियो-टैगिंग और मोबाइल ऐप जैसी तकनीकें मैनुअल प्रक्रियाओं की जगह ले रही हैं। इनकी मदद से नुकसान का आकलन अधिक सटीक, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से किया जा सकता है। मंडल का कहना है कि दावों को पारदर्शी तरीके से निपटाने के लिए उपज और नामांकन संबंधी आंकड़ों का समय पर उपलब्ध होना, सटीक डिजिटल रिकॉर्ड तथा सरकारी सब्सिडी का समय पर जारी होना बेहद महत्वपूर्ण है।

इसी दिशा में सरकार की YES-TECH पहल उपज के आकलन को मानकीकृत करने और मानवीय हस्तक्षेप कम करने का प्रयास कर रही है। बाढ़, ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के बाद नुकसान के जल्दी आकलन के लिए ड्रोन का व्यापक उपयोग किया जा रहा है।

जलवायु परिवर्तन भी फसल बीमा व्यवस्था को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर रहा है। मौसम आधारित पैरामीट्रिक बीमा उत्पाद तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। राव का मानना है कि बीमा कंपनियों को केवल ऐतिहासिक उपज के औसत पर निर्भर रहने के बजाय ऐसे जलवायु मॉडल अपनाने होंगे, जो बदलते मौसम के रुझानों को ध्यान में रखें।

लगातार विकसित होती योजना

भारत में सीसीआईएस नाम से पहली फसल बीमा योजना 1985 में शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में आई। योजना के तहत किसान खरीफ की खाद्यान्न एवं तिलहन फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% तथा वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान करते हैं। शेष प्रीमियम का भार केंद्र और राज्य सरकारें वहन करती हैं। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच प्रीमियम साझेदारी का अनुपात 90:10 है, जबकि अन्य राज्यों के लिए यह 50:50 है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा दावों का निर्धारण मुख्य रूप से अधिसूचित क्षेत्र (इंश्योरेंस यूनिट) की औसत फसल उपज के आधार पर किया जाता है, न कि प्रत्येक किसान के खेत में हुई वास्तविक क्षति को मापकर।

सुब्रतो मंडल
एमडी एवं सीईओ
इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस

मौसमी अस्थिरता से बीमा कंपनियां अपने मॉडल बदलने को मजबूर हुई हैं। वे पिछले सात वर्षों के औसत आंकड़ों पर निर्भर रहने के बजाय, बदलते मानसूनी पैटर्न को ध्यान में रखने वाले जलवायु मॉडल अपना रही हैं।

कृष्णमूर्ति राव
एमडी एवं सीईओ
जनराली सेंट्रल इंश्योरेंस कंपनी लि.

आगे की राह

किसान चाहते हैं कि उन्हें उनकी वास्तविक क्षति के अनुरूप मुआवजा मिले, जबकि बीमा कंपनियों का कहना है कि वैज्ञानिक और क्षेत्र-आधारित आकलन आवश्यक है। टेक्नोलॉजी का उपयोग नुकसान के आकलन को सटीक और दावा निपटान को तेज बना सकता है। साथ ही, किसानों में बीमा की शर्तों और नुकसान की सूचना देने की समय-सीमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा।

इसमें संदेह नहीं कि यह योजना भारत में फसल जोखिम प्रबंधन व्यवस्था की रीढ़ बन चुकी है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव और खेती के लगातार अनिश्चित होते माहौल में इस योजना को केवल दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना नहीं, बल्कि किसानों की नजर में सबसे भरोसेमंद, पारदर्शी और संवेदनशील योजना के रूप में भी विकसित होना होगा। RW

सहकार से समृद्धि
International Year of Cooperatives
2025
भारत बीज
गेहूँ बीज
• भरपूर उपज
• उचित दाम
• अधिक लाभ
• सम्पूर्ण भारत में उपलब्ध
अधिक जानकारी के लिए, बीबीएसएसएल से संपर्क करें
+91-8448084665
info@sahakarbeej.in
बीबीएसएसएल, पैक्स एवं अन्य सहकारी संस्थाओं को आमंत्रित करता है कि वे हमारे साथ जुड़ें और कृषि व संबंधित क्षेत्रों में व्यापारिक संभावनाओं को मिलकर साकार करें।
1 बीज उत्पादन
2 बीज प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग
3 बिक्री एवं वितरण नेटवर्क

एपीडा ने किसानों के लिए खोले निर्यात के रास्ते

एपीडा की मदद से देश के विभिन्न राज्यों से विशिष्ट कृषि उत्पादों के पहली बार निर्यात की पहल, किसानों को मिला बेहतर दाम

अजीत सिंह

भारतीय कृषि निर्यात अब केवल बल्क कमोडिटी तक सीमित नहीं रह गया है। देश के विभिन्न राज्यों से प्रीमियम फल, मोटे अनाज, जीआई टैग प्राप्त उत्पाद और मूल्य संवर्धित खाद्य पदार्थ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहचान बना रहे हैं। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की पहल से देश के कई कृषि उत्पादों का पहली बार निर्यात हुआ है, जिससे किसानों की आय बढ़ाने के नए अवसर खुल रहे हैं।

इस बदलाव का प्रमुख वाहक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत कार्यरत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) है, जो किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और कृषि उद्यमियों को वैश्विक खरीदारों से जोड़कर निर्यात के नए रास्ते खोल रहा है। वर्ष 2026 के दौरान एपीडा ने विभिन्न राज्यों से कई उत्पादों की पहली निर्यात खेप भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

एपीडा के प्रयासों से कृषि निर्यात के लिए आवश्यक अवसंरचना, गुणवत्ता प्रमाणन और ट्रेसेबिलिटी प्रणाली लगातार मजबूत हो रही है। इसके परिणामस्वरूप कई कृषि उत्पाद पहली बार संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), ओमान, ऑस्ट्रिया, इराक, न्यूजीलैंड और अमेरिका जैसे प्रीमियम वैश्विक बाजारों तक पहुंचे, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त हुआ। कई मामलों में किसानों को घरेलू बाजार की तुलना में 40 से 180 प्रतिशत तक अधिक कीमत मिली।

एपीडा की भूमिका केवल निर्यात को बढ़ावा देने तक सीमित नहीं रह गई है। वह किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों, प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों और विदेशी रिटेल कंपनियों को जोड़ते हुए एक समग्र निर्यात इकोसिस्टम विकसित कर रहा है।

ये पहलें वैश्विक उपभोक्ताओं की बदलती पसंद को भी दर्शाती हैं। दुनिया भर में स्वास्थ्यवर्धक, टिकाऊ और ट्रेसेबिलिटी वाले खाद्य उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। इन निर्यात अभियानों से स्पष्ट है कि भारत का कृषि निर्यात अब 'मात्रा आधारित मॉडल' से 'मूल्य आधारित मॉडल' की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

पहली बार लद्दाख की जैविक खुबानी पहुंची यूएई

एपीडा ने 15 जुलाई 2026 को लद्दाख से पांच मीट्रिक टन जैविक खुबानी की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) भेजी। लुलु ग्रुप के साथ रणनीतिक साझेदारी के तहत भेजी गई इस खेप ने लद्दाख के खुबानी उत्पादकों को सीधे यूएई के उपभोक्ताओं से जोड़ दिया और भारत के प्रीमियम जैविक बागवानी उत्पादों के निर्यात में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की।

लद्दाख के ऊंचाई वाले बाग, प्रदूषण मुक्त वातावरण और प्राकृतिक परिस्थितियां यहां की खुबानी को बेहतरीन स्वाद, उच्च पोषण और उत्कृष्ट गुणवत्ता प्रदान करती हैं। इस निर्यात से किसानों को प्रीमियम अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिली, जिससे उन्हें बेहतर कीमत मिलने के साथ-साथ संगठित खरीद और कुशल लॉजिस्टिक्स के कारण कटाई के बाद होने वाले नुकसान में भी कमी आई। यह पहल गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को बढ़ावा देने और क्षेत्र में निर्यातोन्मुख मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने में भी सहायक होगी।

एपीडा लद्दाख प्रशासन, निर्यातकों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के साथ मिलकर निर्यात अवसंरचना मजबूत करने, बाजार तक पहुंच बढ़ाने और भारत के प्रीमियम जैविक उत्पादों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने का कार्य जारी रखे हुए है।

जम्मू-कश्मीर: प्रीमियम चेरी और प्लम को मिला वैश्विक बाजार

जम्मू-कश्मीर के शोपियां और पुलवामा जिलों से प्रीमियम अरेको चेरी (हाई-डेंसिटी

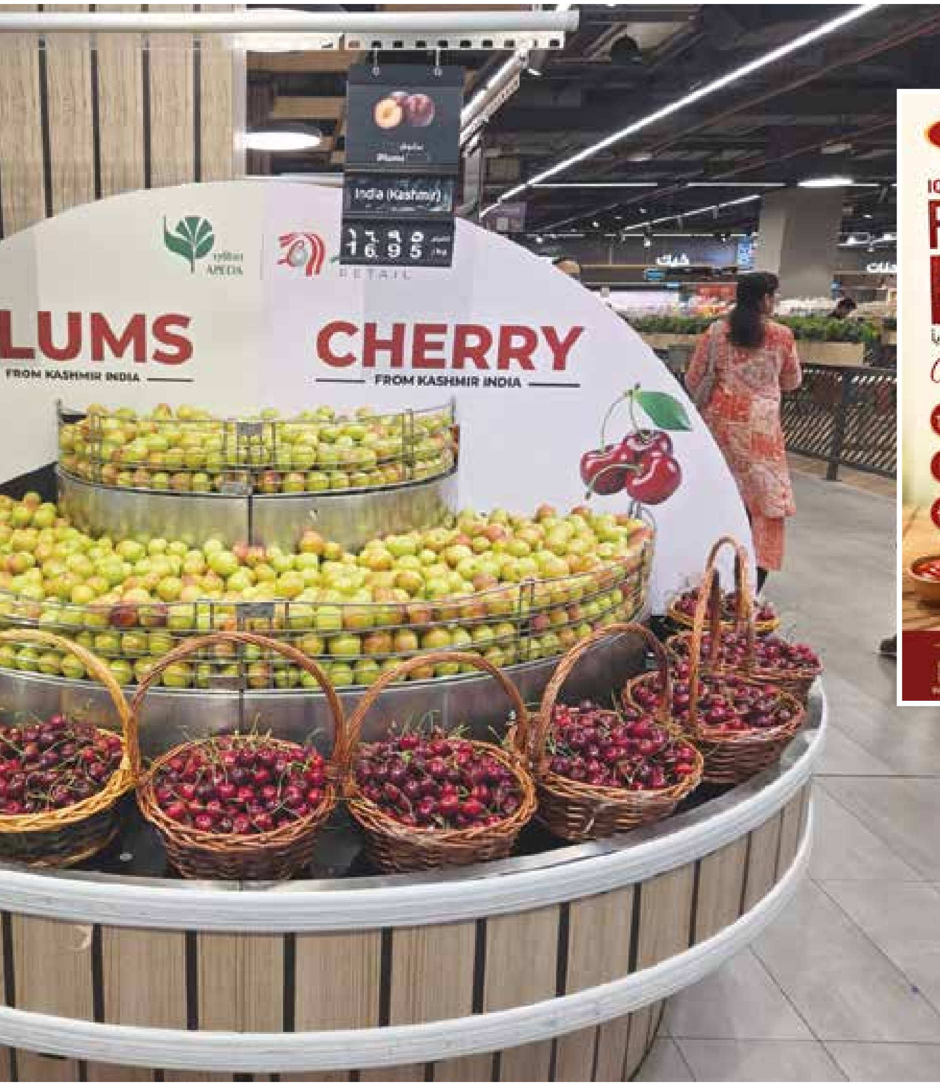

सभी फोटोः एपीडा

यूरोपीय स्वीट चेरी) और संटरोज प्लम की पहली निर्यात खेप संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अबू धाबी और दुबई भेजी गई।

प्रीमियम समशीतोष्ण फलों की इस खेप की खरीद सीधे शोपियां और पुलवामा के किसानों से की गई। यद्यपि यह खेप केवल एक मीट्रिक टन की थी, लेकिन इसका आर्थिक महत्व काफी बड़ा है। निर्यात से जुड़े किसानों को चेरी के लिए घरेलू बाजार की तुलना में लगभग 60 प्रतिशत और प्लम के लिए लगभग 120 प्रतिशत अधिक कीमत मिली।

यह सफल निर्यात शोपियां और पुलवामा के बागवानों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अवसर पैदा करेगा। इससे किसान निर्यातोन्मुख बाग प्रबंधन अपनाने, गुणवत्ता सुधारने और संगठित आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित होंगे। साथ ही जम्मू-कश्मीर के प्रीमियम फलों की वैश्विक पहचान और मजबूत होगी। एपीडा ने किसानों को सीधे अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से जोड़कर यह साबित किया कि बेहतर गुणवत्ता वाले फलों को वैश्विक बाजार में कहीं अधिक मूल्य मिल सकता है।

उत्तराखंड से पहली बार इराक गया आईक्यूएफ फ्रेंच फ्राइज

कृषि में मूल्य संवर्धन का एक उत्कृष्ट उदाहरण उत्तराखंड से सामने आया, जहां एपीडा ने राज्य से पहली बार इंडिविजुअल क्विक फ्रोजन (आईक्यूएफ) फ्रेंच फ्राइज का इराक निर्यात कराने में अहम भूमिका निभाई।

विरुन ग्लोबल ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्यात की गई यह 24 मीट्रिक टन की खेप उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर से भेजी गई। इस पहल की खास बात यह है कि कच्चे आलू निर्यात करने के बजाय स्थानीय किसानों से खरीदे गए आलू की ग्रेडिंग, धुलाई, ब्लांचिंग, कटाई और आईक्यूएफ तकनीक से प्रोसेसिंग की गई। पूरी प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों और कोल्ड चेन आवश्यकताओं के अनुरूप पूरी की गई, जिसके बाद उत्पाद को समुद्री मार्ग से इराक भेजा गया।

एपीडा ने निर्यातक को सियाल, गल्फूड, इंडसफूड और वर्ल्ड फूड इंडिया जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए भी सहयोग प्रदान किया, जहां विदेशी खरीदारों से संपर्क के परिणामस्वरूप इराक से निर्यात ऑर्डर प्राप्त हुआ।

यह पहल एक महत्वपूर्ण नीतिगत चुनौती की ओर भी ध्यान आकर्षित करती है। बंदरगाहों से दूर स्थित राज्यों के लिए परिवहन लागत निर्यात प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करती है। इसलिए एपीडा

उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर राज्य कृषि निर्यात नीति तैयार करने और लागू कराने पर काम कर रहा है, जिसमें परिवहन सहायता का भी प्रावधान प्रस्तावित है।

पंजाब की लीची पहली बार ओमान पहुंची

एपीडा ने पंजाब के होशियारपुर की उन्नति एग्री एलाइड सहकारी समिति के माध्यम से पहली बार ताजा लीची की खेप ओमान भिजवाई। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निर्यात किसी निजी निर्यातक के बजाय एक सहकारी संस्था ने किया, जिससे किसानों को घरेलू बाजार की तुलना में लगभग 46 प्रतिशत अधिक दाम मिला।

होशियारपुर का शिवालिक क्षेत्र उच्च गुणवत्ता वाली लीची के लिए जाना जाता है, लेकिन कम शेल्फ लाइफ और नाजुक प्रकृति के कारण यह फल स्थानीय बाजारों तक ही सीमित रह जाता था। एपीडा ने सहकारी संस्था को विदेशी खरीदार से जोड़ने और पूरी निर्यात प्रक्रिया में सहयोग देकर इस चुनौती का समाधान किया।

परिवहन के दौरान फल की ताजगी बनाए रखने के लिए मै. सुपर प्लम द्वारा मॉडिफाइड एटमॉस्फियर पैकेजिंग (एमएपी) तकनीक का उपयोग किया गया। इस आधुनिक पैकेजिंग तकनीक से लीची की शेल्फ लाइफ बढ़ाने में मदद मिली और यह सुनिश्चित किया कि फल सर्वोत्तम गुणवत्ता के साथ अपने गंतव्य तक पहुंचे।

यह निर्यात भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) के तहत उपलब्ध वरीयता प्राप्त बाजार पहुंच का लाभ उठाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इस समझौते के तहत मिली व्यापारिक रियायतों ने इस निर्यात को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाया।

ओडिशा से यूरोप पहुंचा मूल्य संवर्धित एग पाउडर

भारत का कृषि निर्यात अब केवल ताजे फलों तक सीमित नहीं है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि तब हासिल हुई जब ओडिशा से पहली बार सूखे संपूर्ण अंडा पाउडर की व्यावसायिक खेप ऑस्ट्रिया भेजी गई।

बलांगीर स्थित ओवीओ फार्म प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भेजी गई 22.6 मीट्रिक टन की यह खेप भारत की मूल्य संवर्धित पोल्ट्री उत्पाद बनाने की बढ़ती क्षमता को दर्शाती है।

सूखा अंडा पाउडर लंबी शेल्फ लाइफ और आसान परिवहन के कारण बेकरी, कन्फेक्शनरी, प्रसंस्कृत खाद्य और दवा उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसे अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता के अनुरूप तैयार करने के लिए अत्याधुनिक प्रसंस्करण संयंत्र और कड़े खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन आवश्यक होता है।

निर्यातक ने 2025 में आधुनिक प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया और निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) तथा यूरोपीय संघ के स्वच्छता मानकों के अनुरूप गुणवत्ता प्रणाली अपनाई। एपीडा ने अपनी वित्तीय सहायता योजना के तहत प्रसंस्करण अवसंरचना, खाद्य सुरक्षा प्रणाली और प्रयोगशाला सुविधाओं को मजबूत करने में सहयोग दिया।

यह सफलता भारत के प्रसंस्कृत पोल्ट्री उद्योग के लिए नए अवसर खोलने के साथ ओडिशा के कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र को भी मजबूती प्रदान करेगी।

रीवा का जीआई टैग प्राप्त सुंदर्जा आम पहुंचा यूएई

मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त रीवा सुंदर्जा आम ने पहली बार व्यावसायिक रूप से यूएई के बाजार में प्रवेश किया।

एक मीट्रिक टन की इस खेप का निर्यात सॉल्ट रेंज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने किया। एपीडा ने मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग, निर्यातकों, किसान उत्पादक संगठनों और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के साथ मिलकर इस निर्यात को संभव बनाया।

असाधारण मिठास, रेशारहित गूदे और विशिष्ट सुगंध के लिए प्रसिद्ध सुंदर्जा आम की क्षेत्रीय पहचान पहले से थी, लेकिन यह पहली बार अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचा।

आमों की खरीद सिओंधा किसान उत्पादक कंपनी से की गई और एपीडा समर्थित पैक हाउस में ग्रेडिंग व पैकिंग के बाद वाराणसी से हवाई मार्ग से यूएई भेजा गया। किसानों को स्थानीय बाजार की तुलना में लगभग 150 प्रतिशत अधिक कीमत मिली।

यह सफलता यह भी दर्शाती है कि भौगोलिक संकेतक (जीआई) पंजीकरण केवल पहचान का प्रतीक नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रीमियम मूल्य प्राप्त करने का प्रभावी माध्यम भी है।

असम का शहद पहुंचा अमेरिका

एपीडा ने असम के बक्सा जिले से पहली बार किसान-नेतृत्व वाले ओडीओपी शहद का अमेरिका निर्यात कराया।

करीब 20 मीट्रिक टन शहद की यह खेप सॉल्ट रेंज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भेजी गई। यह आकांक्षी जिलों के उत्पादों की निर्यात क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण है।

कीटनाशक मुक्त और जैव विविधता से भरपूर वातावरण में उत्पादित बक्सा का शहद अपनी प्राकृतिक शुद्धता, पुष्प विविधता और औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। एपीडा ने प्रसंस्करण इकाई को परीक्षण और प्रयोगशाला सुविधाएं उपलब्ध कराकर अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया।

इस निर्यात से मधुमक्खी पालकों को स्थानीय बाजार की तुलना में लगभग 43

प्रतिशत अधिक मूल्य मिला, जिससे ग्रामीण आजीविका को मजबूती मिली और टिकाऊ मधुमक्खी पालन को भी बढ़ावा मिला।

यह पहल आकांक्षी जिलों के किसानों को उनके विशिष्ट उत्पादों के माध्यम से वैश्विक बाजार से जोड़ने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

कर्नाटक से न्यूजीलैंड पहुंचे बाजरा आधारित फंक्शनल फूड

अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष अभियान के बाद दुनिया भर में मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता तेजी से बढ़ी है। इसी क्रम में एपीडा ने पहली बार कर्नाटक से समुद्री मार्ग के जरिए वनस्पति अर्क युक्त रेडी-टू-कुक बाजरा आधारित फंक्शनल फूड न्यूजीलैंड भेजे।

ये उत्पाद पारंपरिक बाजरे को सहजन, हल्दी, अदरक और अश्वगंधा जैसे वनस्पति तत्वों के साथ मिलाकर तैयार किए गए हैं, ताकि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं को सुविधाजनक

और पौष्टिक विकल्प उपलब्ध कराया जा सके।

बेंगलुरु स्थित इंफिनी एग्रोटेक एलएलपी द्वारा भेजी गई एक मीट्रिक टन की यह खेप दर्शाती है कि नवाचार और खाद्य प्रसंस्करण के जरिए कच्चे अनाज की तुलना में कहीं अधिक मूल्य प्राप्त किया जा सकता है।

निर्यातक को एपीडा समर्थित वर्ल्ड फूड इंडिया, इंडसफूड और गल्फूड जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी से विदेशी खरीदार मिले और इसी का परिणाम न्यूजीलैंड का निर्यात आदेश रहा।

हिमाचल प्रदेश के चेरी और प्लम पहली बार पहुंचे ओमान

हिमाचल प्रदेश ने भी पहली बार ताजा चेरी और प्लम का व्यावसायिक निर्यात ओमान कर भारत की बागवानी निर्यात कहानी में नया अध्याय जोड़ा।

यह खेप जडोल-टिक्कर और बागी क्षेत्र के छह प्रगतिशील बागवानों से प्राप्त फलों से तैयार की गई। किसानों को चेरी के लिए 46 प्रतिशत और प्लम के लिए 40 प्रतिशत अधिक कीमत मिली।

इस पहल की शुरुआत अवसंरचना निर्माण से नहीं बल्कि किसानों के क्षमता विकास से हुई। एपीडा ने निर्यात मानकों, कटाई के बाद प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन (एचपीएमसी) ने ग्रेडिंग, पैकिंग और गुणवत्ता परीक्षण का खर्च उठाकर किसानों का आर्थिक बोझ कम किया।

झारखंड की आदिवासी महिला किसानों की सफलता

सामाजिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पहल झारखंड के आकांक्षी जिला गुमला और आकांक्षी ब्लॉक देवघर से आम्रपाली आम का दुबई निर्यात रही।

दो मीट्रिक टन की यह खेप तीन महिला-नेतृत्व वाली किसान उत्पादक कंपनियों से प्राप्त की गई, जिनसे 50 हजार से अधिक किसान जुड़े हैं।

इन महिला एफपीसी के सदस्यों को स्थानीय बाजार की तुलना में लगभग 180 प्रतिशत अधिक कीमत मिली। इससे स्पष्ट होता है कि निर्यात आधारित कृषि महिलाओं और आदिवासी समुदायों की आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बन सकती है।

निर्यात से पहले एपीडा ने अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों, कटाई के बाद प्रबंधन और निर्यात प्रक्रियाओं पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे किसान वैश्विक बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन कर सके।

निर्यातोन्मुख कृषि अर्थव्यवस्था की ओर

इन पहली बार हुए निर्यात अभियानों की श्रृंखला बताती है कि एपीडा भारतीय किसानों को वैश्विक कृषि मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ने में लगातार व्यापक भूमिका निभा रहा है। पारंपरिक निर्यातों के साथ-साथ अब संस्था प्रीमियम ताजे फल, जीआई टैग वाले उत्पाद, जैविक कृषि उत्पाद, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, ओडीओपी उत्पाद और नवाचारी मूल्य संवर्धित खाद्य पदार्थों को भी बढ़ावा दे रही है।

ये पहलें भारत के कृषि निर्यात में विविधीकरण की दिशा को भी रेखांकित करती हैं। जहां खाड़ी देश भारतीय बागवानी उत्पादों के प्रमुख बाजार बने हुए हैं, वहीं यूरोप, अमेरिका, न्यूजीलैंड और इराक जैसे नए बाजार विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिए तेजी से खुल रहे हैं।

दुनिया भर में प्रीमियम, सुरक्षित, ट्रेसबिलिटी वाले और टिकाऊ खाद्य उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में एपीडा की ये पहलें भारत के कृषि निर्यात परिदृश्य को नई दिशा दे सकती हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती इन सफल मॉडलों का अधिक राज्यों और अधिक उत्पादों तक विस्तार करना है, ताकि छोटे और सीमांत किसान भी वैश्विक खाद्य मूल्य श्रृंखला का मजबूत हिस्सा बन सकें। Rw

फोटो: रूरल वर्ल्ड

प्रीमियम उत्पादों के निर्यात से बढ़ेगी किसानों की आय: अभिषेक देव

*वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का कृषि निर्यात मजबूत बना हुआ है, लेकिन अगले चरण की वृद्धि वैल्यू एडिशन समेत कई बातों पर निर्भर करेगी। नए एफटीए से खुलते बाजार, प्रसंस्कृत एवं जीआई-टैग वाले उत्पादों की बढ़ती मांग और खाद्य सुरक्षा के कड़े अंतरराष्ट्रीय मानकों के बीच भारत की कृषि निर्यात रणनीति तेजी से बदल रही है। **रूरल वर्ल्ड** के एडिटर-इन-चीफ **हरवीर सिंह** से विशेष बातचीत में एपीडा चेयरमैन **अभिषेक देव** ने बताया कि यह संस्था किस प्रकार भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में काम कर रही है।*

प्र ***वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का कृषि निर्यात मजबूत बना हुआ है। दीर्घकालिक कृषि निर्यात लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एपीडा की क्या रणनीति है?***

अनिश्चितताओं के बावजूद निर्यात में मजबूती का प्रमुख कारण हमारे कृषि क्षेत्र की मजबूत बुनियाद और भारतीय उत्पादों के प्रति दुनिया का लगातार बढ़ता भरोसा है। एपीडा में हमारा उद्देश्य इस गति को बनाए रखने के साथ ऐसा कृषि निर्यात तंत्र विकसित करना है जो किसानों, निर्यातकों और देश की अर्थव्यवस्था के लिए अधिक मूल्य सृजित करे। हमारी रणनीति तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित है - बाजार विविधीकरण, उत्पाद विविधीकरण और निर्यात इकोसिस्टम का विकास।

बाजार विविधीकरण के तहत हम अफ्रीका, मध्य एशिया, आसियान और पूर्वी एशिया में नए अवसर तलाश रहे हैं। खाड़ी देशों, यूरोप और अमेरिका जैसे स्थापित बाजारों में भी उपस्थिति मजबूत कर रहे हैं। मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) से मिले अवसरों का लाभ उठाकर भारतीय उत्पादों की पहुंच बढ़ाई जा रही है। विशेष रूप से चावल के क्षेत्र में एपीडा चीन, जापान, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम और सीआईएस जैसे नए बाजारों में निर्यात को बढ़ावा दे रहा है।

दूसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्यात मात्रा के साथ निर्यात आय को भी बढ़ाना है। एपीडा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, ताजे फल एवं सब्जियां, जैविक उत्पाद, जीआई टैग वाले उत्पाद, रेडी-टू-ईट और रेडी-टू-कुक खाद्य, मिलेट, न्यूट्रास्यूटिकल्स तथा प्रीमियम चावल जैसे उच्च मूल्य वाले उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। इससे किसानों को बेहतर कीमत और अधिक आय प्राप्त होगी।

गुणवत्ता और अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन निर्यात रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एपीडा हॉर्टिनेट, ग्रेपनेट, पीनट.नेट और वेटनेट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्रेसबिलिटी और सैनिटरी एवं फाइटो-सैनिटरी मानकों का अनुपालन मजबूत कर रहा है।

एपीडा अब तक 1,400 से अधिक एफपीओ को कृषि निर्यात मूल्य श्रृंखला से जोड़ चुका है। नियमित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों, एफपीओ, निर्यातकों और अन्य हितधारकों को गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज, फसल प्रबंधन, पैकेजिंग, खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता मानकों और निर्यात प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

हमारी दीर्घकालिक रणनीति में नवाचार भी है। भारत हब फॉर एग्रीटेक, रेजिलिएंस, एडवांसमेंट एंड इनक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनोवेशन (BHARATI) पहल के माध्यम से एपीडा निर्यातक एग्री-फूड स्टार्टअप को रेगुलेटरी सहायता, बाजार पहुंच और निवेशकों से संपर्क उपलब्ध करा रहा है। एपीडा अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों, बायर-सेलर मीट और वैश्विक प्रचार अभियानों के माध्यम से 'ब्रांड इंडिया' को भी मजबूत कर रहा है। प्रीमियम चावल, जीआई टैग वाले उत्पाद और मिलेट आधारित खाद्य पदार्थों को गल्फूड, सियाल पेरिस, अनुगा, फाइनफूड ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड फूड मॉस्को, बायोफैक जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आयोजनों तथा वर्ल्ड फूड इंडिया, इंडस फूड, बायोफैक इंडिया और आहार जैसे घरेलू मंचों पर प्रदर्शित किया जा रहा है।

> **प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में छोटे किसानों और एफपीओ को प्राथमिकता दी जा रही है। पिछले तीन वर्षों में ऐसे कार्यक्रमों का विस्तार हुआ है और एफपीओ की भागीदारी के साथ 1,500 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।**

प्र ***अगले पांच वर्षों में कौन से कृषि उत्पाद और अंतरराष्ट्रीय बाजार सबसे अधिक विकास के अवसर प्रदान करेंगे?***

आने वाले पांच वर्ष भारत के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने का सुनहरा अवसर होंगे। यह नए बाजारों में विस्तार और मूल्य संवर्धन से हासिल किया जा सकता है। हाल ही ब्रिटेन, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और ओमान के साथ हुए एफटीए तथा यूरोपीय संघ और न्यूजीलैंड के साथ प्रस्तावित एफटीए भारतीय कृषि उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

चावल, अंगूर, प्याज, आम, केला, मांस, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, बेकरी उत्पाद, मीठे बिस्कुट, संरक्षित फल एवं सब्जियां तथा माल्ट एक्सट्रैक्ट जैसे उत्पादों में निर्यात वृद्धि की बड़ी संभावनाएं हैं। अनाज, ताजे फल व सब्जियों और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसे पारंपरिक निर्यात उत्पादों के अलावा जीआई-टैग वाले उत्पादों, जैविक खाद्य पदार्थों, रेडी-टू-ईट उत्पादों, मिलेट आधारित खाद्य पदार्थों तथा अन्य प्रीमियम उत्पादों की वैश्विक मांग लगातार बढ़ रही है।

प्र ***निर्यात में विविधता लाने के लिए एपीडा क्या कर रहा है?***

हालांकि चावल, मसाले और समुद्री उत्पाद आज भी भारत के प्रमुख कृषि निर्यात हैं, लेकिन एपीडा अधिक मूल्य और मूल्य संवर्धित कृषि उत्पादों को बढ़ावा देकर निर्यात बास्केट का विस्तार कर रहा है। ताजी फल-सब्जियां सबसे तेजी से उभरते निर्यात क्षेत्रों में शामिल हैं। इनका निर्यात वर्ष 2021-22 के 152.76 करोड़ डॉलर से 25.78 प्रतिशत बढ़कर 2025-26 में 192.14 करोड़ डॉलर हो गया। इस अवधि में इन उत्पादों के निर्यात गंतव्यों की संख्या भी 127 देशों से बढ़कर 137 हो गई। बागवानी उत्पादों के लिए भी नए बाजार खुल रहे हैं। अनानास का निर्यात 22 देशों से बढ़कर 31 देशों तक पहुंच गया है, जबकि केले का निर्यात 39 देशों की जगह 44 देशों को होने लगा है। इस वर्ष भारत ने वियतनाम को ताजे अंगूर का निर्यात भी शुरू किया है।

एपीडा प्रीमियम और क्षेत्र-विशिष्ट उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देकर किसानों के लिए नए अवसर तैयार कर रहा है। इसमें जम्मू-कश्मीर की अरेको चेरी और सेंट्रोज प्लम, मेघालय की ऑर्गेनिक लाकाडोंग हल्दी, मध्य प्रदेश का सुंदर्जा आम, असम की तेजपुर लीची, सिक्किम की डल्ले मिर्च, लद्दाख की हलमान खुबानी और गुजरात का ड्रैगन फ्रूट सहित अनेक विशिष्ट उत्पाद शामिल हैं।

हमारा एक अन्य फोकस मूल्यवर्धित और उभरते उत्पाद हैं। एपीडा इस दिशा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी आंत्रप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च जैसे संस्थानों के साथ मिलकर प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रसंस्करण तकनीकों में सुधार और निर्यात-योग्य उत्पादों के विकास पर काम कर रहा है।

प्र ***हाल में गैर-बासमती चावल के दाम 15-20% बढ़े हैं। इसका चावल निर्यात पर क्या असर पड़ सकता है?***

विश्व बैंक पिंक शीट के अनुसार, जुलाई 2025 से जून 2026 के बीच थाईलैंड के 5% टूटे चावल

की कीमतों में 26%, थाई 25% टूटे चावल में 25.4% तथा थाई ए.1 ग्रेड चावल में 24.8% की वृद्धि हुई है। स्पष्ट है कि कीमतों में तेजी के पीछे वैश्विक बाजार की परिस्थितियां भी हैं। इस वर्ष भारत के चावल निर्यात पर इसका प्रभाव सीमित रहने की संभावना है। 2025-26 में भारत ने 11.54 अरब डॉलर का चावल निर्यात किया। वहीं, 2026-27 के अप्रैल-मई के दौरान 2.03 अरब डॉलर का चावल निर्यात हुआ। संकेत हैं कि यदि निर्यात मात्रा में कुछ कमी आती है, तो प्रति इकाई निर्यात मूल्य में वृद्धि उसकी भरपाई कर सकती है। इससे कुल निर्यात आय पर विशेष प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

प्र *छोटे किसानों और एफपीओ को वैश्विक वैल्यू चेन से जोड़ने के लिए एपीडा क्या कर रहा है?*

प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में छोटे किसानों और एफपीओ को प्राथमिकता दी जा रही है। पिछले तीन वर्षों में ऐसे कार्यक्रमों का विस्तार हुआ है और एफपीओ की भागीदारी के साथ 1,500 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। नाबार्ड, नेफेड, ट्राइफेड, एसएफएसी तथा अन्य संस्थाओं के सहयोग से भी एपीडा एफपीओ के लिए विशेष कार्यक्रम चला रहा है। भारत कृषि निर्यात योजना के तहत एफपीओ को अतिरिक्त लाभ भी दिए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत एफपीओ को ग्लोबल जीएपी सर्टिफिकेशन दिलाने में सहायता दी गई है, जिससे विकसित देशों के बाजारों में उनके उत्पादों की स्वीकार्यता बढ़ी है।

एपीडा ने एफपीओ के उत्पादों का सीधे तथा थर्ड पार्टी के माध्यम से नए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहली बार निर्यात भी सुनिश्चित कराया है। पिछले दो वर्षों में 14 राज्यों के एफपीओ से 11 देशों के लिए 15 से अधिक निर्यात खेपों को सुविधा प्रदान की गई। चालू वित्त वर्ष में कम से कम 10 खेप भेजी जा चुकी हैं। इनमें कर्नाटक से मिलेट, झारखंड से आम्रपाली आम, मध्य प्रदेश से सुंदरजा आम, मेघालय से अनानास, अदरक, शहद और लाकाडोंग हल्दी, पंजाब से ताजा लीची तथा उत्तर प्रदेश से हरी मिर्च, भिंडी और लौकी जैसी ताजी सब्जियां शामिल हैं। भारती पहल के तहत चार एफपीओ का चयन कर सभी निर्यात पहलुओं पर 120 घंटे का गहन प्रशिक्षण दिया गया। इस आधार पर एपीडा जल्द ही एफपीओ के लिए एक्सपोर्ट एक्सेलरेशन प्रोग्राम शुरू करेगा।

प्र *मूल्य वर्धित खाद्य पदार्थों का निर्यात कैसे बढ़ सकता है?*

एपीडा ऐसा मजबूत इकोसिस्टम विकसित करने का प्रयास कर रहा है, जो उत्पादन और प्रसंस्करण से लेकर गुणवत्ता, ब्रांडिंग और वैश्विक बाजार तक पहुंच के पूरे तंत्र को सुदृढ़ बनाए। इसके लिए हम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राज्य सरकारों तथा अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ मिलकर निर्यात इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने पर काम कर रहे हैं।

हमारी प्राथमिकताओं में प्रोसेसिंग इकाइयों, कोल्ड चेन और इरैडिएशन सुविधाओं का विस्तार शामिल है। इससे निर्यातक अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता एवं फाइटोसैनिटरी मानकों का पालन कर सकेंगे और उत्पादों की शेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी। हम बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और प्रभावी पोजिशनिंग को बढ़ावा देकर भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में निर्यातकों की सहायता कर रहे हैं। मार्केट इंटेलिजेंस भी हमारी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एपीडा निर्यातकों को वैश्विक उपभोक्ताओं की बदलती पसंद और मांग से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराता है, जिससे वे अंतरराष्ट्रीय बाजार की मांग के अनुरूप उत्पाद विकसित कर सकें।

प्र *हाल के एफटीए से क्या नए अवसर पैदा हुए और किन उत्पादों को सबसे अधिक लाभ मिलने की संभावना है?*

एफटीए ने भारतीय कृषि निर्यात के लिए कई प्रमुख बाजारों में नए अवसर खोले हैं। 15 जुलाई 2026 से लागू भारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते के तहत भारत को ब्रिटेन के लगभग 95 प्रतिशत कृषि आयात (जिसका मूल्य 85-88 अरब डॉलर है) में शुल्क मुक्त पहुंच मिल गई है। इससे भारतीय निर्यातकों को प्रतिस्पर्धा में यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका और वियतनाम जैसे देशों के बराबर लाभ मिला है। भारत का यूके को कृषि निर्यात 2020 के 80.1 करोड़ डॉलर से बढ़कर 2024 में 112.1 करोड़ डॉलर हो चुका है।

इसी प्रकार, भारत-ओमान एफटीए के तहत 98.08 प्रतिशत टैरिफ लाइन पर 100 प्रतिशत शुल्क-मुक्त पहुंच मिली है। भारत-न्यूजीलैंड एफटीए 100 प्रतिशत टैरिफ लाइन पर शुल्क-मुक्त पहुंच प्रदान करता है। भारत-ईएफटीए व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौता, जिसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लीचेंस्टीन शामिल हैं, के तहत मेवे, मीठे बिस्किट और ताजे अंगूर जैसी कई श्रेणियों पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया गया है। इसका सबसे अधिक लाभ स्विट्जरलैंड और नॉर्वे को होने वाले निर्यात को मिलेगा। ईएफटीए देशों के साथ भारत के कृषि व्यापार में 99 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इन्हीं का है।

प्रसंस्कृत एवं मूल्य वर्धित खाद्य उत्पाद जैसे मीठे बिस्किट, बेकरी उत्पाद, चॉकलेट एवं कोको उत्पाद, शुगर कन्फेक्शनरी और सॉस को लगभग सभी एफटीए के तहत बेहतर बाजार पहुंच मिलेगी। ताजे कृषि उत्पादों जैसे अंगूर, प्याज, केला तथा मेवे एवं बीजों पर भी महत्वपूर्ण शुल्क रियायतें मिली हैं। विशेष रूप से स्विट्जरलैंड में मेवों और सब्जियों पर शून्य शुल्क तथा यूरोपीय संघ में खीरा, सूखे प्याज, ताजे अंगूर और फ्रोजन स्वीट कॉर्न जैसे उत्पादों को बेहतर बाजार पहुंच मिलेगी।

इसके अलावा, दार्जिलिंग चाय, विभिन्न प्रकार के बासमती चावल, हल्दी एवं करक्यूमिन, मनुका शहद, जैविक उत्पाद, मोटे अनाज आधारित खाद्य पदार्थ तथा जीआई टैग वाले उच्च मूल्य उत्पादों के लिए भी ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ओमान, यूएई और ऑस्ट्रेलिया जैसे बाजारों में नई संभावनाएं उभर रही हैं। इसी तरह, फ्रोजन मीट, घी/मक्खन और अंडे जैसे उत्पादों को भी ओमान और ईएफटीए समझौतों के तहत महत्वपूर्ण लाभ मिलने की संभावना है।

प्र *आयातक देश लगातार खाद्य सुरक्षा और ट्रेसबिलिटी से जुड़े कड़े मानक लागू कर रहे हैं। एपीडा भारतीय निर्यातकों और किसानों को इनके लिए किस प्रकार तैयार कर रहा है?*

एपीडा ने एक मजबूत तंत्र विकसित किया है, जो भारतीय निर्यातकों को बदलते अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करने और वैश्विक बाजारों तक उनकी पहुंच बनाए रखने में मदद करता है। आयातक देशों की आवश्यकताओं, विशेष

"हमारी प्राथमिकताओं में प्रोसेसिंग इकाइयों, कोल्ड चेन और इरैडिएशन सुविधाओं का विस्तार शामिल है। इससे निर्यातक अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता एवं फाइटोसैनिटरी मानकों का पालन कर सकेंगे और उत्पादों की शेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी।"

आयातक देशों की आवश्यकताओं, विशेष रूप से मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट के अनुरूप परीक्षण के लिए एपीडा ने 21 राज्यों में एनएबीएल से मान्यता प्राप्त 130 प्रयोगशालाओं को स्वीकृति दी है। इससे मानकों के अनुपालन में मदद मिलती है।

फोटो: रूरल वर्ल्ड

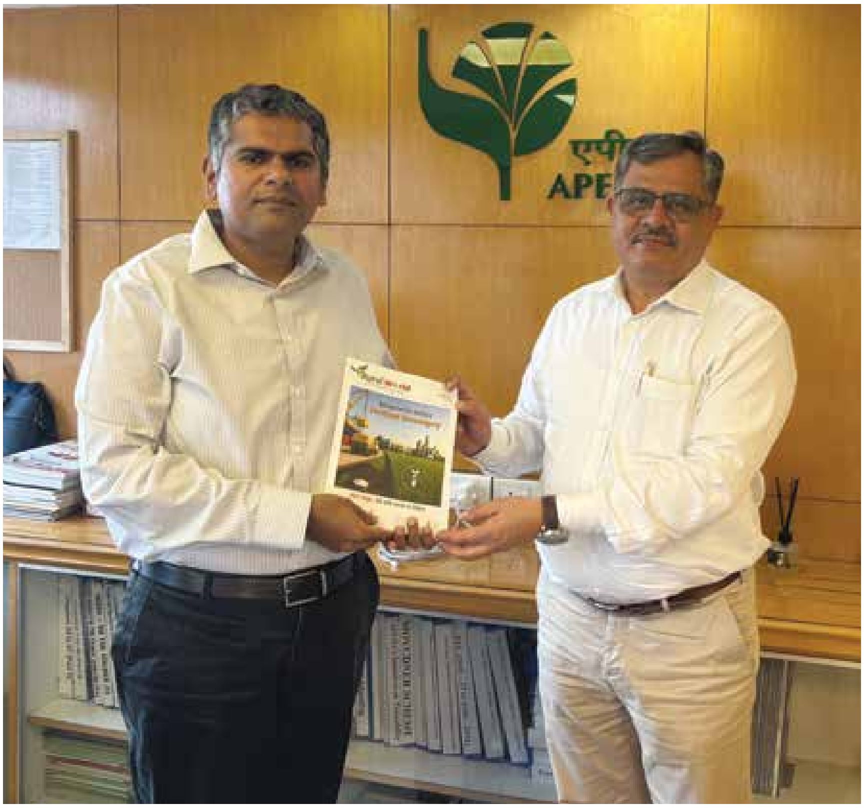

रूप से मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट के अनुरूप उत्पाद परीक्षण के लिए एपीडा ने 21 राज्यों में एनएबीएल से मान्यता प्राप्त 130 से अधिक प्रयोगशालाओं को स्वीकृति दी है। उत्पाद विशिष्ट प्रयोगशालाओं की यह व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन में मदद करती है।

ट्रेसबिलिटी को मजबूत बनाने के लिए एपीडा ने अंगूर, मूंगफली, जैविक उत्पादों और सब्जियों जैसी कृषि उपज के लिए एंड-टू-एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं, जिनसे खेत से लेकर निर्यात तक प्रत्येक चरण की निगरानी संभव हुई है। इन प्लेटफॉर्मों के तहत किसानों का पंजीकरण और निगरानी राज्य सरकारें करती हैं, जबकि प्रसंस्करण एपीडा से मान्यता प्राप्त पैकहाउस और प्रोसेसिंग इकाइयों में किया जाता है।

एपीडा विभिन्न कृषि उत्पादों और देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्यात प्रोटोकॉल तथा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी तैयार करता है, जो सैनिटरी एवं फाइटोसैनिटरी मानकों के अनुरूप होते हैं। इसके अलावा एपीडा कोडेक्स के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय खाद्य मानकों के विकास में भी योगदान देता है।

अनुपालन को मजबूत बनाने के लिए एपीडा ने फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के सर्टिफिकेशन निकायों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों को मान्यता दी है। इससे निर्यातकों और प्रसंस्करण इकाइयों को खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली अपनाने तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रमाणपत्र प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इसके साथ ही एपीडा जीएपी, आईएसओ 22000, रेनफॉरेस्ट अलायंस और स्मेटा (SMETA) जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्र प्राप्त करने में भी सहयोग प्रदान करता है।

प्र *अमेरिका ने सेक्शन 301 के तहत भारत सहित कई देशों से आयात पर 10% फोर्स्ड लेबर टैरिफ लगाया है। इसका भारत के कृषि निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?*

अमेरिका पिछले दस वर्षों से भारतीय कृषि उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। 2015-16 में अमेरिका को भारत का कृषि निर्यात 3.27 अरब डॉलर था, जो 2025-26 में 5.03 अरब डॉलर हो गया। पिछले वर्ष भारत के कुल कृषि निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी लगभग 9 प्रतिशत रही। अमेरिका को एपीडा के अधिसूचित उत्पादों का निर्यात भी 2015-16 के 1.15 अरब डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 1.49 अरब डॉलर हो गया।

2025 में रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा के बावजूद जनवरी से जुलाई के बीच एपीडा के अधिसूचित उत्पादों का निर्यात अपेक्षाकृत स्थिर बना रहा। सितंबर 2025 में अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाए जाने के बाद अस्थायी गिरावट आई, लेकिन कुछ उत्पादों को छूट मिलने के बाद नवंबर से सुधार होने लगा। फरवरी 2026 के बाद अतिरिक्त शुल्क हटने पर मई 2026 तक निर्यात में उल्लेखनीय तेजी देखने को मिली।

हाल ही अमेरिका ने सेक्शन 301 के तहत भारत पर जो 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया है, वह शुरुआती प्रस्तावित टैरिफ 12.5 प्रतिशत से कम है। यह भारत सरकार और अमेरिकी अधिकारियों के बीच सकारात्मक संवाद तथा दोनों देशों के मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का परिणाम है। यह शुल्क अमेरिका में भारतीय उत्पादों की लागत कुछ हद तक बढ़ा सकता है। हालांकि, भारत के कृषि निर्यात की मजबूत बुनियाद को देखते हुए इसका समग्र प्रभाव सीमित रहने की संभावना है। अलग-अलग कृषि उत्पादों पर इसका असर उनकी अमेरिकी बाजार पर निर्भरता, प्रतिस्पर्धी देशों की उपलब्धता और मांग के आधार पर अलग हो सकता है। भारत के कई उच्च मूल्य वाले उत्पादों ने पहले से ही अमेरिकी बाजार में मजबूत पहचान बना रखी है। वहां रहने वाला बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय भी इन उत्पादों की मांग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे अतिरिक्त टैरिफ के प्रभाव को काफी हद तक संतुलित करने में मदद मिलेगी। साथ ही, भारतीय निर्यातकों ने बाजार में विविधता, वैल्यू एडिशन और प्रतिस्पर्धी क्षमता मजबूत करके बदलती वैश्विक व्यापार परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालने की क्षमता भी दिखाई है। RW

कपास उत्पादकता बढ़ाने की नई पहल

उत्पादकता में गिरावट और पिंक बॉलवर्म की चुनौती के बीच रासी सीड्स की नई पीढ़ी की बीटी तकनीक, एचडीपीएस और मशीनीकरण के जरिए उपज और लाभप्रदता बढ़ाने की रणनीति

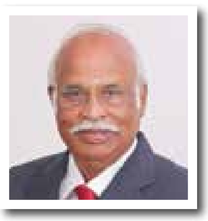

डॉ. एम. रामासामी

चेयरमैन, रासी सीड्स प्राइवेट लिमिटेड

रासी सीड्स 50 वर्ष पुरानी भारतीय बीज कंपनी है, जिसके पास विश्वस्तरीय अनुसंधान एवं विकास, उत्पादन, बिक्री एवं विपणन क्षमता है। रासी कपास और अन्य प्रमुख फसलों में उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है और अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पाद पोर्टफोलियो के माध्यम से भारत के प्रमुख कृषि क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति दर्ज करा चुकी है।

रासी सीड्स वर्ष 1988 से कपास अनुसंधान और नवाचार में अग्रणी रही है। कंपनी ने अधिक उपज, कीटरोधी, जलवायु अनुकूल और बेहतर फाइबर गुणवत्ता वाली संकर किस्में विकसित की हैं। गैर-बीटी संकर किस्मों के विकास से लेकर बीटी तकनीक, उच्च घनत्व वाली रोपण प्रणाली (HDPS) और मशीनीकरण आधारित ब्रीडिंग तकनीकों को आगे बढ़ाने तक, रासी ने कपास की उत्पादकता, लाभप्रदता, फाइबर क्वालिटी और टिकाऊपन को बेहतर बनाने में योगदान किया है। इससे किसानों को लाभ हुआ और भारत के कपास उत्पादन तथा टेक्सटाइल इकोनॉमी को भी मजबूती मिली है।

पिछले तीन दशकों में रासी सीड्स ने भारत में कपास की संकर किस्मों का बड़ा नेटवर्क स्थापित किया है। भारत में कपास की खेती लगभग 114 लाख हेक्टेयर में होती है, जिसमें 20-30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रासी की संकर किस्मों की खेती हुई है। इससे 20 लाख से अधिक किसान जुड़े रहे हैं। रासी की संकर किस्मों को किसानों के बीच व्यापक स्वीकार्यता मिली है।

1. तकनीक का आगमन : बोलगार्ड और संकर किस्म

प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने मार्च 2002 में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी के माध्यम से कपास की व्यावसायिक खेती के लिए बीटी कपास को मंजूरी दी थी। यह देश की पहली आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल थी। रासी की RCH2 बीटी तकनीक वाली पहली और व्यावसायिक रूप से सफल संकर किस्म बनी।

वर्ष 2002-03 में भारत में 76.67 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की खेती होती थी। इससे 136 लाख गांठ कपास का उत्पादन हुआ और उत्पादकता 302 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। बीटी कपास के व्यावसायिक उपयोग की शुरुआत के समय संकर कपास का हिस्सा कुल कपास क्षेत्र का करीब 40 प्रतिशत था। किसानों ने बीटी तकनीक को तेजी से अपनाया क्योंकि इससे कीटनाशकों के उपयोग और उत्पादन लागत में उल्लेखनीय कमी आई तथा कीटों के कारण फसल को होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिली। तकनीक और संकर किस्मों के आने से किसानों के लिए कपास की खेती आसान हुई। इसके व्यापक उपयोग से संकर कपास के रकबे में वृद्धि हुई।

वर्ष 2013-14 तक कपास का क्षेत्र बढ़कर 119.6 लाख हेक्टेयर हो गया। उत्पादन 398 लाख गांठ तक पहुंच गया और उत्पादकता बढ़कर 566 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। इस अवधि में बीटी संकर किस्मों का हिस्सा कुल कपास क्षेत्र के करीब 95 प्रतिशत तक पहुंच गया था।

2002-03 और 2013-14 के बीच कपास के रकबे में 56 प्रतिशत, उत्पादन में 193 प्रतिशत और उत्पादकता में 88 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस उल्लेखनीय वृद्धि में संकर किस्मों और बीटी तकनीक की प्रमुख भूमिका रही। बीटी तकनीक ने कीटों से फसल को होने वाले नुकसान को नियंत्रित किया। हाइब्रिड शक्ति और बीटी तकनीक के इस समन्वित प्रभाव से भारत की कपास उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार हुआ। इससे भारत कपास की कमी वाले देश से दुनिया के प्रमुख कपास उत्पादक देशों में शामिल हो गया।

2. उत्पादन में ठहराव और 100 लाख गांठ की गिरावट क्यों?

बीटी तकनीक का प्रभाव धीरे-धीरे कम होने लगा और 2015-16 के दौरान प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों में पिंक बॉलवर्म के व्यापक प्रकोप के बाद इसके कमजोर पड़ने को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया। परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में कपास की उत्पादकता लगभग स्थिर बनी रही और पिछले 7-8 वर्षों के दौरान इसमें गिरावट शुरू हो गई। इसका प्रमुख कारण कोई बड़ी तकनीकी सफलता सामने न आना है।

2024-25 में कपास के क्षेत्रफल में तो लगभग छह लाख हेक्टेयर की मामूली कमी आई, लेकिन उत्पादकता 566 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से घटकर 440 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रह गई। इससे कुल उत्पादन 398 लाख गांठ से घटकर 290 लाख गांठ रह गया। यह गिरावट पिंक बॉलवर्म के कारण होने वाले नुकसान को दर्शाता है। पिंक बॉलवर्म ने मौजूदा बीटी तकनीक का प्रतिरोध विकसित

कर लिया है। हालांकि संकर किस्में अपनी बेहतर आनुवंशिक उपज क्षमता के कारण उत्पादकता को बनाए रखने में अब भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

पिंक बॉलवर्म का प्रकोप कई अन्य समस्याएं भी पैदा करता है। प्रभावित पौधों में बॉल रॉट यानी सड़न बढ़ती है, फाइबर की गुणवत्ता खराब होती है और कपास चुनने में कठिनाई आती है। इससे चुनाई की लागत बढ़ती है और किसानों को उपज का कम मूल्य मिलता है। इन चुनौतियों के कारण अनेक किसानों ने ऐसी वैकल्पिक फसलों का रुख किया जिनकी खेती अपेक्षाकृत आसान है और जिनमें उत्पादन जोखिम कम है। परिणामस्वरूप, किसानों में कपास की खेती को लेकर भय और अरुचि बढ़ रही है।

3. उत्पादकता बढ़ाने के लिए रासी की पहल क्या है?

भारत में कपास के उत्पादन में वृद्धि के दो सबसे महत्वपूर्ण आधार रहे हैं - संकर कपास और बीटी तकनीक। उत्पादकता में मौजूदा ठहराव को दूर करने, कीटों की उभरती चुनौतियों से निपटने और कपास की खेती को आसान बनाने के लिए रासी सीड्स ने दो प्रमुख पहल शुरू की हैं - नेक्स्ट जेनरेशन बीटी तकनीक और रासी मैक्स (RASI MAX) प्रोजेक्ट।

नेक्स्ट-जेनरेशन बीटी तकनीक

रासी ने बोलगार्ड॥ प्रतिरोधी पिंक बॉलवर्म से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नेक्स्ट जेनरेशन बीटी तकनीक विकसित की है। यह एक भारतीय कंपनी द्वारा, भारतीय वैज्ञानिकों के प्रयासों से विकसित स्वदेशी तकनीक है, जिसे विशेष रूप से भारतीय कपास किसानों के सामने मौजूद चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह तकनीक फिलहाल रेगुलेटरी मंजूरी की प्रक्रिया के तहत जैव-सुरक्षा परीक्षणों से गुजर रही है। इसके व्यवसायीकरण के बाद पिंक बॉलवर्म से भारतीय किसानों के सामने मौजूद कठिनाइयों को दूर करने और इस कीट से फसल के नुकसान को रोकने में मदद मिल सकती है। इससे किसानों का कपास की खेती पर भरोसा फिर से मजबूत हो सकता है।

रासी मैक्स प्रोजेक्ट

रासी मैक्स उपज को बढ़ाने वाली पहल है, जिसे उत्पादकता में मौजूदा ठहराव को दूर करने के लिए तैयार किया गया है। यह परियोजना प्रति इकाई क्षेत्र अधिकतम उत्पादकता हासिल करने के लिए उच्च घनत्व रोपण प्रणाली (एचडीपीएस) और कम दूरी (क्लोजर स्पेसिंग) को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य कपास उत्पादन में संपूर्ण मशीनीकरण की नींव तैयार करना भी है। इसके लिए एचडीपीएस के अनुकूल संकर किस्मों के साथ उच्च जिनिंग आउट टर्न (GOT), सटीक कृषि तकनीक, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर (PGR) आधारित कैनोपी प्रबंधन और मशीन से हार्वेस्टिंग के लिए डिफोलिएशन प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

मशीनीकरण को बढ़ावा

रासी सीड्स उन एग्री-टेक स्टार्टअप्स को सक्रिय रूप से समर्थन देती है, जो किफायती प्लांटर, हार्वेस्टर, डिफोलिएशन समाधान और सटीक खेती की तकनीक विकसित कर रहे हैं। इसका उद्देश्य मशीनीकरण की गति बढ़ाना और खेत स्तर पर कपास की उत्पादकता में सुधार करना है।

नेक्स्ट जेनरेशन बीटी तकनीक, एचडीपीएस, संपूर्ण मशीनीकरण और उच्च जीओटी वाली संकर किस्मों को एक साथ जोड़कर इन पहलों का लक्ष्य भारत की कपास उत्पादकता को बढ़ाना और ऐसी उपज हासिल करना है, जो वैश्विक औसत के बराबर या उससे अधिक हो।

4. कपास उत्पादकता मिशन

भारत सरकार ने कपास क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकता बढ़ाने के मकसद से 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए कपास उत्पादकता मिशन शुरू किया है। इसे आधिकारिक तौर पर 'कपास क्रांति' नाम दिया गया है। इस मिशन के लिए 5,960 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित है। मिशन में एचडीपीएस, कम दूरी, अधिक लंबे रेशे और एकीकृत फसल प्रबंधन (आईसीएम) को बढ़ावा देने पर जोर है। मिशन का लक्ष्य बेहतर उत्पादन तकनीक और वैज्ञानिक तरीके से फसल प्रबंधन उपायों को बड़े पैमाने पर अपनाकर उपज बढ़ाना है। इसके तहत कपास उत्पादन को बढ़ाकर 498 लाख गांठ और उत्पादकता को बढ़ाकर 755 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करने का लक्ष्य है।

5. मिशन के लक्ष्य हासिल करने के लिए किस तरह के सहयोग की जरूरत है?

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि किसान कपास की खेती को लेकर उत्साहित क्यों नहीं हैं। पिंक बॉलवर्म का प्रभावी नियंत्रण करके कपास की खेती को आसान बनाना होगा। इससे पेस्टीसाइड छिड़काव पर होने वाला खर्च कम होगा और उपज में 25 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है। इससे सकल आय में भी लगभग 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, और किसानों में कपास की खेती का रकबा बढ़ाने में रुचि पैदा होगी। इससे उत्पादन स्तर को बढ़ाकर 560 किलोग्राम और कुल उत्पादन को 400 लाख गांठ तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है।

इसके बाद सरकार द्वारा निर्धारित 755 किलोग्राम लिंट प्रति हेक्टेयर के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एचडीपीएस और क्लोजर स्पेसिंग प्रणाली पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके अलावा, मशीनों के इस्तेमाल को रोपण की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा बनाया जाना चाहिए। बड़ी संख्या में रोपण और हार्वेस्टिंग मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक समर्थन की जरूरत होगी। हालांकि, मिशन के संदर्भ में सरकार की मंशा और इस दिशा में प्रस्तावित उपाय अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं।

हमारा यह अनुरोध भी है कि उच्च घनत्व रोपण प्रणाली, कम दूरी और मशीनीकरण को तेजी से अपनाने के लिए उपयुक्त इनपुट सब्सिडी और प्रोत्साहनों के माध्यम से नीतिगत समर्थन दिया जाए। किफायती प्लांटर, हार्वेस्टर, प्री-क्लीनर और डिफोलिएशन रसायनों की उपलब्धता के लिए समर्थन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा। इससे छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी कपास की मशीनीकृत खेती को संभव बनाने में मदद मिलेगी। Rw

उत्पादकता में मौजूदा ठहराव को दूर करने, उभरती कीट चुनौतियों से निपटने और कपास की खेती को अधिक आसान बनाने के लिए रासी सीड्स ने दो प्रमुख पहल शुरू की हैं – नेक्स्ट-जेनरेशन बीटी टेक्नोलॉजी और रासी मैक्स प्रोजेक्ट।

कोड परोदा:
कृषि विज्ञान की सेवा में समर्पित एक जीवन

डॉ. ए. अमरेंद्र रेड्डी

पीएच.डी. (एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स), FISPRD, FISAE
संयुक्त निदेशक, स्कूल ऑफ क्रॉप हेल्थ पॉलिसी सपोर्ट रिसर्च (SCHPSR)
आईसीएआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट (NIBSM), रायपुर

वैज्ञानिकों की आत्मकथाएं अक्सर किसी एक व्यक्ति के जीवन वृत्तांत से आगे बढ़कर संस्थानों, विचारों और राष्ट्रीय परिवर्तन की गाथा बन जाती हैं। संजय कुमार और अरुण तिवारी की लिखित पुस्तक 'कोड परोदा' ऐसी ही एक कृति है। यह पुस्तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के पूर्व महानिदेशक, प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और संस्थान निर्माता डॉ. राजेंद्र सिंह परोदा के जीवन पर आधारित है। इसके माध्यम से पिछले छह दशकों में भारतीय कृषि विज्ञान के विकास की एक व्यापक और समग्र तस्वीर सामने आती है। यह एक संस्मरण मात्र नहीं, बल्कि इस बात का सशक्त वृत्तांत है कि दूरदर्शिता, प्रभावी नेतृत्व और वैज्ञानिक प्रतिबद्धता ने किस प्रकार भारत में कृषि अनुसंधान एवं विकास की दिशा और स्वरूप को आकार दिया।

यह पुस्तक चार भागों - मेकिंग ऑफ द मैन (व्यक्तित्व का निर्माण), एट द हेल्म (नेतृत्व की कमान), असेंड (उत्कर्ष) और लेगेसी (विरासत) - में विभाजित है। इसमें डॉ. परोदा की राजस्थान के एक किसान परिवार से निकलकर कृषि विज्ञान प्रशासन के सर्वोच्च पदों तक पहुंचने की प्रेरक यात्रा का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस क्रम में पुस्तक भारत के कृषि इतिहास के कई निर्णायक पड़ावों को भी समेटती है, जिनमें हरित क्रांति, जैव प्रौद्योगिकी का उदय, आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण तथा अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग के बढ़ते महत्व जैसे विषय प्रमुख हैं।

पुस्तक के शुरुआती अध्यायों में डॉ. परोदा के प्रारंभिक जीवन, शिक्षा और वैज्ञानिक प्रशिक्षण का विस्तृत विवरण दिया गया है। ये अध्याय विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे उस बौद्धिक वातावरण की झलक प्रस्तुत करते हैं, जिसने कृषि वैज्ञानिकों की उस पीढ़ी को तैयार किया, जिसने आगे चलकर भारतीय कृषि में ऐतिहासिक परिवर्तन किए। राजस्थान कृषि महाविद्यालय और बाद में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) में उनके अनुभव बताते हैं कि सफल वैज्ञानिक जीवन के निर्माण में मार्गदर्शकों, संस्थागत संस्कृति और वैज्ञानिक जिज्ञासा की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विवरण यह भी दर्शाता है कि दृढ़ता, निरंतर प्रयास और अवसरों के प्रति खुला दृष्टिकोण किस प्रकार अप्रत्याशित ढंग से किसी व्यक्ति के पेशेवर जीवन की दिशा बदल सकते हैं।

पुस्तक की एक उल्लेखनीय विशेषता प्रणालीगत सोच पर इसका विशेष जोर है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कार्य करते हुए डॉ. परोदा ने यह समझ लिया था कि अधिक उपज देने वाली अनाज फसलों की व्यापक स्वीकृति का पशुधन उत्पादन पर एक अनपेक्षित दुष्प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि इससे चारे की उपलब्धता कम हो रही थी। चारा फसलों की उन्नत किस्मों के विकास के लिए उनके प्रयास इस बात को दर्शाते हैं कि वे कृषि को अलग-अलग तकनीकों का समूह नहीं, बल्कि एक परस्पर जुड़ी हुई समग्र प्रणाली के रूप में देखते थे। कृषि के प्रति यह दृष्टिकोण आज भी टिकाऊ कृषि पर चल रही बहसों में उतना ही प्रासंगिक है।

इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान संस्थान निर्माण की विस्तृत व्याख्या है। आईसीएआर के महानिदेशक के रूप में डॉ. परोदा का कार्यकाल भारत में आर्थिक और नीतिगत बदलावों के महत्वपूर्ण दौर के साथ जुड़ा रहा। इस संस्मरण में 'आईसीएआर विजन 2020' के निर्माण, जेनेटिक संसाधनों के संरक्षण के लिए विशेष राष्ट्रीय ब्यूरो की स्थापना, कृषि अनुसंधान इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाने तथा राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना की शुरुआत का विस्तार से वर्णन किया गया है। ये सभी पहल भारतीय कृषि को उभरती चुनौतियों के लिए तैयार करने के साथ-साथ देश की खाद्य सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को बनाए रखने की एक दूरदर्शी और रणनीतिक सोच को प्रतिबिंबित करती हैं।

भारत के प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के संरक्षण के प्रयासों का विवरण विशेष रूप से प्रभावशाली है। आधुनिक जीन बैंक इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास और राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (NBPGR) को सशक्त बनाना कृषि जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धियां थीं। पुस्तक इस बात को रेखांकित करती है कि वैज्ञानिक दूरदृष्टि और संस्थागत समर्थन मिलकर ऐसे दीर्घकालिक राष्ट्रीय संसाधनों का निर्माण कर सकते हैं, जिनका वास्तविक महत्व अक्सर कई दशकों बाद स्पष्ट होता है।

यह संस्मरण कृषि नीति के विकासक्रम

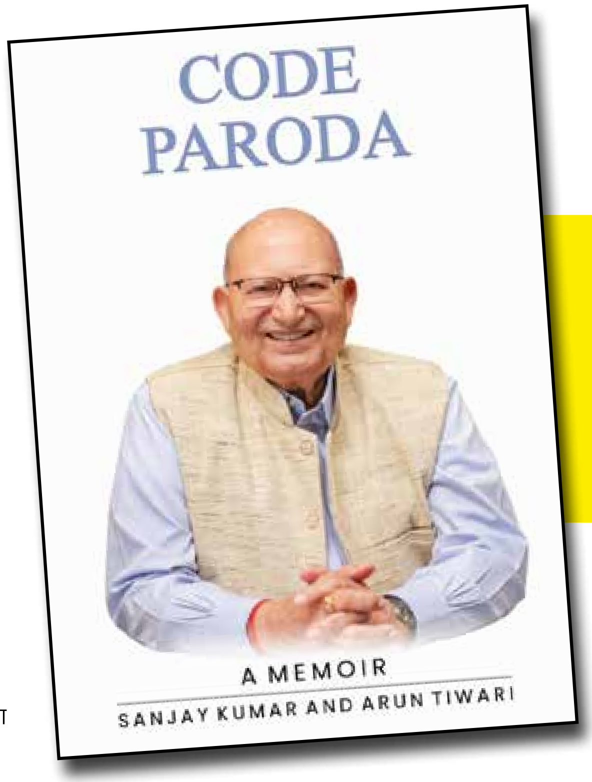

कोड परोदाः ए मेमॉयर

संजय कुमार एवं अरुण तिवारी

कुल पृष्ठ: **422**

मूल्य: **1,499** रुपये

प्रकाशक: **सकाल पब्लिकेशंस**

पर भी महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। बीज क्षेत्र में सुधार, जैव प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा अधिकार और सार्वजनिक-निजी भागीदारी जैसे विषयों पर चर्चा विज्ञान, नियमन और विकास के बीच जटिल संबंधों को उजागर करती है। डॉ. परोदा लगातार इस बात की वकालत करते रहे हैं कि नीतियां वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित हों और ऐसी नियामक व्यवस्था विकसित की जाए जो इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ जनहित की भी रक्षा करे। चाहे विषय संकर फसलों के विकास का हो, जैव प्रौद्योगिकी हो या आनुवंशिक संसाधनों का प्रबंधन, उनका मूल संदेश यही है कि वैज्ञानिक प्रगति के साथ जिम्मेदार शासन और किसान केंद्रित दृष्टिकोण का समन्वय अनिवार्य है।

'कोड परोदा' की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक नेटवर्क के विकास का विस्तृत दस्तावेजीकरण है। पुस्तक में एशिया-पैसिफिक एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस (APAARI), एशिया-पैसिफिक कंसोर्टियम ऑन एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी (APCoAB) तथा ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज (TAAS) जैसे संगठनों की स्थापना और विकास यात्रा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इन पहलों के माध्यम से पुस्तक यह दर्शाती है कि आज के दौर में कृषि इनोवेशन विभिन्न विषयों, संस्थानों और देशों के बीच सहयोग पर पहले से कहीं अधिक निर्भर हो गया है।

डॉ. परोदा की सेवानिवृत्ति के बाद के योगदान पर आधारित अध्याय भी उतने ही रोचक हैं। सार्वजनिक जीवन से अलग होने के बजाय उन्होंने तास और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से वैज्ञानिक संवाद को बढ़ावा देने, क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने तथा कृषि नीति संबंधी विमर्श को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जलवायु परिवर्तन, कृषि जैव विविधता, मृदा स्वास्थ्य और युवाओं की भागीदारी जैसे विषयों पर पुस्तक में की गई चर्चा कृषि क्षेत्र की उभरती चुनौतियों के समाधान के प्रति उनकी सतत प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण योगदान नेतृत्व पर इसका गहन चिंतन है। पूरे संस्मरण में सफल नेतृत्व को केवल प्रशासनिक अधिकार के रूप में नहीं, बल्कि संस्थानों का निर्माण करने, प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने, साझेदारियां विकसित करने और सामूहिक प्रयासों को प्रेरित करने की क्षमता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। संस्मरण में बार-बार सहकर्मियों, मार्गदर्शकों और सहयोगियों के योगदान का उल्लेख किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वैज्ञानिक उपलब्धियां मूलतः सामूहिक सहयोग का परिणाम होती हैं।

पुस्तक को भारत और विदेश के अनेक प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों, नीति-निर्माताओं तथा विशेषज्ञों से जुड़े रोचक प्रसंगों ने और अधिक समृद्ध बनाया है। ये विवरण पाठकों को कृषि अनुसंधान प्रणाली के कार्य और उसे आकार देने वाले व्यक्तित्वों की अंदरूनी झलक प्रदान करते हैं। कृषि विज्ञान के भावी इतिहासकारों के लिए ये प्रत्यक्ष अनुभव और टिप्पणियां अत्यंत मूल्यवान संदर्भ सिद्ध होंगी।

पुस्तक का अंतिम भाग, जिसमें 'कोड परोदा' प्रस्तुत किया गया है, आत्ममंथन के साथ-साथ भविष्य की दिशा भी निर्धारित करता है। जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन, सार्वजनिक विज्ञान, पोषण सुरक्षा, डिजिटल कृषि, जल प्रबंधन, युवाओं की भागीदारी और सामूहिक प्रयास जैसे विषयों को समेटने वाला यह ढांचा विज्ञान और नीति के क्षेत्र में डॉ. परोदा के आजीवन अनुभव का सार प्रस्तुत करता है। इसका दायरा भले ही व्यापक और महत्वाकांक्षी हो, लेकिन इसकी नींव किसानों, वैज्ञानिकों और विभिन्न संस्थानों के साथ दशकों के व्यावहारिक अनुभवों पर आधारित है।

समग्र रूप से 'कोड परोदा' भारत में कृषि विज्ञान, विज्ञान नीति और संस्था निर्माण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है। यह पुस्तक व्यक्तिगत अनुभवों, ऐतिहासिक दस्तावेजों और नीतिगत चिंतन का प्रभावी समन्वय प्रस्तुत करती है, जिससे यह वैज्ञानिकों, विद्यार्थियों, नीति-निर्माताओं, प्रशासकों और विकास क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों सहित व्यापक पाठक वर्ग के लिए उपयोगी बन जाती है। यह पुस्तक हमें याद दिलाती है कि कृषि क्षेत्र में परिवर्तन केवल तकनीकी इनोवेशन से संभव नहीं होता, बल्कि इसके लिए दूरदर्शी नेतृत्व, मजबूत संस्थानों और विज्ञान के प्रति निरंतर सार्वजनिक प्रतिबद्धता भी उतनी ही आवश्यक है।

ऐसे समय में जब कृषि जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण, पोषण असुरक्षा और तकनीकी बदलाव जैसी अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रही है, इस पुस्तक में प्रस्तुत अनुभव और विचार विशेष महत्व रखते हैं। इसलिए 'कोड परोदा' केवल एक सफल कृषि वैज्ञानिक की जीवनगाथा नहीं है, बल्कि भारतीय कृषि विज्ञान के विकासक्रम का एक विचारोत्तेजक वृत्तांत भी है, जो इसके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण सीख और मार्गदर्शन प्रदान करता है। Rw

ICRISAT को जीन एडिटिंग का लाइसेंस मिला

अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT को CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग तकनीक के उपयोग के लिए दीर्घकालिक मानवीय (ह्यूमैनिटेरियन) लाइसेंस प्राप्त हुआ है। इससे एशिया और अफ्रीका के छोटे किसानों के लिए जलवायु-अनुकूल और अधिक उत्पादक फसल किस्मों के विकास में तेजी आएगी।

कोर्टेवा (Corteva) और द ब्रॉड इंस्टीट्यूट (The Broad Institute) के साथ हुए इस समझौते के तहत ICRISAT अब सूखा, गर्मी, कीट और

रोगों के प्रति अधिक सहनशील फसल किस्में तेजी से विकसित कर सकेगा। पारंपरिक पौध प्रजनन की तुलना में जीन एडिटिंग तकनीक कम समय में बेहतर उत्पादकता, पोषण गुणवत्ता और किसानों की जरूरतों के अनुरूप गुणों वाली किस्में विकसित करने में सक्षम है। इस प्रक्रिया में किसी असंबंधित प्रजाति का डीएनए नहीं जोड़ा जाता। ICRISAT के महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक ने इसे शुष्क क्षेत्रों के लाखों छोटे किसानों के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि यह तकनीक संस्थान के फसल प्रजनन कार्यक्रमों और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थानों के साथ साझेदारी को नई गति देगी।

इस लाइसेंस के तहत ज्वार, बाजरा, अन्य मिलेट्स, चना, अरहर और मूंगफली जैसी फसलों में जीन एडिटिंग आधारित उन्नत किस्मों का विकास किया जाएगा। इससे वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर किसानों के खेतों तक नई किस्मों को पहुंचाने की प्रक्रिया तेज होगी।

मानसून मध्य: बारिश 13% कम, खरीफ बुवाई 3% पिछड़ी

जून में कमजोर शुरुआत के बाद जुलाई में मानसून की जोरदार वापसी से खरीफ फसलों की बुवाई में तेजी आई और शुरुआती नुकसान की काफी भरपाई हो गई। इसके बावजूद 1 जून से 31 जुलाई के बीच देश में सामान्य से 13 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई है। वहीं खरीफ बुवाई का अंतर घटकर पिछले वर्ष के मुकाबले 26.50 लाख हेक्टेयर (2.88 प्रतिशत) रह गया है।

कृषि मंत्रालय के अनुसार 31 जुलाई तक खरीफ फसलों की बुवाई 894.22 लाख हेक्टेयर में हुई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 920.72 लाख हेक्टेयर थी। धान का रकबा 301.49 लाख हेक्टेयर (2.24 प्रतिशत कम), दलहन 95.18 लाख हेक्टेयर (6.31 प्रतिशत कम), मक्का 83.56 लाख हेक्टेयर (7.31 प्रतिशत कम) और कपास 103.54 लाख हेक्टेयर (2.38 प्रतिशत कम) रहा। इसके विपरीत तिलहनों की बुवाई मामूली बढ़कर 172.32 लाख हेक्टेयर और गन्ने का रकबा 57.58 लाख हेक्टेयर (1.51 प्रतिशत अधिक) पहुंच गया। मानसून में सुधार के बावजूद जलाशयों की स्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार 30 जुलाई तक 166 प्रमुख जलाशयों में 81.48 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी था, जो कुल क्षमता का 44.39 प्रतिशत है। यह पिछले वर्ष से 34.43 प्रतिशत और सामान्य स्तर से लगभग 7 प्रतिशत कम है।

पीएम-किसान को 2030-31 तक मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना को 2030-31 तक अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने को मंजूरी दे दी। इस अवधि के लिए योजना के तहत कुल 3.15 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है। योजना के तहत लाभार्थी किसानों को डीबीटी के माध्यम से प्रतिवर्ष दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में 6,000 रुपये बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाते हैं।

सरकार ने कहा कि योजना को जारी रखने का निर्णय किसानों की आय बढ़ाने और कृषि निवेश को बढ़ावा देने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस सहायता से किसानों को बीज, उर्वरक, सिंचाई और कृषि मशीनरी जैसी आवश्यकताओं पर समय पर खर्च करने में मदद मिलती है। इससे ग्रामीण परिवारों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने में भी सहायता मिलती है। फरवरी 2019 में शुरू की गई पीएम-किसान योजना के तहत अब तक 23 किस्तों में कुल 4.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। 23वीं किस्त का लाभ 9.49 करोड़ से अधिक किसानों को मिला और 18,984 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि जारी की गई। योजना के लगभग हर चार लाभार्थियों में से एक महिला किसान है।

मध्यप्रदेश: किसान के आगे झुकी सरकार

मध्यप्रदेश में किसानों ने ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद बढ़ाने की मांग और ई-टोकन के माध्यम से उर्वरक वितरण के विरोध में राजधानी भोपाल में बड़ा प्रदर्शन किया। नर्मदापुरम, हरदा, सीहोर, रायसेन और विदिशा सहित कई जिलों से हजारों किसान बैरिकेडिंग तोड़ते हुए भोपाल पहुंचे और मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया।

आखिरकार राज्य सरकार ने किसानों की कई मांगें मान लीं, जिसके बाद 30 जुलाई को आंदोलन समाप्त हो गया। सरकार ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर मूंग खरीद की सीमा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। इससे किसानों से प्रति एकड़ लगभग तीन क्विंटल तक मूंग की खरीद हो सकेगी। उर्वरक वितरण के लिए लागू ई-टोकन प्रणाली को भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।

राज्य सरकार के अनुसार, केंद्र सरकार ने मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत ग्रीष्मकालीन मूंग की 4.52 लाख टन खरीद को मंजूरी दी थी। यह मंजूरी राज्य के अनुमानित कुल उत्पादन के अधिकतम 25 प्रतिशत की खरीद के मौजूदा प्रावधान के आधार पर दी गई थी। अब राज्य सरकार ने प्रत्येक पात्र किसान की उपज का 60 प्रतिशत तक खरीदने का फैसला किया है।

चीनी पर स्टॉक लिमिट लागू

केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी, सट्टेबाजी और कीमतों में तेजी पर अंकुश लगाने के लिए देशभर के चीनी डीलरों पर स्टॉक लिमिट लागू कर दी है। यह आदेश 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार, कोई भी डीलर चीनी को प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक तक नहीं रख सकेगा और किसी भी समय उसके पास 4,000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं होगा। सभी डीलरों को विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर हर सप्ताह अपने स्टॉक का विवरण भी देना होगा।

यह फैसला ऐसे समय आया है जब लगातार दूसरे वर्ष चीनी उत्पादन घरेलू खपत से कम रहने का अनुमान है। उद्योग के मुताबिक, 2025-26 में उत्पादन लगभग 279 लाख टन और खपत 285 लाख टन रहने की संभावना है। अनुमान है कि 1 अक्टूबर 2026 को नए चीनी सीजन की शुरुआत में देश का ओपनिंग स्टॉक केवल 33-35 लाख टन रह सकता है, जो हाल के वर्षों का सबसे निचला स्तर होगा। ऐसे में सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण और बाजार में पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए स्टॉक लिमिट लागू करने का फैसला किया है।

राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 को मंजूरी दी। इस नीति का उद्देश्य गैस आधारित नए यूरिया संयंत्रों में निवेश को बढ़ावा देकर उर्वरक क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करना और यूरिया आयात पर निर्भरता कम करना है।

यह नीति नई निवेश नीति-2012 का स्थान लेगी, जिसकी अवधि 2019 में समाप्त हो गई थी। इसके प्रमुख प्रावधानों में स्थिर (फिक्स्ड) और परिवर्तनीय (वैरिएबल) लागत को अलग-अलग करना, निवेशकों के लिए 12 से 16 प्रतिशत रिटर्न ऑन इक्विटी तथा चार वर्ष बाद प्रचलित विनिमय दर के आधार पर स्थिर लागत को भारतीय रुपये में परिवर्तित कर विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम को कम करना शामिल है।

सरकार का अनुमान है कि इन प्रावधानों से प्रत्येक नए यूरिया संयंत्र पर 250 करोड़ रुपये से अधिक की बचत होगी। यह नीति सभी नए गैस आधारित यूरिया संयंत्रों पर लागू होगी। वर्तमान में देश में 33 यूरिया उत्पादन इकाइयां संचालित हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 269.42 लाख टन है। इसके बावजूद घरेलू उत्पादन मांग से कम होने के कारण हर वर्ष बड़ी मात्रा में यूरिया का आयात करना पड़ता है।

ग्रामीण भारत का सेहत संकट

विशाल स्वास्थ्य बजट के बावजूद ग्रामीण भारत विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी, कमजोर बुनियादी ढांचे और निजी अस्पतालों पर बढ़ती निर्भरता से जूझ रहा है

स्नेहिल चौबे

भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था एक गहरे विरोधाभास का उदाहरण प्रस्तुत करती है। व्यापक स्तर पर देश ने ऐसी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं जो मजबूत होते स्वास्थ्य तंत्र का संकेत देती हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, मानव संसाधनों की तैनाती और मरीजों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं।

नेशनल हेल्थ अकाउंट्स 2022-23 के अनुसार, भारत का सरकारी स्वास्थ्य व्यय पिछले एक दशक में लगभग तीन गुना बढ़कर 3.85 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। जीडीपी में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी बढ़कर 1.43% हो गई है। इससे लोगों द्वारा अपनी जेब से किए जाने वाले स्वास्थ्य खर्च में कमी आई है। यह 2013-14 में कुल स्वास्थ्य व्यय का 64.2% था, जो 2022-23 में 43.4% रह गया।

इस अवधि में देश में अस्पतालों में प्रसव दर भी बढ़कर 90.6% तक पहुंच गई। हालांकि, अस्पतालों में प्रसवों की कुल संख्या बढ़ने के बावजूद सरकारी संस्थानों में होने वाले प्रसवों का अनुपात 61.9% से घटकर 58.6% रह गया है। सवाल है कि ग्रामीण परिवार मुफ्त सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को छोड़कर निजी अस्पतालों का रुख क्यों कर रहे हैं?

अनुसंधान ट्रस्ट के एक्शन सेंटर 'साथी' से जुड़े स्वास्थ्य अधिकार कार्यकर्ता विनोद शेंडे का कहना है कि सरकारी निवेश अभी मुख्य रूप से मेडिकल कॉलेजों, बड़े शहरी अस्पतालों और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) परियोजनाओं पर केंद्रित है। प्राथमिक और प्रिवेंटिव स्वास्थ्य सेवाओं की लगातार उपेक्षा की जा रही है। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में जांच सुविधाओं की कमी है और बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया 2023-24 के अनुसार, ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 79.9% पद रिक्त हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के 31% से अधिक उप-स्वास्थ्य केंद्रों के पास आज भी अपना स्थायी भवन नहीं है।

इस संकट का सबसे अधिक असर हिंदी भाषी राज्यों में दिखाई देता है। मध्य प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 94%, बिहार में 80.9%, राजस्थान में 80.3% और उत्तर प्रदेश में 74.4% पद रिक्त हैं। मध्य प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 1,320 स्वीकृत पदों में से केवल 113 पद भरे हुए हैं।

उत्तरी राज्यों के विपरीत दक्षिणी राज्यों में हालात बेहतर प्रतीत होते हैं। तमिलनाडु की ट्राइबल हेल्थ इनिशिएटिव से जुड़े डॉ. रेगी जॉर्ज का कहना है कि दक्षिणी राज्यों में ऐसी गंभीर स्थिति इसलिए नहीं बनती क्योंकि वहां सरकारें स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर पर अधिक निवेश करती हैं। हालांकि डॉ. जॉर्ज का कहना है कि अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सामान्य बीमारियों का ही उपचार कर पाते हैं।

जब प्राइमरी और सेकंडरी स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा केवल प्रशासनिक औपचारिकता बनकर रह जाता है, तो चिकित्सा सेवाओं के लिए लोग दूर जाने को मजबूर होते हैं। 'स्टेट ऑफ हेल्थ इन रूरल इंडिया' सर्वे के अनुसार, ग्रामीण भारत के 58% परिवारों ने बताया कि उनके आसपास के लोगों को गंभीर उपचार के लिए दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ता है। उत्तर-पूर्व और उत्तर भारत में यह अनुपात क्रमशः 73% और 60% है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की कमजोर होती भूमिका ने शोषण की एक समानांतर अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है कि देश में सी-सेक्शन प्रसव की दर बढ़कर 27.2% हो गई है। निजी अस्पतालों में 54.1% प्रसव सी-सेक्शन के माध्यम से होते हैं, जबकि सरकारी में यह 16.9% है।

जन स्वास्थ्य अभियान के इंद्रनील मुखोपाध्याय ने बताया कि डब्ल्यूएचओ के अनुसार आदर्श सी-सेक्शन दर अधिकतम 15% होनी चाहिए। लेकिन भारत में यह चिंताजनक रूप से अधिक है।

यदि स्वास्थ्य व्यवस्था का मूल्यांकन केवल बजटीय आवंटन, संस्थानों की संख्या या अन्य व्यापक आर्थिक इंडिकेटर्स के आधार पर किया जाएगा, तो कागजों पर सफलता हासिल करना आसान होगा। लेकिन बिना डॉक्टर वाला अस्पताल केवल एक इमारत है, और अनावश्यक सर्जरी के जरिए कराया गया प्रसव स्वास्थ्य व्यवस्था की नियामकीय विफलता को दर्शाता है। यदि भारत को वास्तव में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हासिल करना है, तो नीति निर्माताओं को राष्ट्रीय आंकड़ों में दिखाई देने वाली उपलब्धियों और ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों तथा अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों के रोजमर्रा के संघर्ष के बीच मौजूद गहरी खाई को पाटना होगा। Rw

(लेखिका डॉ. बी.आर. आंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली में पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस में स्नातकोत्तर की छात्रा हैं, रूरल वॉयस में इंटर्नशिप की है)

हर एक काम,
देश के नाम

EMPOWERING INDIA'S FERTILIZER SELF-RELIANCE...

FARMER-FIRST COMMITMENT

Affordable inputs. Timely delivery. Empowered farmers.

- Ensuring affordable, timely and effective fertiliser solutions for farmers
- Strengthening last-mile delivery across regions and geographies
- Providing timely farmer advisories for informed and sustainable farming practices

SUPPLY SECURITY & STRATEGIC SOURCING

Assured supply. Stable markets. Stronger India.

- Leveraging alternative sources, imports and efficient trading mechanisms
- Ensuring uninterrupted fertiliser availability and market stability
- Strengthening national fertiliser security for long-term resilience

ENERGY EFFICIENCY & RESPONSIBLE OPERATIONS

Efficient plants. Safe operations. Lower carbon footprint.

- Driving energy savings through efficiency-led plant operations
- Continuous improvement through adoption of energy-efficient technologies
- Maintaining the highest standards of operational safety and security

SUSTAINABILITY & POLICY ALIGNMENT

Balanced nutrition. Healthier soil. Sustainable future.

- Active implementation of PM-PRANAM initiatives
- Promoting balanced nutrient use and reducing chemical dependency
- Supporting policy reforms for sustainable and climate-smart agriculture

ADVANCING TOWARDS A SELF-RELIANT FUTURE

Atmanirbhar agriculture.Resilient tomorrow.

- Supporting Atmanirbhar Bharat in fertiliser and agriculture sectors
- Building a resilient, sustainable and farmer-centric ecosystem
- Aligned with national priorities and India's long-term growth vision

Hindustan Urvarak & Rasayan Limited

Corporate Office
Hindustan Urvarak & Rasayan Limited
Core 3 & 4, 9th Floor, SCOPE Minar, Laxmi Nagar District Centre, New Delhi-110092
Website: www.hurl.net.in | Email: contactus@hurl.net.in

Follow Us:

SIRA®
SEEDS
A Brand of Rasi Seeds
RASI®
SEEDS
QUALITY SEEDS, HONEST SERVICE, AND GOOD PARTNERSHIPS.
5M+
Satisfied Farmers Annually
50 years+
In Business
1,000+
Qualified Workforce
35K+
Production Partners
40K+
Point of Sales
200+
Sales Offices
100K+
Village Spread
80+
Crop Varieties
Food
50+ Hybrids / Varieties
Fiber
20+ Hybrids / Varieties
Fodder
15+ Hybrids / Varieties
Registered & Corporate Office
Rasi Enclave, Green Fields, 737 C,
Puliyakulam Road, Coimbatore - 641 045
Tamil Nadu, India
www.rasiseeds.com